पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 1827/अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक : 23/07/2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बाइसवाँ* बैठक शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2016 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.06.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** (पृ.क्र. 01 से 07 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.06.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

03. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** (पृ.क्र. 08 से 09 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

04. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।** (पृ.क्र. 10 से 11 तक)

टीप : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 में लिये गए निर्णयानुसार, अधिसूचना क्रमांक 1752/अका./2016 रायपुर, दिनांक 18.07.2016 जारी किया गया। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

05. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** (पृ. क्र. 12 से 18 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

06. **विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन कार्यपरिषद् के द्वारा किया जाना है विचारार्थ प्रस्तुत।** (पृ.क्र. 19 से 20 तक)

टीप : विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन के संबंध में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था। अतः कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

07. **श्री अम्बर व्यास, सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत Raman Post Doctral Fellowship की राशि रु. 19,17,683.00 (उन्नीस लाख सत्रह हजार छःसौ तिरासी रुपये) के भुगतान करने की सूचना ग्रहण के साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।** (पृ.क्र. 21 से 26 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति सलग्न।

* स्वर्ण जयती वर्ष मई 2014 से।

08. जैविकी अध्ययनशाला के 3 शोध छात्रों को **UGC-BSC-JRF Science for Meritorious Students** को दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक फेलोशीप राशि रु. 5,77,403.00 (पाँच लाख सतहत्तर हजार चार सौ तीन रुपये) भुगतान करने की सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 27)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. दिनांक 18.02.2016 से 11.07.2016 तक कुल 58 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि, सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 28)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. वश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से 119 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 29 से 34 तक)

टीप : छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 19/2016 एवं पत्र क्रमांक 230/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 21 जून, 2016 की छायाप्रति संलग्न है।

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.01.2016 (माह जनवरी, 2016 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी 2016 में देय है)	पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत

अतः महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत को आगामी माह के पेंशन में जोड़ने हेतु कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के **Servers** के वार्षिक रखरखाव **(AMC)** एवं **Anti-Virus Server (400 users)** के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 35)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

12. वित्तीय सत्र 2016–17 के अनुमानित बजट के परीक्षा मद में **Central Valuation** हेतु बजट राशि रु. 150.00 लाख में राशि कम शेष होने के कारण परीक्षा मद के ही **Renovation & Construction of Guest house/New Guest house/International Convention Centre** में रखी गई 100.00 लाख में से राशि रु. 70.00 लाख स्थानांतरित किये जाने की, स्वीकृति के साथ सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 36)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

13. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण के दर में एकाएक वृद्धि के संबंध में जानकारी एवं शेष बचत राशि रु. 47,60,334.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 37)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

14. **कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के संबंध में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 38 से 41 तक)**

15. **समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो.–बिजभाटा, जिला–बेमेतरा में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।**

टीप : प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा/बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

16. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 1828 /अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक : 23/07/2016

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 1495 /अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक 14/06/2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बीसवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 06.06.2016 को अपराह् 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	– अध्यक्ष
2.	श्री ललित सुरजन	– सदस्य
3.	श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
4.	श्री शिवरतन शर्मा	– सदस्य
5.	श्री श्रीचंद सुंदरानी	– सदस्य
6.	श्री नवीन मारकण्डेय	– सदस्य
7.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य
8.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय	– सदस्य
9.	डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	– सदस्य
10.	डॉ. के.एन. बापट	– सदस्य
11.	श्री चन्द्र कुमार चन्द्राकर	– सदस्य
12.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	– सदस्य
13.	डॉ. दिनेश मारोठिया	– सदस्य
14.	श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	– सदस्य
15.	प्रो. आर. पी. दीक्षित	– सदस्य
16.	डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	– सदस्य
17.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	– सचिव

कार्यपरिषद् की ओर से नवनियुक्त सदस्य डॉ. शैलेन्द्र सराफ एवं डॉ. अमरकांत पाण्डेय का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के 22वाँ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण डॉ. जयन्त विष्णु नार्लीकर ने दिनांक 10.08.2016 को आने की सहमति प्रदान की है। सदस्यों ने सहमति एवं अनुमोदन प्रदान किया। इस दीक्षांत समारोह के लिए शेष कार्यवाही कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2016 में हुए निर्णय अनुसार होंगे।

कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अंतर्गत देशभर के विश्वविद्यालय के रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय को 61.09 अंकों के साथ 46वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान को 22वाँ रैंकिंग प्राप्त हुआ है। यह बड़े हर्ष की बात है कि विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से यह उपलब्धि प्राप्त की है, जो सभी कार्यपरिषद् सदस्यों तथा विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के सहयोग से संभव हो सका।

कुलपतिजी ने सभा को सूचित किया कि विश्वविद्यालय को Indian National Trust for Arts & Cultural Heritage (INTACH) की संस्थागत सदस्य (Institutional Membership) एवं Governing Council में स्थान प्राप्त हुआ। इससे विश्वविद्यालय को Extension activity आयोजित करने में सहायता मिलेगी।

कार्यवृत्त

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निर्णय क्रमांक 14 एवं 15 में निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई –**

विषय क्र.	कार्यपरिषद् का निर्णय	संशोधन प्रस्ताव
14	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए बुक क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए बुक क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार 1. **Indian Publication : Print Books अधिकतम छूट दर 34% पर Rishabh Books, New Delhi** 2. **Foreign Publication; Print Books अधिकतम छूट दर 34.06% पर Arvind Prakashan , Udaipur से** 3. **CD/DVD Books: No discount दर पर 34.06% पर Arvind Prakashan, Udaipur से** उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
15	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए ई–बुक्स क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन बुक्स से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिये ई बुक्स क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार **Allied Publishers Subsciption Agency, Mumbai** से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रमशः **65%** पर **Oxford University Press online books** एवं **10%** पर **Wiley online books** क्रय करने का अनुमोदन करते हुए, भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।**

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णण : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

04. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को भुगतान किये गए राशि रु. 1,95,92,180.00 (एक करोड़ पन्चानबे लाख ब्यानबे हजार एक सौ अस्सी रुपए) की कर सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को भुगतान किये गए राशि रु. 1,95,92,180.00 (एक करोड़ पन्चानबे लाख ब्यानबे हजार एक सौ अस्सी रुपए) की कर सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदन किया गया।**

05. यूटीलिटी सेंटर भवन के पास ट्रांसफार्मर संस्थापन राशि रु. 11,31,214.00 (ग्यारह लाख इकत्तीस हजार दो सौ चौदह रुपए) के भुगतान का अनुमोदन करते हुए सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **यूटीलिटी सेंटर भवन के पास ट्रांसफार्मर हेतु पृथक से राशि प्रदाय की, सूचना ग्रहण की। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में भूमि प्रदान की गई है, अतः उक्त हेतु छूट प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे।**

06. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता माह मई से भुगतान करने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना एवं एरियर्स की राशि रूपए 27,57,710/– (रूपए सत्ताईस लाख संतावन हजार सात सौ दस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से (माह जनवरी, 2016 का वेतन जो माह फरवरी 2016 में देय है) महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की कार्योत्तर स्वीकृति की गई एवं एरियर्स की राशि रूपए 27,57,710/– (रूपए सत्ताईस लाख संतावन हजार सात सौ दस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।**

07. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। माननीय कुलपति जी ने शासन के पत्र के संदर्भ में सूचना दी एवं सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये पदों पर वचनबद्धता (Concurrence)/ सहमति देने में शासन ने असमर्थता व्यक्त की है। सदस्यों के द्वारा शासन को पुनः पत्र लिखकर सहमति प्राप्त करने हेतु सुझाव दिये।**

08. विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर), बी.एड्., एम.एड्., बी.पी.एड्. सेमेस्टर परीक्षा 2016 हेतु जारी अग्रिम राशि रूपए 12,55,000/– (रूपए बारह लाख पचपन हजार मात्र) के 58 परीक्षा केन्द्रों को भुगतान के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर), बी.एड्., एम.एड्., बी.पी.एड्. सेमेस्टर परीक्षा 2016 हेतु जारी अग्रिम राशि रूपए 12,55,000/– (रूपए बारह लाख पचपन हजार मात्र) के 58 परीक्षा केन्द्रों को भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

09. NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्राध्यापक बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं, कन्सल्टेंट के रूप में सेवावृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक, भूतपूर्व प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं कंसल्टेंट के रूप में दिनांक 01.05.2016 से 30.04.2017 तक पूर्व निर्धारित शर्तों एवं मानदेय के अनुसार वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

10. सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. के. शर्मा गणित अध्ययनशाला के भविष्य निधि की राशि रूपए 16,67,785/– (रूपए सोलह लाख सढ़सठ हजार सात सौ पच्यासी मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. के. शर्मा गणित अध्ययनशाला के भविष्य निधि की राशि रूपए 16,67,785/– (रूपए सोलह लाख सढ़सठ हजार सात सौ पच्यासी मात्र) के भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

11. डॉ. अम्बर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. अम्बर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रमन फेलोशीप हेतु चयन होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के अनुसार दिनांक 16.06.2016 से 10.02.2017 तक अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दी गई।**

12. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी, की संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना ।

निर्णय : **श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी, की संविदा नियुक्ति की अवधि में दिनांक 25.04.2016 से आगामी 6 माह के लिए वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई।**

13. सम्बद्ध महाविद्यालयों के 0.5 से कम परफार्मेंस इण्डेक्स प्राप्त 32 महाविद्यालयों के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **0.4 से कम Peformance Index वाले महाविद्यालय की प्राचार्यों की बैठक कर समीक्षा किया जाए। समीक्षा के पश्चात् सम्बद्धता की निरंतरता हेतु निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।**

14. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : **निम्नलिखित महाविद्यालय में प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :**

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
प्राचार्य		
1.	सांदिपनी एकेडमी ग्राम अछोटी, पो.–मुरमुंदा, व्हाया–धमधा, जिला–दुर्ग	डॉ. नाजिया अबिब खान
2.	भिलाई कालेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, जामुल, भिलाई, जिला–दुर्ग	डॉ. घनश्याम तिवारी
विभागाध्यक्ष (शिक्षा) –		
1.	दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमैंट स्टडिज़, रायपुर छ.ग.	डॉ. पूनम निकुंभ
2.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, जिला–दुर्ग	डॉ. नाजिया अबिब खान

उपरोक्त अनुमोदन के फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों के न्यूनतम योग्यता पूरा करने के संदर्भ में बायोडाटा का परीक्षण करने के पश्चात् पत्र जारी किया जावे।

पूरक विषय सूची

01. विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन कार्यपरिषद् के द्वारा किया जाना है विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन के संबंध में प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।**

02. मध्यजोन एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव के प्रतिभागियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता वृद्धि किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : **मध्यजोन एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव के प्रतिभागियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता रु. 200/– प्रतिदिन एवं कोच मैनेजर को रु. 250/– प्रतिदिन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।**

03. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन किया गया।**

04. विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में विनियम क्र. 156 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कुलपति सहायता निधि से संबंधित विनियम क्र. 156 की कंडिका 10 के बाद निम्नांकित प्रस्तावित प्रावधान का अनुमोदन किया गया –**

11. The Personal Loan facility will be provided from "Kulpati Sahayata Nidhi" to University Employees (Teachers/Officers/Employees) as per previous rules/conditions.

05. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

06. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।

07. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निविदा के आधार पर DPC/CPC की अनुशंसा पर न्यूभारत सिक्यूरिटी डिटेक्टीव सर्विसेस, शॉप नं. 140, बस स्टैण्ड के पास, गणेश पेट नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष के लिए किये गये अनुबंध की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

08. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : (i) मेसर्स इंडियन सिक्यूरिटी फोर्स, शॉप नं. k-/264 सुभाष मार्केट भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिनांक 01.05.2016 से 30.06.2016 तक (दो माह) विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों का कार्य लिया जा रहा है के संबंध में स्वीकृति के साथ दिनांक 01.07.2016 से समाप्त किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

(ii) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार न्यूभारत सिक्यूरिटी डिटेक्टीव सर्विसेस, नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए अनुबंध करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

09. अपोलो कॉलेज, शासकीय वेटरीनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : अपोलो कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. (श्रीमती) अनघा अगासे के नाम का अनुमोदन किया गया।

10. श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त), निम्न वर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 पर कार्यपरिषद् के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा सुनवाई के उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : प्रकरण से संबंधित अवधि में परिक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन प्रपत्रों के विक्रय संख्या के Reconciliation के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. कुलपति जी द्वारा संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् (DCDC) के पद पर नियमित नियुक्ति होने में अपरिहार्य कारणों से विलंब होने की जानकारी देते हुए अवगत् कराया गया कि सभी महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं सतत् संपर्क बनाने हेतु कार्यालयीन अवधि में पूरे समय पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् (DCDC) की उपलब्धता आवश्यक है। वर्तमान में प्रभारी के रुप में कार्यरत् डॉ. आर.पी. दास द्वारा अध्ययन–अध्यापन एवं रिसर्च कार्य के साथ DCDC के कार्य भी देख रहे हैं। विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देने हेतु डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल सेवानिवृत्त प्राचार्य का आवेदन प्राप्त हुआ है। चूँकि नियमित नियुक्ति होने में विलंब हो सकता है तथा कालेजों से/UGC से सतत् संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। अतः कार्यपरिषद् के समक्ष उनके द्वारा दिये गये आवेदन प्रस्तुत है।

   सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल सेवानिवृत्त प्राचार्य को उनकी उच्च शिक्षा में दीर्घ सेवाकाल को ध्यान में रखकर उनके पूर्व में धारित पद के अनुरूप DCDC के पद पर संविदा में शासन के नियमानुसार 1 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय परिसर के यूटीलिटी सेन्टर में इंडियन कॉफी हाऊस खोले जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय परिसर में अमूल पार्लर प्रारंभ किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

4. कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता द्वारा बी.कॉम.एलएल.बी. प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इसका विस्तृत प्रस्ताव बनाकर उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को स्वीकृति हेतु भेजी जावे।

5. Super Market के संदर्भ में सूचना एवं कार्यप्रगति की जानकारी दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 1496/अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक : 14/06/2016

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/ जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

8

क्रमांक: 1733 / अका. / का.प. / 2016 रायपुर, दिनांक 14 / 07 / 2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इक्कीसवीं* बैठक (आपातिक) बुधवार, दिनांक 13.07.2016 को सायं 6:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
3.	श्री सत्यनारायण शर्मा	–	सदस्य
4.	श्री शिवरतन शर्मा	–	सदस्य
5.	श्री श्रीचंद सुंदरानी	–	सदस्य
6.	श्री नवीन मारकण्डेय	–	सदस्य
7.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
8.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय	–	सदस्य
9.	डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
10.	डॉ. दिनेश मारोठिया	–	सदस्य
11.	श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	–	सदस्य
12.	डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	–	सदस्य
13.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

विषय क्र. 01.

दीक्षांत समारोह में प्रचलित गाउन के स्थान पर पारम्परिक वेशभूषा धारण किये जाने हेतु कार्यपरिषद् के बैठक दिनांक 26.03.2016 में लिये गए निर्णयानुसार एवं कार्यपरिषद् द्वारा गठित तीन सदस्यों के द्वारा दिनांक 02.07.2016 एवं 05.07.2016 की बैठक में प्राप्त सुझाव एवं अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय :

दीक्षांत समारोह के लिये गाऊन के स्थान पर, वेश भूषा के संबंध में कार्यपरिषद् द्वारा गठित समिति से प्राप्त प्रस्ताव में, आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार अनुमोदन किया जाता है :–

माननीय अतिथि	विशिष्टकरण सहित परिधान
मंच पर उपस्थित अतिथिगण (कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री, कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य अतिथिगण)	विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
जैकेट :– कोसा रंग का जैकेट	
पगड़ी :– गुलाबी रंग	
स्टॉल :– (1) नेवी ब्लू (Navy Blue) वेलवेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा होगा	
(2) कुलसचिव – Navy Blue जिसमें 1 इंच का सिल्वर जरी पट्टा होगा	

विद्यापरिषद्, कार्यपरिषद् एवं संकायाध्यक्ष	(A) सफेद कुर्ता–पायजामा (B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी (C) पगड़ी (D) दुपट्टा (Stoll) :– मैरून रंग का वेल्वेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा
गोल्ड मेडल छात्र–छात्रा एवं पी–एच.डी. हेतु	(A) सफेद कुर्ता–पायजामा (B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी (C) पगड़ी (D) दुपट्टा (Stoll) :– (i) गोल्ड मेडल हेतु – साटन सिल्क – पिले रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा (ii) पी–एच.डी. – साटन सिल्क – लाल रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा

टीप : (a) पगड़ी एवं दुपट्टा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, शेष परिधान स्वयं के द्वारा धारण कर दीक्षांत समारोह स्थल पर उपस्थित होंगे। महिलाओं के लिये पगड़ी ऐच्छिक (Optional) होगा।

(b) समस्त दुपट्टा (Stoll) की लम्बाई 2 मीटर, तथा 1 विश्वविद्यालय के मोनाग्राम बाईं तरफ कंधे से लगभग 6 से 8 इंच निचे होगी, जिससे वह बैठने पर भी दृष्टव्य होगी।

(c) उपरोक्त परिधान 10 अगस्त, 2016 के लिये प्रायोगिक तौर पर धारण किया जावेगा। बाद में प्राप्त सुझावों के अनुरूप समीक्षा कर आगामी दीक्षांत समारोह के लिये मान्य किया जा सकेगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांकः 1734 /अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक : 14/07/2016

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/ जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

10

क्रमांक : 1752/अका./2016 रायपुर, दिनांक : 18/07/2016

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.07.2016 में दीक्षांत समारोह के लिये गाऊन के स्थान पर, वेश भूषा के संबंध में लिये गए निर्णय, अधिसूचित किया जाता है जो निम्नानुसार है:–

माननीय अतिथि	विशिष्टकरण सहित परिधान	
मंच पर उपस्थित अतिथिगण (कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री, कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य अतिथिगण)		
जैकेट :– कोसा रंग का जैकेट	विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।	
पगड़ी :– गुलाबी रंग		
स्टॉल :– (1) नेवी ब्लू (Navy Blue) वेलवेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा होगा		
(2) कुलसचिव – Navy Blue जिसमें 1 इंच का सिल्वर जरी पट्टा होगा		
विद्यापरिषद्, कार्यपरिषद् एवं संकायाध्यक्ष	(A) सफेद कुर्ता–पायजामा (B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी (C) पगड़ी (D) दुपट्टा (Stoll) :– मैरून रंग का वेल्वेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा	
गोल्ड मेडल छात्र–छात्रा एवं पी–एच.डी. हेतु	(A) सफेद कुर्ता–पायजामा (B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी (C) पगड़ी	
	(D) दुपट्टा (Stoll) :–	
	(i) गोल्ड मेडल हेतु	साटन सिल्क – पिले रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा
	(ii) पी–एच.डी.	साटन सिल्क – लाल रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा

टीप : (a) पगड़ी एवं दुपट्टा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, शेष परिधान स्वयं के द्वारा धारण कर दीक्षांत समारोह स्थल पर उपस्थित होंगे। महिलाओं के लिये पगड़ी ऐच्छिक (Optional) होगा।

(b) समस्त दुपट्टा (Stoll) की लम्बाई 2 मीटर, तथा 1 विश्वविद्यालय के मोनाग्राम बाईं तरफ कंधे से लगभग 6 से 8 इंच निचे होगी, जिससे वह बैठने पर भी दृष्टव्य होगी।

(c) उपरोक्त परिधान 10 अगस्त, 2016 के लिये प्रायोगिक तौर पर धारण किया जावेगा। बाद में प्राप्त सुझावों के अनुरूप समीक्षा कर आगामी दीक्षांत समारोह के लिये मान्य किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

D:\back\shital\T R Sahu\T R Sahu General letter 22.docx

(11)

पृ. क्रमांक: 1753 /अका./2016, रायपुर, दिनांक: 18/07/2016

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
3. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
5. कार्यपरिषद् एवं विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों को,
6. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
7. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
8. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
9. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
10. समस्त विभागीय अधिकारी,
11. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(12)

क्र. 1746 / अकॉ. / वि.प. स्थायी समिति / 2016 रायपुर, दिनांक 15 / 07 /2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 15.07.2016 पूर्वाह्न 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक मे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
3. डॉ. रश्मि मिंज	–	सदस्य
4. डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
5. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

अनुपस्थित सदस्य – डॉ. अमरकांत पाण्डेय

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनाक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णयः विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.06.2016 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा / विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के सबध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शास. प. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसींवा, रायपुर (स्थापना वर्ष–1988–89)	M.A. (Final) Hindi	25	2016–17	1. डॉ. शैल शर्मा, आचार्य, साहित्य एवं भाषा अ.शा. 2. डॉ. आभा तिवारी, प्राचार्य, शास. महावि. पिथौरा
		M.Sc. (Final) Mathematics	15	2016–17	1. डॉ. सी.एल. देवांगन, प्राचार्य, शास. नवीन महावि. फिंगेश्वर 2. डॉ. अमिताभ बैनर्जी, प्राचार्य, शास. एस.एन. महावि. नगरी
		M.A.-Prev.-2015-16			

निरीक्षण तिथि : 05.07.2016 – एम.ए. अंतिम हिन्दी

1. आज दिनांक 05.07.2016 को शा. महावि. धरसींवा में एम.ए. हिन्दी (तृतीय सेमेस्टर) की सम्बद्धता के लिए निरीक्षण किया गया।
2. हिन्दी विषय में ग्रंथो की संख्या यद्यपि उपयुक्त है, पर तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कुछ और पुस्तकों की आवश्यक है।
3. महावि. में साइंस एवं कला विषयो मे हिन्दी विषय का अध्यापन होता है इसके अतिरिक्त एम.ए. में भी अध्ययन किया जा रहा है। इस हेतु अध्यापन के लिए कम से कम तीन और पदों की आवश्यकता है।

एम.एस.सी. अंतिम गणित

निम्न शर्तो के अधीन सम्बद्धता हेतु अनुशंसा की जाती है :

1. विषय से सम्बन्धित संदर्भ ग्रंथो का क्रय किया जाये (कम से कम 50,000=00 रु.)
2. निर्धारित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था की जाये। (कम से कम 3 सहायक प्राध्यापक एवं 1 प्राध्यापक)

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर (स्थापना वर्ष–2013–14) B.Sc. -I-2013-14 II-2014-15 B.A. -I-2013-14 II-2014-15 B.Com. -I-2013-14 II-2014-15	B.Sc. -III F.C., Chemistry Maths, Physics	60	2015–16 से	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला
		B.A. -III - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History	60	2015–16 से	2. डॉ. ए.के. शुक्ल, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्
		B.Com.-III (Compulsory Subject)	60	2015–16 से	3. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 02.07.2016

शर्ते :–

1. महाविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने।
2. ग्रंथालय में 50000/– की पुस्तकें एवं प्रयोगशाला हेतु एक लाख रुपयों के उपकरण क्रय करने।
3. विश्वविद्यालय के नियमों एवं आदेशों का पालन करने की शर्तो की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2015–16 हेतु निम्नानुसार सम्बद्धता की पात्रता बनता है :–
   (i) B.Sc.-III- (60 Seats) (F.C., Chemistry, Maths, Physics)
   (ii) B.A.-III- (60 Seats) (Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., History)
   (iii) B.Com.-III- (60 Seats) (Compulsory Subject)

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	कोपल वाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदरलाल शर्मा स्कूल कैम्पस, सुंदर नगर, रायपुर (शासन का आदेश–61/05/आउशि/अशै.प्र./2016 दि. 17.05.2016)	B.A.-II year (FC, Drawing, Painting, Dance & Sociology) B.A.-I-2016-17	30	2016–17	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान एवं आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. स्वप्निल कर्महे, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर 3. डॉ. प्रमोद शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अ.शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
		कार्या.टीप – महाविद्यालय को प्रथम वर्ष की सम्बद्धता 2016–17 के लिए प्रदान की गई है।			

निरीक्षण तिथि : 01.07.2016

वि.वि. के आदेश क्र. 1468/अका/2016 रायपुर दिनाक 10.06.2016 के तहत कोपलवाणी श्रवण घाघित महाविद्यालय सुंदर नगर, रायपुर में बी.ए. द्वितीय वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण आज दिनांक 01.07.2016 को किया गया, जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :–

1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है।
2. भवन किराये का है।
3. 28 परिनियम में शिक्षक नियुक्त नहीं है।
4. ग्रंथालय में पुस्तकें नहीं है।
5. 28 परिनियम के तहत सभी विषय में शिक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है। ग्रंथालय मे सभी विषयों के छात्र अनुपात मे पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	दिशा लॉ कॉलेज, सत्यविहार विधानसभा, चंदखुरी मार्ग, रायपुर (स्थापना वर्ष–2014–15) B.A.LL.B-I-2014-15 II-2015-16 LL.B- I-2014-15 II-2015-16	B.A.LL.B-III year	120	2016–17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
		LL.B-III year	60		

निरीक्षण तिथि : 25.06.2016

गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 25.06.2016 को दिशा विधि महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया निरीक्षण समिति में प्रो. अ. अलीम खान तथा डॉ. विनीता अग्रवाल सदस्य थी। निरीक्षण मे पाया गया कि –

1. महाविद्यालय के पास पर्याप्त कक्ष–कक्षाएं हेतु एवं आवश्यक अधोसंरचना मौजूद है।
2. महाविद्यालय को वर्तमान में पर्याप्त पुस्तकें हैं पर उसकी संख्या मे वृद्धि आवश्यक है सदस्यों को बताया गया कि AIR आदि के Backset खरीदे जाने का प्रस्ताव है।
3. परिनियम 28 के अनुसार प्राचार्य एवं विधि के शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
4. महाविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ऐसा समिति को बताया गया जिसे शिघ्रातिशिघ्र पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
5. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016–17 पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
6. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा सत्र 2016–17 मे स्नातक स्तर पर BALLB तृतीय वर्ष तथा LLB तृतीय वर्ष की अनुमति पत्र क्र. 32/393/आउशि/अशैप्र./2016 दिनांक 26.02.2016 द्वारा प्रदान कर दी गई है।

शर्त :–

1. पर्याप्त अधोसंरचना मौजूद है।
2. परिनियम 28 में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
3. लाइब्रेरी को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।
4. B.C.I. की कोई शर्त हो तो उसे पूरा किया जाना आवश्यक है।

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर (स्थापना वर्ष–2006–07)	**B.Com.** पूर्व सीट स –120 **BBA** पूर्व सीट स –120	30 सीट वृद्धि 30 सीट वृद्धि	2016–17	1. प्रो. आर.पी. दास, आचार्य, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, कुरूद 4. डॉ. डी.के. पाण्डेय, शास. महाविद्यालय, तिल्दा
	शासन का आदेश क्र. एफ 17–21 / 2016 / 38–2 दिनांक 10.02.2016				

Inspection Date - 20-06-2016

1. College has adequate infrastructure in terms of
   (1) Class Rooms
   (2) Computers
   (3) Library
   (4) Faculty
2. The College has appointed 2 Faculty in Management & 3 more are appointed for BBA programme.
3. In Commerce, they have 2 Faculty appointed under 28, for 3 more interview is to be held in the month of June, 2016.
   However :
   College should appoint :
   (i) 5 More faculty for BBA programme U/s 28.
   (ii) 6 More faculty for B.Com U/s 28; and
   (iii)Purchase Books worth Rs. 50,000/- each for commerce and management to meet the increase in seats in two courses.

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

16

04. सत्र 2016–17 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्ययन मण्डल के द्वारा अनुशंसित सत्र 2016–17 के लिए निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

कला संकाय

1	भाषा विज्ञान	4	क्लासिक्स
2	दर्शन शास्त्र	5	अंग्रेजी
3	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	6	हिन्दी

संगीत एवं उर्दू विषय में अध्ययन मण्डल के सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

सामाजिक विज्ञान संकाय

1	राजनीति विज्ञान	5	अर्थशास्त्र
2	क्षेत्रीय अध्ययन	6	इतिहास
3	समाजशास्त्र	7	प्राचीन भारतीय इतिहास
4	मनोविज्ञान		

विज्ञान संकाय

1	सांख्यिकी	5	भूविज्ञान
2	इलेक्ट्रानिक्स	6	भौतिकी
3	भूगोल	7	रसायन
4	गणित	8	संगणक विज्ञान

जीव विज्ञान संकाय

1	मानव विज्ञान	4	बायोसाइंस
2	प्राणीशास्त्र	5	बायोटेक्नालॉजी
3	वनस्पति शास्त्र		

विधि संकाय

1 विधि

वाणिज्य संकाय

1 वाणिज्य

शिक्षा संकाय

1 शिक्षा

टेक्नोलॉजी संकाय

1 फार्मेसी

गृह विज्ञान संकाय

1 होमसाइंस

प्रबंध संकाय

1 प्रबंध

शारीरिक शिक्षा संकाय

1 शारीरिक शिक्षा

05. **सत्र 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–**

शासकीय महाविद्यालय

1 राजीव गांधी शास. महाविद्यालय, सिमगा, जिला– बलौदाबाजार 2015-16 एवं 2016–17
2 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
3 स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद
4 शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ, जिला– बलौदाबाजार 2015–16 एवं 2016–17

5 चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला–महासमुंद
6 शास. दू.ब. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, गांधी चौक रायपुर
7 शास. लालश्याम शाह कॉलेज, मानपुर जिला–राजनांदगाव (छ.ग.) 2015–16
8 शास. पं. श्यामा शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग जिला–गरियाबंद 2015–16
9 शास. वीर सुरेन्द्र साय कॉलेज, गरियाबंद जिला–गरियाबंद 2015–16
10 इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, जिला–दुर्ग 2015–16
11 स्व. ठाकुर महराज सिंह शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, जिला–बेमेतरा 2014–15 एवं 2015–16
12 शास. स्व. छोटे लाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी
13 शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर

अशासकीय महाविद्यालय

1 कालिंदी महाविद्यालय, स्वाती एजुकेशन, सोसायटी, लालपुर, रायपुर (छ.ग.)
2 आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
3 आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
4 सेंट्रल कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
5 नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम–बेलभाठा, व्हाया–अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
6 ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
7 प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
8 विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी–191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
9 स्वामी अजय गुरूदेव इंस्टीट्युट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम– मुडपार, पो– खरोरा, तह – तिल्दा, जिला– रायपुर
10 दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
11 महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
12 श्री बिरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लाट नं.–724/1, स्ट्रीट नं–1, ग्राम+पोस्ट–जामगॉव, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
13 दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लाट नं.–788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
14 दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
15 इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुद (छ.ग.)
16 जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
17 पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
18 एस.के.टी.डी. विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
19 महात्मा गॉधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
20 कला महाविद्यालय जी – जामगाव, जिला–धमतरी
21 कला एवं वाणिज्य कन्या महावि., देवेन्द्र नगर, रायपुर 2015–16
22 समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पोस्ट–बिजभाटा, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) 2015–16
23 श्री रामेश्वर गहिरा गुरू संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापारा, जशपुर

निर्णय : सत्र 2015–16 एवं सत्र 2016–17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

(18)

पृ क्र 1747/अका/वि.प.स्थायी समिति/2016 रायपुर, दिनाक 15/07/2016

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 961 /अका./2016 रायपुर, दिनांक : 17/03/2016

19

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016 में की गई अनुशंसा, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2016 में अनुमोदन के फलस्वरूप श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ, पारस नगर–नगपुरा, जिला–दुर्ग के द्वारा जैन दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य श्री लब्धि सूरी. महाराजा जैन अध्ययन पीठ (**Jain Study Chair**) की स्थापना से संबंधित विनियम को अधिसूचित किया जाता है।

Regulation No. 169

(E.C. Under 17-02-2016)

Establishment of a Chair for research and advancement of knowledge in the field of Jain Philosophy and Culture in Pt. Ravishankar Shukla University. Raipur

1. The chair will be designated in the name of illustrious Jain Saint and Philosopher Jain Acharya Shri Labdhisuri Maharaj.
2. The designation of the chair person would be Adhyaksha of Jain Study Chair.
3. Qualification for selection of chair person would be on the basis of outstanding track record in the field of study of Jain philosophy and culture.
4. Age – above 55 years. (The chair being funded by a public trust, the age limit guideline of UGC is not applicable. There is no specific age limit for appointment on the chairs established by State Govt. Refer, Bakhshi Srijan Peeth and even Hindi Granth Academy.)
5. Pay – Consolidated Rs. 100000 per month.
6. Period of appointment – The appointment will be initially for one year which may be extended up to maximum for the period of 5 years.
7. Duration of chair – 5 years and if financial support continues then till the support would be available.
8. Mode of nomination- The appointment will be done on the basis of the recommendation of a 3 member committee. The committee would consist of the Vice-Chancellor of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chairperson of the Uvasggaharam Parshva Tirth. Nagpura, and an eminent (external) person nominated by the Executive Council of the University.
9. Academic functions of the chair :
   (i) To engage in research and, in turn, contribute to the advancement of knowledge in the area of study of Jain philosophy and culture.
   (ii) To strengthen the role of university/academics in public policy with regard to promoting unity in the multi religious, multi cultural and diverse way of life in India, particularly Chhattisgarh.
   (iii) To provide forum for Research level dialogues, discussion meetings, seminars/summer & winter schools.
   (iv) To publish articles/research papers/ reports/ books /monograms.
   (v) To participate in teaching and Ph. D. program of the department in which it would be located.

(20)

10. Logistics support to the Chairs
The chair be located in one of the departments of the university and the university would provide all the academic, administrative and logistic support extended to other professors of the university.

11. Funding – The fund would be provided by the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura to the university on yearly basis in advance. The fund would be kept in a separate bank account by the university. The account would be operated jointly by the chairperson of the chair and the Registrar of the university. The account would be maintained by the staff of the chair. The account would be audited by a chartered accountant every year and would be submitted to the Tirth and University.
   (i) The funding would be 100% for the chair.
   (ii) For books & journals Rs. 150000 per year.
   (iii) For local and national travels Rs. 100000 per year.
   (iv) For secretarial assistance Rs. 150000 per year.
   (v) For organization of workshop/conference seminar Rs. 100000 per year.
   (vi) For contingency for office expenses, hiring assistance for fieldwork and data collection and analysis Rs. 120000 per years.

12. Pt. Ravishankar Shukla University would evolve a mechanism to review the progress of the chair annually.

13. The university will submit a final report on the activities and the outcome of the chair to the fund provider the Uvasggaharam Parshva Tirth, Nagpura.

14. The University and the fund provider may undertake the exercise of reviewing the chair for its continuance, at any stage.

15. An Memorandum of understanding will be signed by the Vice Chancellor of Pt Ravishankar University Raipur and the chair person of Uvasggaharam Parshva Tirth. Nagpura, District Durg, for the implementation of the proposal for the establishment of chair.

16. The rules for the functioning of the chair and its activities will be framed by the university in consultation of the Adhyaksha of Jain Study Chair.

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 962 /अका./2016 रायपुर, दिनांक: 17/03/2016

प्रतिलिपि :

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
02. अध्यक्ष, श्री उवसग्गहरं पार्श्व तीर्थ, पारस नगर–नगपुरा, जिला–दुर्ग
03. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. सेल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
04. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
05. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
06. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
07. उ.कु.स.,गोपनीय/प्रशासन/स.कु.स. परीक्षा/वित्त नियंत्रक,
08. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(21)

कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु

//टीप//

डॉ. अम्बर व्यास, सहायक प्राध्यापक फार्मेसी को **UGC Letter No. F-5-67/2016(IC) Dt. 15.06.2016** के द्वारा **Raman Post Doctral Fellowship in USA 2015-16 (9 Month)** आवार्ड हुआ है।

उनकी स्वीकृत अनुदान राशि 19,17,683.00 विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है । वे 02.08.2016 को **USA** प्रस्थान करेगें इसके पूर्व उन्हे आवास, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य व्यय के लिए राशि भुगतान आवश्यक है। **UGC** के निर्देशानुसार प्राप्त अनुदान राशि 19,17,683.00 को एकमुश्त भुगतान किया गया है ।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

वित्त नियंत्रक

(22)

To

Date:- July 07, 2016

The Vice Chancellor,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C.G.) 492010
Daily allounce

Through: The Director, University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

Subject: Regarding permission to release of sanction grant of UGC Raman Fellowship for Post Doctoral Research for Indian Scholars in United States for the Year 2015-16.

Reference: UGC letter F. No. 5-67/2016(IC) dated 10 Feb. 2016

Respected Sir,

With reference to above mentioned subject and reference, I wish to bring in your notice that I had received UGC Raman Fellowship for Post Doctoral Research in USA. Sir my tentative schedule departure to join above fellowship is on 02August 2016.

As per the letter of award **(Copy enclosed)**, the fellowship sanction grant i.e. Rs.19, 17,683(Nineteen lacks seventeen thousand six hundred & Eighty three only) is to be released in single installment. So in order to meet my lodging expenses, health insurance and other sundry expenditure, I request you to permit release of grant as advance to me in anticipation of permission from executive council of the university. Your support in this regard will help in to join and avail Raman award fellowship comfortably in due time.

Thanking you

Sincerely yours

A. Vyas 7/7/16

(Amber Vyas)

197/07/16

Enclosure:
1- Letter of award from UGC

Forwarded
3/7/2016
Director
University Institute of Pharmacy
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C.G.)

FD Diary No. 4403
Dated 27-05-2016

23

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002

No.F 5-67/2016 (IC)

June, 2016

15 JUN 2016

The Under Secretary (FD-III)
University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-110 002

Subject: Release of Grants-in-aid to **Pt. Ravishankar shukla university- Raipur-492010, Chatishgarh** under Raman Post Doctoral Fellowship in USA for the year 2015-2016 (Plan).

Sir,

I am directed to convey the sanction of the University Grants Commission for payment of grant of **Rs. 19,17,683/- (Rupees Nineteen Lac Seventeen Thousand Six Hundred Eighty Three Only)** to **Pt. Ravishankar shukla university- Raipur-492010, Chatishgarh** towards fellowship grant in respect of **Dr. Amber Vyas, Assistant Professor, Department of Pharmaceutics,** to carry out research at **Department of Pharmaceutics- College of Pharmacy University of Minnesota- Minneapolis, USA,** under Raman Fellowships for Post Doctoral Research in USA for the year **2015-2016** for a period of **9 Months.**

Name of the Item	Head of Account	Grant now being sanctioned	Grant already sanctioned	Total Grant
Fellowship amount of US $ 3000 per month for (9 Months)	3(A).39.31	17,88,207/-	--	17,88,207/-
Grant of $ 1200 to travel within USA		79,476/-	--	79,476/-
Contingency Rs. 50,000/- to cover for visa, airport, transfer, medical insurance		50,000/-	--	50,000/-
Total		**19,17,683/-**	--	**19,17,683/-**

2. The **sanctioned** amount is debitable under the head of account **3(A).39.31** and is valid for payment during the financial year **2016-2017** only.

3. The amount of the Grant shall be drawn by the EO (DDO) UGC on the Grants-in-aid bill and shall be disbursed to and credited to the **Registrar, Pt. Ravishankar shukla university- Raipur-492010, Chatishgarh** through Electronic mode as per the following details:

a	Details (Name & Address) of Account Holder	Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur - 010
b	Account No	10049606501
c	Name & address of Bank branch	State Bank of India. PT. R.S.U. Branch, Amanaka, G.E. Road, Raipur
d	MICR Code	492002010
e	IFSC Code	SBIN 0003739
f	Type of Account	SB

4. The Grant is Subject to the adjustment on the basis of Utilization Certificate in the prescribed proforma submitted by the University/Institution.

5. The University / Institution shall maintain proper accounts of the expenditure out of the Grants which shall be utilized only on the approved items of expenditure.

6. The University / Institution may follow the General Financial Rules, 2005 and take urgent necessary action to amend their manuals of financial procedures to bring them in conformity with GFRs. 2005 and those don't have their own approved manuals on financial procedures may adopt the provisions of GFRs. 2005 and instructions/guideline there under from time to time.

7. The Utilization Certificate to the effect that the grant has been utilized for the purpose for which it has been sanctioned shall be furnished to UGC as early as possible after the close of current financial year.

8. The assets acquired wholly for substantially out of University Grants Commission's Grant shall not be disposed or encumbered or utilised for the purposes other than those for which the grants was given without proper sanction of the UGC and should at any time the University ceased to function, such assets shall revert to the University Grants Commission.

9. A Register of Assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be maintained by the University in the prescribed proforma.

10. The grantee institution shall ensure the utilization of grants-in-aid for which it is being **sanctioned** / paid. In case of non-utilization/part utilization thereof, simple interest @ 10% per annum. as amended from time to time on the unutilized amount from the date of drawal to the date of refund as per provisions contained in General Financial Rules of Govt. of India, will be charged.

11. The University / Institution shall follow strictly the Government of India / UGC's guidelines regarding implementation of the reservation policy [both vertical (for SC, ST & OBC) and horizontal (for persons with disability etc.)] in teaching and non-teaching posts.

12. The University / Institution shall fully implement the Official Language Policy of Union Government and comply with the Official Language Act.1963 and Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules.1976 etc.

13. The sanction is issued in exercise of the delegation of powers vide UGC Order No. 69/2014[F.No. 10-11/12 (Admn. IA & B)] dated 26-3-2014.

14. The University /Institution shall strictly follow the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009.

15. The University / Institution shall take immediate action for its accreditation by National Assessment & Accreditation Council (NAAC).

16. The accounts of the University / Institution will be open for audit by the Comptroller & Auditor General of India in accordance with the provisions of General Financial Rules. 2005.

17. The annual accounts i.e. balance sheet, income and expenditure statement and statement of receipts and payments are to be prepared strictly in accordance with the Uniform Format of Accounting prescribed by Government.

18. This issues with the concurrence of IFD vide Diary No. **538** (IFD) dated **29-04-2016**

19. This issues with the approval of JS(IC) vide Diary No. **58421** dated **03-05-2016**

Yours faithfully,

(Mriganka Sekhar Sarma)
Education Officer

Copy forwarded for information and necessary action for:-

1. **The Registrar**, Pt. Ravishankar shukla university- Raipur-492010, Chatishgarh
2. **Dr. Amber Vyas**, Assistant Professor, Department of Department of Pharmaceutics Pt. Ravishankar shukla university- Raipur-492010, Chatishgarh
3. **Office of the Director General of Audit**, Central Revenues, AGCR Building, I.P.Estate, New Delhi.
4. **Accountant General Government of.** . (Chatishgarh)
5. **Guard File**

(Dharamvir Yadav)
Section Officer

ज्ञान - विज्ञान विमुक्तये
www.ugc.ac.in
Ph. No. 011-23604519

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भा त सरकार)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110 002

University Grants Commission
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of Inc
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

SPEED POST

F.NO.5-67/2016(IC)

February, 2016

10 FEB 2016

Dr. Amber Vyas
Assistant Professor
Department of Pharmaceutics
Pt. Ravishankar shukla university
Raipur-492010

Subject: - Raman Fellowship for Post Doctoral Research in USA for the Year 2015-16 to be awarded by University Grants Commission.

Sir/Madam,

With reference to your application on the subject cited above, I am pleased to inform you that the UGC has awarded you Raman Fellowship for Post-Doctoral Research in USA for a period of **9 Months.**

The candidate selected for the award of this fellowship should join the fellowship host institution in USA within six month period from the date of award announcement.

Rules governing payment of salary, Study leave, medical, gratuity, GPF and Pension etc. of the organization / institution / university to which the fellow belongs would continue to be applicable. No liability on any of these accounts will be borne by UGC. However, UGC letter No. 1-6/2012(PS) dated 7th June, 2013 (copy enclosed) may be referred to regarding the grant of study leave to university and college teachers.

The terms and conditions governing the fellowship are as follows:-

- The fellow will be entitled to fellowship amount of US $ 3000 per month.
- The fellow will also be entitled to one time personal contingency grant of up to a maximum amount of Rs. 50,000 to cover for visa, airport transfer, medical insurance etc.
- Fellow will also be permitted to travel within USA to attend conferences or other institutes of interest with the approval of the advisor of the host institute. The fellow will be provided grants for this purpose as per the following:
  I. Grant of $ 600 for fellowship period up to 6 months.
  II. Grant of $ 1200 for fellowship period beyond 6 months.

Air–tickets for the selected fellow would be purchased by the respective university/ institution by economy class for shortest route directly from Air India from their place of work in India to the place of the American host institute and back. The actual ticket amount would be reimbursed by UGC to the institution for the same on submission of the following documents duly certified by the competent authority of the institution:

- Visit Report (pro-forma enclosed).
- Utilization Certificate and Item-wise Statement of Expenditure (pro-forma en
- Fellowship Completion Certificate from the US Host Institute.
- Original Air Tickets and Boarding Passes.
- Receipts of Visa fee, SEVIS fee & Insurance charges.

The scholar should submit the above mentioned documents as per the prescribed pro-forma within 45 days after the completion of his/her research work in USA.

In case the fellow leaves the host institution or fellowship without completing the research work, he/she shall be liable for refund of entire fellowship amount within a period of 02 months, failing which it will be treated as misconduct on the part of the fellow, and the Commission shall recommend to the parent institution in India for recovery of award amount and initiation of suitable departmental action against the erring fellow.

If the above -mentioned terms and conditions are acceptable, you are requested to convey your acceptance for availing the fellowship as well as your tentative / final tour program by 15th April, 2016. However, one shall have to submit the final tour program before leaving India to pursue the research work at USA. You are also requested to submit the duly filled mandate form (account details of your university/college) along with the acceptance letter (a blank copy of mandate form enclosed).

Yours faithfully,

Encl. As above

(Dr. (Mrs) Manju Singh)
Joint Secretary

Copy to:-
The Registrar:
Pt. Ravishankar shukla university
Raipur-492010

UGC will release the admissible fellowship amount to the employer institution of the selected candidate in one instalment and the institution should also provide the same to the candidate in one installment at the time of relieving him/her. Fellowships are non-taxable as per section 10(16) of the Income Tax Act, 1961.

(Mriganka Sekhar Sarma)
Education Officer

(27)

कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु

//टीप //

जैविकी अध्ययनशाला के निम्न 03 शोध छात्र :–

1. दीपिका महोबिया
2. ज्ञानचंद साहू
3. शिवानी गुप्ता

को **UGC-BSR-JRF Science for Meritorious Students,** दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 के अवधि का फेलोशीप राशि 5,77,403.00 का भुगतान **UGC** के **Public notice No. F-N-261/2015(SA-III)/PFMS) Dt. 25.02.2016** के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के स्त्रोत से किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति **UGC** द्वारा विश्वविद्यालय को की जायेगी ।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

वित्त नियंत्रक

28

विषयः– कार्यपरिषद के पटल पर रखे जाने बाबत।

माह अगस्त मे आयोजित दीक्षांत समारोह में पीएच–डी. उपाधि धारकों को उपाधि प्रदान किया जाना है। अतः दिनांक 18.02.16 से 11.07.16 तक विभिन्न संकायों में पीएच. –डी. उपधि हेतु जारी अधिसूचना की जानकारी निम्नानुसार है :–

कला संकाय –	अंग्रेजी – 03, हिन्दी – 05, भाषा विज्ञान – 01 दर्शन शास्त्र – 01
समाजिक विज्ञान संकाय –	इतिहास – 04, मनोविज्ञान – 04, समाजशास्त्र – 02, राजनीति विज्ञान – 05, अर्थशास्त्र – 01
शिक्षा संकाय –	शिक्षा – 01
शारीरिक शिक्षा संकाय –	शारीरिक शिक्षा – 02
वाणिज्य संकाय –	वाणिज्य – 06
प्रबंध संकाय–	प्रबंध – 01
गृह विज्ञान संकाय–	गृह विज्ञान – 07
विज्ञान संकाय–	रसायन शास्त्र – 01, भौतिकी – 03, गणित –01,कम्प्यूटर साइंस– 02
जीव विज्ञान संकाय–	बायोसाइंस – 01, बॉटनी – 01, जूलॉजी – 01, बॉयोटेक्नालॉजी– 01, मानव विज्ञान – 02, बायोकेमिस्ट्री – 01
टेक्नालॉजी संकाय–	फार्मेसी – 02

इस प्रकार कुल 58 शोधार्थियों को पीएच.–डी. उपधि हेतु अधिसूचना जारी की चुकी है। शोधार्थियों की सूची माननीय कार्यपरिषद के पटल पर अनुमोदन हेतु रखा जाना है।

//कार्यालयीन टीप //

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक 230/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 21 जून 2016 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में पुनरीक्षित वेतनमान में 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2016 से महंगाई भत्ते की दर 119 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत की दर से प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस वृद्वि से विश्वविद्यालय पर प्रतिमाह लगभग 12336.00 का एवं वित्तीय सत्र 2016–17 में रूपये 148036.00 का अतिरिक्त व्यय भार आवेगा ।

महंगाई भत्ते की संशोधित दर :–

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.01.2016 (माह जनवरी, 2016 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी, 2016 में देय है)	125 प्रतिशत

अतः महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत को आगामी के वेतन में जोड़ने एवं प्रकरण आगामी कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत् ।

वित्त नियंत्रक

वित्त निर्देश 19/2016

30

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 230/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 21 जून, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- **छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।**

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 351/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 5 नवम्बर, 2015 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.07.2015 से 119 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये । वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2016 से (माह जनवरी, 2016 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी, 2016 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी

स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 21/05/2010
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क. 231/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 21 जून, 2016

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
15. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मंत्रालय एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग. ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।

25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन,मंत्रालय, चेन्नई 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंड़ीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वी मंजिल सी-ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रेदश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्धप्रदेश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरूवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020.

58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन, चड़ीगढ़ 160047.
63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 700001.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.
69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड,कोहिमा 797001.
71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
72. संचालक,लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
73. महालेखागार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन,विकास भवन, नई दिल्ली
75. नियंत्रक लेखा,विदेश मंत्रालय,केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
77. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

35

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु टीप :–

विषय :– विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के Servers के वार्षिक रखरखाव (AMC) एवं Anti-Virus Server (400 users) के संबंध में।

विश्वविद्यालय कैंपस एरिया नेटवर्क के Servers के वार्षिक रखरखाव (AMC) एवं Anti-Virus Server 400 Users के लिए निविदा क्रमांक 286/C.Sc./2016 दिनांक 30/04/2016 को जारी की गयी थी जिसमे चार फर्मो से निविदा प्राप्त हुए थे । दिनांक 03/06/2016 को चार फर्मो से प्राप्त लिफाफा बंद निविदा समिति सदस्यों के समक्ष एवं दो फर्मो के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला गया । जिन्होंने तकनीकी शर्तों को पूर्ण किया उनमे से न्यूनतम दर के आधार पर M/s Key Computers, शंकर नगर, रायपुर की दर को न्यूनतम पाया गया, जिसके आधार पर निविदा खोलने की समिति (DPC) एवं (CPC) ने राशि 8,13,300/- (आठ लाख तेहर हजार तीन सौ रुपये मात्र) रुपये में वार्षिक रखरखाव (AMC) M/s Key Computers, शंकर नगर, रायपुर से अनुबंध करवाए जाने की अनुशंसा की गई । जिसमे Servers की AMC हेतु राषि 6,53,700/- (छः लाख तिरपन हजार सात सौ रुपये) एवं 400 users के लिए Anti-Virus Server के supply and installation हेतु राषि 1,59,600/- (एक लाख उनसठ हजार छः सौ रुपये) है इस प्रकार कुल राशि 8,13,300/- (आठ लाख तेहर हजार तीन सौ रुपये मात्र) है। जिसका भुगतान विश्वविद्यालय के बजट Other SoS के क्रमांक – 7, Networking/ Website /WiFi / Equipment /Server up-gradation/ Licence Software & its maintenance से किया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्तानुसार कार्य की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

25-7-16

25-07-2016

HEAD
SoS in Computer Science & IT
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C.G.)

(36)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु टीप

वित्तीय सत्र 2016–17 अनुमानित बजट के परीक्षा मद में Central Valuation हेतु बजट राशि रू. 150.00 लाख में राशि कम शेष होने के कारण परीक्षा मद के ही Renovation & Construction of Guest house/ New Guest house/ International Convention Centre में रखी गई राशि रू. 100.00 लाख में से राशि रू. 70.00 लाख स्थानांतरित किया गया है ।

अतः माननीय कार्यपरिषद् के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत ।

25/7/16

37

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण के दर में एकाएक वृद्धि के संबंध में जानकारी एवं शेष बचत राशि रू0 47,60,334.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.03.2016 में विषय क्रमांक 07 पर माननीय कार्यपरिषद ने उत्तर पुस्तिका मुद्रण के निर्माण हेतु दर में एकाएक वृद्धि किस कारण से हुई है, के संबंध में छत्तीसगढ़ संवाद से जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेशित किया है, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को पत्र क्रमांक 128/विकास/उ.पु.मु./2016 दिनांक 22.04.2016 एवं पत्र क्रमांक170/विकास/उ0पु0मु0/2016 दिनांक 31.05.2016 जारी किया गया । विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में छ0ग0 संवाद ने अपने पत्र कमांक 5714/छ.ग.सं/प्रकाशन/16–17 दिनांक 07.06.2016 के द्वारा जानकारी दी है कि–

"वर्ष 2015 के लिए उत्तर पुस्तिका मुद्रण हेतु जो दर निर्धारित की गई थी वह छत्तीसगढ़ संवाद में वर्ष 2012–13 में आमंत्रित निविदा की न्यूनतम दर के आधार पर मुद्रण दर तय की गयी थी। वर्ष 2016 के लिए उत्तरपुस्तिका मुद्रण हेतु जो दर निर्धारित की गई थी वह मुद्रण के लिए वर्ष 2014–15 में मुद्रण हेतु आमंत्रित दर के अनुसार तय की गई थी। दोनों वर्षो के लिए उत्तर पुस्तिका मुद्रण हेतु प्राप्त निविदा दरों में अंतर होने के कारण दरों में वृद्धि हुई है।"

संवाद ने उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शेष राशि का भुगतान करने हेतु आपके पत्र में उल्लेख किया है। पत्र की प्रति अवलोकन हेतु संलग्न है।

कृपया अवगत हो कि माननीय कार्यपरिषद से उत्तर पुस्तिका मुद्रण की कुल राशि 1,97,60,334=00 भुगतान की स्वीकृति दी है जिसमें से छ.ग. संवाद को रू. 1,50,00,000=00 का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि रू. 47,60,334=00 का भुगतान किया जाना शेष है।

अतः छ0ग0 संवाद द्वारा प्रस्तुत पत्र अवलोकनार्थ एवं वर्ष 2015–16 की परीक्षा के लिए मुद्रित मुख्य एवं पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रण की शेष राशि रू0 47,60,334=00 (रू. सैंतालीस लाख साठ हजार तीन सौ सैंतीस) का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद को किये जाने की स्वीकृति के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

23-7-16

38

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.06.2016 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण के संबंध में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.06.2016 में पूरक विषय सूची क्रमांक 10 पर माननीय कार्यपरिषद ने संबंधित अवधि (2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12) में परीक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन पत्रों के विक्रय संख्या से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है, जिसके परिपालन में चाही गई जानकारी वर्षवार निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

परीक्षा आवेदन फार्म –

क्र.	विवरण	सत्र 2008–09
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	1,64,469 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या	1,99,787 फार्म
03.	कुल विक्रय फार्म संख्या	1,86,988 फार्म
04.	विक्रय फार्म की राशि	रू. 55,02,907=00
05.	भण्डार में बचत फार्म संख्या –	12,799 फार्म (2009–10 में स्थानांतरित)

क्र.	विवरण	सत्र 2009–10
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	1,74,366 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या – वर्ष 2008–09 का शेष फार्म –	2,49,750 फार्म + 12,799 फार्म
03.	कुल योग फार्म की संख्या	2,62,549 फार्म
04.	कुल विक्रय फार्म संख्या	2,35,985 फार्म
05.	विक्रय फार्म की राशि	1,24,98,503=00
06.	भंडार में बचना चाहिए –	26,564 फार्म
07.	किन्तु भण्डार में बचत फार्म संख्या –	14,595 फार्म
08.	भंडार में कम पाये गए फार्म की संख्या	11,969 फार्म

क्र.	विवरण	सत्र 2010–11
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	2,02,583 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या	2,65,600 फार्म
03.	कुल विक्रय फार्म संख्या	2,30,282 फार्म
04.	विक्रय फार्म की राशि	2,18,03,652=00
05.	भंडार में बचना चाहिए –	35,318 फार्म
06.	किन्तु भण्डार में बचत फार्म संख्या –	22,057 फार्म
07.	भंडार में कम पाये गए फार्म की संख्या	13,2161 फार्म

क्र.	विवरण	सत्र 2011–12
01.	परीक्षार्थियों की संख्या	2,24,547 छात्र
02.	मुद्रण फार्म संख्या	3,00,000 फार्म
03.	कुल विक्रय फार्म संख्या	2,24,547 फार्म
04.	विक्रय फार्म की राशि	2,27,20,380=00
05.	भंडार में बचना चाहिए –	75,453 फार्म
06.	किन्तु भण्डार में बचत फार्म संख्या –	73,239 फार्म
07.	भंडार में कम पाये गए फार्म की संख्या	2,214 फार्म

अतः उपरोक्त जानकारी के साथ श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत ।

26.7.16

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषयः- श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त), निम्न वर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 पर कार्यपरिषद के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा, सुनवाई के उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार करना।

1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 524/सा.प्रशा./2015 दिनांक 12.02.2015 के द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा को विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त किया गया।
2. श्री शर्मा द्वारा कुलपति महोदय के समक्ष, दिनांक 27.02.2015 को अपील प्रस्तुत की गई।
3. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2015 में उनके द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार-विमर्श पश्चात् अपील की सुनवाई के संबंध में कार्यपरिषद के 04 सदस्यों की समिति के गठन का निर्णय लिया गया ।
4. कार्यपरिषद के सदस्यों की गठित उप समिति के द्वारा, अपील पर सुनवाई हेतु आयोजित बैठक दिनांक 03.02.2016 के कार्यवृत्त में मुख्यतः निम्न अनुशंसाएं की गई हैं:-

(i) अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा निःसन्देह अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। किन्तु उन पर लगाये गये राशि रूपये 30,13,370/- गबन का आरोप सही न होकर केवल फार्मों के वितरण में पायी गयी कमी देखने को मिलती है।

(ii) कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपीलार्थी को बर्खास्तगी के रूप में दिया गया दण्ड कठोर प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन उसके द्वारा की गई लापरवाही के सम्बन्ध में उनकी एक वेतनवृद्धि दो वर्ष तक रोकने का दण्ड दे सकता है।

(iii) समिति यह भी अनुशंसा करती है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भण्डारण में रखे गये विभिन्न फार्मों का, विभागीय अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(उप समिति की अनुशंसा संलग्न है)

जानकी प्रसाद शर्मा के प्रकरण के संबंध में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की गई आपत्ति से सबंधित परीक्षण-रिपोर्ट संलग्न है।

अतः प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

40

बैठक दिनांक 03.02.2016 का कार्यवाही विवरण

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30 / 07 / 2015 में लिये गये निर्णयानुसार जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न श्रेणी लिपिक (बर्खास्त), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27 / 02 / 2015 के सम्बन्ध मे विचार–विमर्श के पश्चात् अपील की सुनवाई के सम्बन्ध मे कार्यपरिषद के सदस्यों की गठित समिति की पूर्व निर्धारित **बैठक दिनांक 03 / 02 / 2016 को संचालक महाविद्यालय विकास परिषद के कक्ष में दोपहर 12:30 बजे आयोजित की गई।**

उक्त बैठक मे निम्न सदस्य उपस्थित रहे हैं :–

1.	श्री सत्यनारायण शर्मा (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	अध्यक्ष
2.	श्री शिवरतन शर्मा (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य
3.	श्री नवीन मारकण्डेय (माननीय विधायक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह (प्राध्यापक एवं कार्यपरिषद सदस्य)	–	सदस्य

समिति द्वारा अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं उनके बचाव सहायक श्री हेमंत शर्मा की उपस्थिति में सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रशासन की ओर से श्री जीवन सिदार द्वारा समिति के समक्ष चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

श्री जानकी प्रसाद शर्मा के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लगाये गये विभिन्न 15 अरोपों का समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया गया एवं अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं उनके बचाव सहायक श्री हेमंत शर्मा को बचाव का अवसर देते हुये, आरोप के विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा। उनके द्वारा विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये समिति के समक्ष विभिन्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये।

सुनवाई के दौरान समिति के समक्ष निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1. अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा विकास विभाग में स्थानांतरण के पश्चात्, उन्हें सौंपे गये कार्य, बिना विधिवत चार्ज लिये एवं दिये, प्रारम्भ कर दिया गया था।
2. श्री जानकी प्रसाद शर्मा के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों में आरोप के बिन्दु क्रमांक 01 मे यह भी उल्लेखित किया गया है कि – श्री शर्मा को विकास विभाग द्वारा विभिन्न फार्मो के विक्रय किये जाने हेतु सौंपे गये कार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह न करने बावत्।

   जबकि वास्तव में उन्हें विभिन्न फार्मो के वितरण का कार्य सौंपा गया था।

क्रमशः ..2

अपचारी कर्मचारी पर राशि रुपये 30,13,370/- के गबन का जो आरोप लगाया गया है। वह वास्तव में गबन इसलिये नही माना जा सकता क्योंकि उसके द्वारा फार्मो का विक्रय नही किया जाता था। बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मांग के आधार पर रिकार्ड पंजी में हस्ताक्षर कराकर सीधे महाविद्यालय को फार्म उपलब्ध कराने के साथ–साथ कैश काउन्टर में जमा राशि के रसीद के आधार पर फार्मों का वितरण किया था। अतः इसे गबन न मानते हुये फार्मों के वितरण में पायी गयी कमी की राशि का नुकसान परिलक्षित होती है।

4. प्रकरण मे की गई प्राथमिक जाँच के समय श्री जानकी प्रसाद शर्मा स्वयं उपस्थित थे एवं विकास विभाग में प्राथमिक जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर भी पाये गये है। जॉच अधिकारी द्वारा प्राथमिक जाँच एवं उनसे सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर ही जॉच की कार्यवाही सम्पन्न की गई प्रतीत होती है।
5. प्रशासनिक विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के तहत् ही प्रकरण में विभिन्न कार्यवाहियॉ एवं बर्खास्तगी की कार्यवाही सम्पन्न की गई।
6. समिति दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात्, अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह मानती है कि – अपीलार्थी श्री शर्मा के द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है।

उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई के उपरान्त सर्वसम्मति से समिति निम्नानुसार अनुशंसा करती है कि :–

1. अपीलार्थी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा निःसन्देह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गयी है। किन्तु उन पर लगाये गये राशि रुपये 30,13,370/– गबन का आरोप सही न होकर केवल फार्मो के वितरण में पायी गयी कमी देखने को मिलती है।
2. कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपीलार्थी को बर्खास्तगी के रुप में दिया गया दण्ड कठोर प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन उसके द्वारा की गई लापरवाही के सम्बन्ध मे उनकी एक वेतनवृद्धि दो वर्ष तक रोकने का दण्ड दे सकता है।
3. समिति यह भी अनुशंसा करती है कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में भण्डारण में रखे गये विभिन्न फार्मों का, विभागीय अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(श्री सत्यनारायण शर्मा) अध्यक्ष	(श्री शिवरतन शर्मा) सदस्य	(श्री नवीन मारकण्डेय) सदस्य	(डॉ. भगवंत सिह) सदस्य

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बाइसवाँ* बैठक शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2016 को अपरान्ह 03.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना। (पृ.क्र. 01 से 08 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2016 के निर्णय अनुसार "विश्वविद्यालय महिला समाज" का गठन करने संबंधी विस्तृत रूपरेखा का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 9 से 12)

03. डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, असिस्टेंट प्रोफेसर को स्वीकृत कर्तव्य अवकाश के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 13)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

04. वर्ष 2016 वार्षिक परीक्षा गोपनीय मुद्रण भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : जानकारी पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

05. रेडियेन्ट वे पब्लिक स्कूल के वाहनों को विश्वविद्यालय परिसर से आने–जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु विचार करना। (पृ.क्र. 14 से 15 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

06. डॉ. अलेख साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि अध्ययन शाला के विरूद्ध प्राप्त अनेक गंभीर शिकायतों की जानकारी के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 16 से 35)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

07. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के शैक्षणिक कार्यों के प्रति विमुखता पाये जाने संबंधी प्रकरण पर विचार करना। (पृ.क्र. 36

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.04.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना। (पृ.क्र. 37 से 39 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 1850 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016 रायपुर, दिनांक: 28/07/2016

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 27.07.2016 अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
3. डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
4. डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
5. डॉ. शैल शर्मा	–	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	–	सदस्य
7. श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

अनुपस्थित सदस्य – डॉ. शैलेन्द्र सराफ, डॉ. अमरकांत पाण्डेय, डॉ. रश्मि मिंज,

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	सी.आई.टी. विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अगनपुर, नया रायपुर (B.Sc. I Maths Group, B.Sc. I Bio Group-2014-15)	B.Sc. II Year-Maths Group-Physics, Chemistry, Math	40	2016–17	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला 3. प्रो. आर.एन. बघेल, भौतिकी अध्ययनशाला 4. डॉ. अमिताभ बनर्जी, प्राचार्य, शास. महा. नगरी
		B.Sc. II Year-Bio Group-Chemistry, Botany, Zoology	40	2016–17	
	निरीक्षण तिथि : 18.07.2016 – 1. बी.एस.सी. भाग–II के गणित समूह एवं बायो समूह 40–40 छात्रों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रयोगिक कक्षाओं के लिये पर्याप्त अधोसंरचना है। 2. पुस्तकायल में पुस्तकें पर्याप्त हैं, कुछ पुस्तकों की और आवश्यकता होगी। 3. धारा–28 में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है।				

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	शास. नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा (B.A.LLB.-I, II - 2014-15 & 2015-16)	B.A.LLB.-III - Integrated course (Five Year)	60	2016–17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2. डॉ. विनीता अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, विधि, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 19.07.2016

दिनांक 19.07.2016 को विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा शासकीय नवीन विध महाविद्यालय का निरीक्ष्ज्ञण कियागया समिति ने पाया कि (1) महाविद्यालय के पास वर्तमान में कक्षाओं हेतु पर्याप्त अधोसरंचना है। (2) प्राचार्य द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय हेतु पृथक भवन का निर्माण ग्राम देवरी में किया जाना प्रस्तावित है जिस पर शासकीय स्तर पर कार्यवाही चल रहा है। शासन द्वारा विधि के 5 शिक्षकों का सेट–अप विभाग हेतु स्वीकृत है। (3) महाविद्यालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं। तृतीय वर्ष (जिसकी याचना हेतु महाविद्यालय में आवेदन किया है) उसकी पुस्तकें खरीदी जा चुकी हैं AIR Manual का सेट भी खरीदा जा चुका है। (IV) भविष्य में Moot court की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका फर्नीचर वगैरह बनवाने की कार्यवाही चल रही है। (V) प्राचार्य द्वारा जनकारी गई कि समीप के गांवों में Legal Awareness Camp लगाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा ग्रामीणों को लोकोपयोगी अधिनियमों की जानकारी प्रदाय की जावेगी। (VI) कोर्ट के बाहर विवादित प्रकरणों के निपटारे तथा संबंधित पक्षकारों को समझाईश देकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक legal Aid Client का गठन भी महाविद्यालय द्वारा किया गया है BCI के प्रावधानों हेतु अनुसार इसका गठन कोर्ट में लम्बित प्रकरणों की संख्या कम करने के लिए आवश्यक है। समिति अनुशंसा करती है महाविद्यालय की BALLB-III year की सम्बद्धता 2016–17 के लिए प्रदान की जा सकती है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03.	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ महावि. रायपुर	LLB.-I st year	160	2016-17	1. प्रो. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययनशाला 2.प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि.प्रबंधन संस्थान 3. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अ.शा.
		LLB.-IInd year		2017-18	
		LLB.- IIIrd year		2018-19	

निरीक्षण तिथि :– 25.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1722 / अका. / संबद्धता / 2016 दिनांक 12.07.2016 के संदर्भ में LLB.-IIIrd year (2016-17, 2017-18, 2018-19) के लिये निरीक्षण किया।

1. Infrastructure पर्याप्त है। Library में पुस्तकें एवं जर्नल पर्याप्त है।
2. Moot Court के आधुनिकरण की आवश्यकता है।
3. Sanctioned post (07+01) के विरूद्ध केवल 04 शिक्षक कार्यरत् है अंशकालिक शिक्षकों नियमानुसार Court के संदर्भ में Practical हेतु आवश्यकता।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर LLB पाठ्यक्रम को सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के लिये अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04.	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो.–बीजभाटा, जिला–बेमेतरा (B.B.A.-I,II, B.Com - I,II B.C.A - I,II-- 2012-13, 2013-14)	B.B.A.-III	30	2014–15	1. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, वि.वि. प्रबंधन संस्थान 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ महावि. रायपुर 3. डॉ. ए.के. तिवारी, प्राचार्य, दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
		B.Com - III (Compulsory Subject with Computer Application)	30		
		B.C.A - III	30		

निरीक्षण तिथि :– 02.07.2016

वि.वि. पत्र क्रमांक 1670/अका./2016 दिनांक 05.07.2016 के संदर्भ में निरीक्षण किया गया।

1. BBA-IIIrd year, B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (Computer Application) सभी 30 सीट के लिये Infrastructure पर्याप्त है।
2. B.C.A.-IIIrd year & B.Com. (C.A.) के Computer Lab-40 No. के साथ उपलब्ध है लेकिन Licence Software लेने की आवश्यकता है।
3. Library में पुस्तके छात्र/सीट सं. के अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
4. परिनियम 28 के तहत शिक्षक नहीं है लेकिन अन्य शिक्षक उपलब्ध है। परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु विज्ञापन एवं अन्य कार्यवाही की गई है। (संलग्न है)

निर्णय : अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016–17 से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।
संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 3 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05.	संत गुरु घासीदास शास. स्ना. महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी (M.Sc. Prev.- Mathematics M.A. Prev- Economics- 2015-16)	M.Sc. Final- Mathematics	20	2016–17	1. डॉ. एच.के. पाठक, आचार्य, गणित अध्ययनशाला 2. डॉ. अमिताभ बेनर्जी, शासकीय सुखराम नागे महा. नगरी–सिहावा
		M.A. Final- Economics	25	2016–17	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 2. डॉ. के.के. बिन्दल, शास. जे.यो. छत्तीसगढ महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि :– 18.07.2016

आज दिनांक 18.07.2016 को M.Sc. final, Mathematics (20 Seats) एवं M.A. third Semester, Economics (25 Seats) की सत्र 2016–17 में सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये –

1. कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. M.Sc. Maths हेतु दो अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है।
3. M.A. Eco. में वर्तमान में कोई भी शिक्षक नहीं है, अतः 2 शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालय में ग्रंथागार में विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें हैं।
5. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें स्थायी प्राचार्य नियुक्त है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06.	शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय महाविद्यालय, गरियाबंद	M.A. Previouse Economics	25	2016–17	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंध संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायुपर 2. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, एवं आचार्य अर्थशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. विनोद कुमार जोशी, डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महावि. रायपुर
	शासन का आदेश पृ. क्र. 3–35 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 21.08.2015				
	निरीक्षण तिथि :– 20.07.2016 1. Building is used for collectorate purpose, So college classes are going on a school building. 2. One Assistant Professor is looing after the subject other Posts are vacant. 3. The atmosphere is not very encouraging for PG Class. 4. No. books in the library.				
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।				

03. परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने मानद् उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : परिनियम क्रमांक–14 Honorary Degree के प्रावधानानुसार मानद् उपाधि प्रदान करने के लिये पद्म विभूषण डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर, इमरेट्स प्रोफेसर आयुका, पुणे को दिनांक 10 अगस्त, 2016 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामयी बाईसवां दीक्षांत–समारोह में उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र मे राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए डी.एस–सी. (विज्ञान संकाय) की मानद् उपाधि प्रदान करने हेतु मानद उपाधि समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

04. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका के अनुसार विभिन्न विषय / पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–33 / 2015 / 38–1 नया रायपुर, दिनांक 05.07.2016 के आदेशानुसार विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016–17 से निम्नलिखित विषय / पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त कर, सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालयों का नाम	कक्षा/विषय	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महावि., रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायोलॉजी)	40
		बी.एस.सी. (गणित)	25
2	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा, जिला–रायपुर	डी.सी.ए.	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60

3	शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	50
		बी.काम. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. गणित प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	25
4	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, जिला–रायपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो)	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित)	10
5	शासकीय दूब. महिला पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. (गणित) प्रथम वर्ष	15
		एम.एस.सी. रसायशास्त्र	5
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	5
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	5
		एम.एस.सी. फूड एंड न्यूट्रिशन	5
		पी.जी. डिप्लोमा इन डायटेटिक्स	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		एड ऑन कोर्स इन कम्प्युटर साईंस	10
6	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर	एल.एल.एम.	10
		एम.ए. भूगोल	5
7	शासकीय दाउ कल्याण सिंह महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजर	बी.ए भाग–1	20
		बी.एस.सी. भाग 1 (बायोलाजी)	30
		बी.एस.सी. भाग 1 (गणित)	20
		बी.एसी. भाग 1 आई.टी.	3
		बी.काम. भाग 1	30
		एम.एस.सी. गणित	10
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	5
8	शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. भाग एक	20
		बी.एसी. भाग एक बायो.	20
9	शासकीय महाविद्यालय, कसडोल, जिला–बलौदाबाजार	बी.ए. प्रथम वर्ष्ज	40
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एसी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
10	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय,	बी.ए. प्रथम वर्ष	40

	भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो समूह	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	10
		एम.एस.सी. गणित	15
11	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम, जिला– गरियाबंद	बी.एस.सी बायो समूह प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. गणित समूह प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	60
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	30
12	शासकीय महाविद्यालय, छुरा जिला– गरियाबंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. बायो समूह प्रथम वर्ष	20
13	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कुरूद, जिला– धमतरी	बी.कॉम प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित	40
		एम.ए. पूर्व भूगोल	10
		एम.एस.सी. पूर्व रसायन	10
		एम.एस.सी. पूर्व भौतिकी	10
14	शासकीय महाविद्यालय, भखारा , जिला–धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	5
		बी.काम. प्रथम वर्ष	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	5
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए.	5
		डी.सी.ए.	5
15	शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
16	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य पीजी महा. महासमुंद, जिला–महासमुंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	80
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	10
		बी.काम. प्रथम वर्ष	40
		एम.काम. प्रथम सेमेस्टर	10
		एम.एस.सी. रसायन प्रथम सेमे.	5
		एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र	5
		एम.ए. समाज शास्त्र प्रथम सेमे.	5
		एम.एस.सी. गणित	5
		पी.जी.डी.सी.ए.	20

		डी.सी.ए.	10
17	शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. बायो. प्रथम वर्ष	20
18	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली, जिला–महासमुंद	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित	15

05. यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः यू.जी.सी. द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुवीक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2016 अनुसार रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व इस विश्वविद्यालय से पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त अथवा पंजीकृत उपाधि धारकों को प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई एवं प्रमाणपत्र के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

06. सत्र 2015–16 एवं 2016–17 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–

शासकीय महाविद्यालय

2015–16

1 शास. डी.बी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–रायपुर
2 शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
3 शास. डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या महाविद्यालय दुर्ग

2016–17

4 शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
5 शासकीय गहाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
6 नवीन शास. कालेज भखारा, जिला–धमतरी
7 डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
8 शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला– बलौदाबाजार
9 शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला–गरियाबंद
10 शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी

अशासकीय महाविद्यालय

1 ओम श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला–रायपुर (छ.ग.)
2 शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर छ0ग0)
3 विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
4 कोलम्बिया कालेज, प्लाट नं.–97, ग्राम–टेकारी, पो.आ.–मांढर, जिला–रायपुर (छ.ग.) 493111
5 श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
6 सेंचुरी सिगेंट गहाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला–रायपुर (छ.ग.)
7 दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
8 दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
9 शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)
10 कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा

11 नवीन शासकीय कालेज भखारा, जिला–धमतरी
12 गुरूकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)
13 महंत लक्ष्मी नारायण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
14 विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.
15 विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया–मंदिर हसौद, जिला–रायपुर (छ.ग)
16 इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड़, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
17 नानकचंद रगेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, जिला–रायपुर (छ.ग.) (2015–16)

निर्णय : सत्र 2015–16 एवं सत्र 2016–17 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01.	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर	PGDCA	40	2016–17	1. डॉ. अनिल तिवारी, प्राचार्य, दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर 2. डॉ. समीर ठक्कर, शासकीय नागार्जुन विज्ञान पीजी कालेज, रायपुर
		DCA	40	2016–17	
	निरीक्षण तिथि : 26.07.2016 – 1. अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. प्रयोगशाला उपलब्ध है। (कम्प्यूटर प्रयोगशाला **PGDCA/DCA** हेतु) 3. कालेज में कुल 25 कम्प्युटर उपलब्ध है। 4. 05 कम्प्यूटर की आवश्यकता है। 5. बीस हजार रुपये (20,000=00) की कम्प्यूटर से संबंधित किताबें क्रय कियए जाने की आवश्यकता है। 6. नए कोर्स हेतु दो शिक्षकों एवं एक प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की जावे।				
	निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।				

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 1851 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2016 रायपुर, दिनांक: **28/07/2016**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

कार्यपरिषद के समक्ष रखने हेतु संक्षेपिका

(9)

विषय :– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.02.2016 के निर्णय अनुसार "**विश्वविद्यालय महिला समाज**" का गठन करने संबंधी विस्तृत रूपरेखा का प्रारूप अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.02.2016 को अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय के बिन्दु क्रमांक 03 में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय परिवार की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास एवं आर्थिक स्वालम्बन के विकास हेतु "विश्वविद्यालय महिला समाज का गठन करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। साथ ही साथ इसके लिये विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया था।

इस संबंध में विश्वविद्यालय महिला समाज के गठन हेतु विस्तृत रूपरेखा तैयार कर प्रारूप संलग्न है।

अतः कृपया "विश्वविद्यालय महिला समाज" के गठन संबंधी विस्तृत प्रारूप कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनियम क्रमांक –

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय महिला समाज

नाम : नव गठित महिला समाज का नाम "पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, महिला समाज होगा।

उद्देश्य :

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिवार की सभी महिलाओं जिनमें अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवारों की स्त्री सदस्याएं शामिल हैं के साथ–साथ विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों, महिला कर्मचारियों एवं अध्ययनरत छात्राओं में अपने अधिकारों की सुरक्षा, महिला वर्ग में जागरूकता लाने ,महिला सशक्तिकरण एवं उनके स्वालम्बन के उद्देश्य से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय महिला समाज का गठन किया जाना है।

कार्य एवं गतिविधियाँ :

1. महिलाओं में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने हेतु विभिन्न बैठकों का आयोजन करना।
2. कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के सम्मान को बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
3. महिलाओं को उन्हें प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने हेतु सेमिनार/वर्कशाप का आयोजन करना।
4. महिलाओं की उद्यमशीलता एवं उनके कौशल में विकास हेतु निरंतर प्रयास करना।
5. कार्यस्थल पर किसी अप्रिय/निंदनीय घटना के होने पर, तुरन्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
6. कार्यस्थल को साफ–सुथरा बनाये रखने एवं दूषित वातावरण को स्वच्छ बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
7. महिला वर्ग की रचनाशीलता में वृद्धि करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।
8. विश्वविद्यालय में कला, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में सहयोग करना।
9. विश्वविद्यालय में विशेषकर हॉस्टल निवासी अध्ययनरत छात्राओं एवं छात्रों को आत्मीय एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
10. महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक प्रयत्न करना।
11. जरूरतमंद एवं निर्धन महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाना। इसके अतिरिक्त अन्य वे सारे कार्य एवं कार्यक्रम संचालित करना जिनसे महिलाओं के हित की रक्षा होती हो।

पदाधिकारी :

1. संरक्षक
2. अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष
4. सचिव
5. सह–सचिव
6. कोषाध्यक्ष
7. कार्यकारिणी के सदस्य –06

टीप – उपरोक्त सभी पदाधिकारियों के अलावा कार्यकारिणी में अन्य 06 सदस्य भी शामिल किये जायेंगे।

सदस्यता :

विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक, महिला कर्मचारी, विश्वविद्यालय में कार्यरत पुरूष कर्मचारियों की पत्नियाँ साथ रह रहीं पुत्रियाँ, पुत्रवधु एवं अध्ययनरत छात्राएँ महिला समाज के सदस्य होंगे।

सदस्यता शुल्क :

मनोनीत पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में सामूहिक निर्णय के द्वारा सदस्यता शुल्क का निर्धारण शैक्षणिक सत्र हेतु 01 वर्ष के लिए किया जावेगा।

निर्धारित सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करायी जायेगी। बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सचिव/कोषाध्यक्ष चार में से तीन के सामूहिक हस्ताक्षर से किया जा सकेगा जिसपर कम से कम 03 के हस्ताक्षर से चेक जारी किया जा सकेगा।

सदस्यता शुल्क जमा करने पर ही महिला समाज की सदस्यता वैध मानी जावेगी। सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय अनुदान राशि का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु किया जा सकेगा।

पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन –

1. नवगठित महिला समाज के संरक्षक कुलपति होंगे।
2. विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार के परिवारों की महिला सदस्य क्रमशः विश्वविद्यालय महिला समाज की पदेन अध्यक्ष एवं सचिव होंगी।
3. महिला समाज के उपाध्यक्ष, सह–सचिव एवं कोषाध्यक्ष का मनोनयन कुलपति जी के द्वारा प्रत्येक 02 वर्षों के अन्तराल में किया जावेगा।
4. महिला कुलपति अथवा महिला कुलसचिव होने की स्थिति में सर्वाधिक वरिष्ठ अध्यापिका एवं द्वितीय वरिष्ठ अध्यापिका अध्यक्ष एवं सचिव होंगी।
5. कार्यकारिणी में पदाधिकारियों के अतिरिक्त 06 सदस्यों का मनोनयन भी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के महिला शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उनकी योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा। यह मनोनयन भी 02 वर्षों के अन्तराल में किया जावेगा।

पंजीयन :

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय महिला समाज का पंजीयन–छत्तीसगढ़ सस्थाओं के पंजीयन एक के मुताबिक रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी के कार्यालय में कराया जावेगा।

संचालन :

विश्वविद्यालय महिला समाज का संचालन का सामुहिक दायित्व पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का होगा।

महिला समाज के संचालन हेतु कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही सांस्कृतिक, साहित्यिक, एवं प्रचार–प्रसार समाज का गठन मनोनयन के आधार पर किया जावेगा।

कार्यकारिणी में सर्वसम्मति/बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत ही उसे कार्यरूप में परिणत किया जा सकेगा।

महिला समाज की बैठकः

शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में, महिला समाज की प्रथम आम बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में, विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित स्थान पर किया जावेगा।

कार्यकारिणी की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से ऐजेन्डे के साथ कभी भी आयोजित की जा सकेगी किन्तु 03 माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जावेगी। बैठक की सूचना कम से कम 03 दिन पूर्व दी जावेगी एवं आपातकालीन बैठक की सूचना 01 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

आम सभा :

विश्वविद्यालय महिला समाज की आमसभा का आयोजन वर्ष में 01 बार अनिवार्य होता। आमसभा में एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर निर्णय अथवा प्रस्ताव पारित किया जा सकेगा। जो कि सर्वमान्य होगा।

वित्त :

बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सचिव/कोषाध्यक्ष चार में से तीन के सामूहिक हस्ताक्षर से किया जा सकेगा जिसपर कम से कम 03 के हस्ताक्षर से चेक जारी किया जा सकेगा। जिसपर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

(13)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

माननीय कार्यपरिषद् की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु

विषय : डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, असिस्टेंट प्रोफेसर को स्वीकृत कर्त्तव्य अवकाश के अनुमोदन बाबत्।

डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययन शाला को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र F 30-18/2016(SA-II) दिनांक 18.04.2016 के अनुसार यू.जी.सी. रिसर्च अवार्ड (शोध केन्द्र रसायन अध्ययन शाला) हेतु चयन हुआ है। जिसमें इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 18.04.2016 से 03 माह के अंदर उपस्थिति देना था।

डॉ. मनमोहन लाल सतनामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन अध्ययन शाला को यू.जी.सी. रिसर्च अवार्ड हेतु कार्यभार ग्रहण की तिथि से दो वर्ष का कर्त्तव्य अवकाश छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के तहत कुलपति जी द्वारा स्वीकृत किया गया है।

कुलपति जी द्वारा उपरोक्त अनुसार स्वीकृत कर्त्तव्य अवकाश कार्यपरिषद के सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(14)

पूरक सूची कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2016

विषय :– रेडियेन्ट वे पब्लिक स्कूल के वाहनों को विश्वविद्यालय परिसर से आने–जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु विचारार्थ।

मंगल दुबे मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित रेडियेन्ट वे स्कूल विश्वविद्यालय परिसर से लगी भूमि पर संचालित किया जा रहा है। प्रतिदिन उक्त स्कूल के छात्र–छात्राओं को लाने ले जाने वाले समस्त वाहन (बस/ऑटो आदि) विश्वविद्यालय के मुख्य मार्ग से ही होकर स्कूल आते–जाते हैं।

विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग के भवन निर्माण समिति के द्वारा दिनांक 24.10.2002 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर से लगे रेडियेन्ट पब्लिक स्कूल को विश्वविद्यालय के मार्ग का उपयोग करने के लिए, आनुपातिक सड़क संधारण में विश्वविद्यालय को भुगतान करने संबंधी नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे विश्वविद्यालय की माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2002 में अनुमोदित किया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्कूल के संचालकों को अपने स्कूल के वाहनों के आवागमन की लिखित अनुमति नहीं दी गई थी फिर भी उनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर से अपने वाहनों को लाने ले जाने का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उक्त स्कूल के पास शासकीय सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है जहाँ से उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का उस मार्ग से आना–जाना भी प्रारंभ हो चुका है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रेडियेन्ट वे स्कूल के संचालकों द्वारा माननीय न्यायालय में स्कूल जाने के लिए विश्वविद्यालयीन मार्ग के उपयोग के संबंध में वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। उक्त माँग को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2016 के द्वारा खारिज कर दिया गया है, फैसले की प्रति वर्तमान में प्राप्त नहीं हुई है।

रेडियेन्ट वे स्कूल के संचालकों के द्वारा अवैधानिक तरीके से विश्वविद्यालय की स्वामित्व की भूमि–खसरा नंबर 499 रकबा 0.348 हेक्टर भूमि पर स्थायी निर्माण कार्य करते हुए पक्का भवन निर्मित किया जा रहा है एवं माननीय तहसीलदार के न्यायालय में विश्वविद्यालय द्वारा बेदखली हेतु धारा 250 के तहत वाद

दायर किया गया है, जो लंबित है। जबकि माननीय न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.12.2016 को पारित आदेश में विश्वविद्यालय के स्वामित्व की उपरोक्त भूमि पर अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाया है, किंतु उक्त संस्था के संचालकों द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए रोक के विपरीत जाकर विश्वविद्यालय के स्वामित्व की उक्त भूमि पर अवैध निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखा है इसी के साथ उक्त निर्माण कार्य के संबंध में मंगल दुबे मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी द्वारा माननीय जिला न्यायालय, रायपुर में दायर किए गए वाद को दिनांक 18.07.2016 के द्वारा खारिज कर दिया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में रेडियेन्ट वे द्वारा याचिका दायर की गई है, जो वर्तमान में लंबित है।

सीमांकन के आधार पर उक्त संस्था के संचालकों द्वारा कुछ समय पूर्व विष्वविद्यालय के हित में जिला प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में बनाई जा रही दीवार का कार्य प्रारंभ करने हेतु भेजी गयी जे.सी.बी. मशीन के कार्य में भी अवरोध उत्पन्न किया गया एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, एस.डी.एम., तहसीलदार एवं विश्वविद्यालय के अधिकारयों के वाहनों को अपने रास्ते से आने की अनुमति नहीं दी गई एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा स्कूल के छात्र/छात्राओं को अपहरण करने की कोशिश की गई।

रेडियेन्ट वे स्कूल के वाहनों का विश्वविद्यालय परिसर से निरन्तर आवाजाही से विश्वविद्यालय के सड़कें बार–बार खराब हो रही हैं तथा साथ ही परिसर के प्राकृतिक वातावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के साथ किसी दुर्घाटना के धटित होने की सम्भावना बनी रहती है ।

अतः विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा परिसर के सड़कों की सुरक्षा एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए रेडियेन्ट वे स्कूल के समस्त वाहनों का विश्वविद्यालय परिसर से आने–जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

16

विषय :- डॉ. अलेख साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि अध्ययन शाला के विरूद्ध प्राप्त अनेक गंभीर शिकायतों की जानकारी बाबत।

डॉ. अलेख साहू इस विश्वविद्यालय की विधि अध्ययनशाला में दिनांक 28.08.2004 से असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। विगत कुछ समय से श्री साहू के विरूद्ध निम्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है :-

1. श्री मनीष पाण्डेय, निवासी-भाटागॉव, रायपुर द्वारा कुलपति महोदय को संबोधित करते हुये, यह शिकायत प्रेषित की गई है कि - श्री अलेख साहू द्वारा मुझे ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स से साढ़े चार करोड़ रूपये कृषि कार्य हेतु ऋण दिये जाने के नाम पर समय-समय पर कोई न कोई फार्मेल्टी जैसे- बैंक खाता खुलवाने आदि के नाम पर मुझसे रू. 8,00,000/- ले लिया गया। जबकि बैंक खाता 2000/- में खुल सकता था। इस प्रकार उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुये उनके द्वारा धोखाधड़ी कर विश्वविद्यालय को कलंकित करने संबंधी जानकारी प्रेषित की है।

2. पूर्व में भी श्री अलेख साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर के विरूद्ध बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा के शाखा प्रबंधक द्वारा दिनांक 06.05.2013 एवं 20.05.2013 को कुलसचिव के नाम प्रतिलिपि देते हुये दो पत्र प्रेषित किये है, जिसमें श्री साहू द्वारा लिये गये ऋण को Over Due होने की जानकारी प्रेषित की है।

3. श्री अलेख साहू के विरूद्ध अनेक आपराधिक प्रकरण माननीय जिला न्यायालय में लंबित है। जिनके बारे में उनसे पूछे जाने पर जानकारी विश्वविद्यालय को नही दी जा रही है।

निःसंदेह श्री अलेख साहू के विरूद्ध प्राप्त उपरोक्त शिकायतों एवं उनकी नियम विरूद्ध गतिविधियों के कारण विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है एवं उनका यह कृत्य शिक्षकीय मर्यादाओं एवं विश्वविद्यालय परिनियम - 31 के तहत् एक कर्मचारी हेतु निर्धारित आचरण संहिता के विपरीत है।

अतः श्री साहू का प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(17)

विषय :- डॉ. अलेख साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, विधि अध्ययन शाला के विरूद्ध प्राप्त अनेक गंभीर शिकायतों की जानकारी बाबत।

डॉ. अलेख साहू इस विश्वविद्यालय की विधि अध्ययनशाला में दिनांक 28.08.2004 से असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। विगत कुछ समय से श्री साहू के विरूद्ध निम्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है :-

1. श्री मनीष पाण्डेय, निवासी-भाटागॉव, रायपुर द्वारा कुलपति महोदय को संबोधित करते हुये, यह शिकायत प्रेषित की गई है कि - श्री अलेख साहू द्वारा मुझे ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स से साढ़े चार करोड़ रूपये कृषि कार्य हेतु ऋण दिये जाने के नाम पर समय-समय पर कोई न कोई फार्मेल्टी जैसे- बैंक खाता खुलवाने आदि के नाम पर मुझसे रू. 8,00,000/- ले लिया गया। जबकि बैंक खाता 2000/- में खुल सकता था। इस प्रकार उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुये उनके द्वारा धोखाधड़ी कर विश्वविद्यालय को कलंकित करने संबंधी जानकारी प्रेषित की है।

2. पूर्व में भी श्री अलेख साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर के विरूद्ध बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा के शाखा प्रबंधक द्वारा दिनांक 06.05.2013 एवं 20.05.2013 को कुलसचिव के नाम प्रतिलिपि देते हुये दो पत्र प्रेषित किये है, जिसमें श्री साहू द्वारा लिये गये ऋण को Over Due होने की जानकारी प्रेषित की है।

3. श्री अलेख साहू के विरूद्ध अनेक आपराधिक प्रकरण माननीय जिला न्यायालय में लंबित है। जिनके बारे में उनसे पूछे जाने पर जानकारी विश्वविद्यालय को नही दी जा रही है।

निःसंदेह श्री अलेख साहू के विरूद्ध प्राप्त उपरोक्त शिकायतों एवं उनकी नियम विरूद्ध गतिविधियों के कारण विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है एवं उनका यह कृत्य शिक्षकीय मर्यादाओं एवं विश्वविद्यालय परिनियम - 31 के तहत् एक कर्मचारी हेतु निर्धारित आचरण संहिता के विपरीत है।

अतः श्री साहू का प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(201)

(18)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/1224/सा.प्रशा./2016 रायपुर, दिनांक 07/04/2016

प्रति,

श्री अलेख साहू,
सहायक प्राध्यापक,
विधि अध्ययन शाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रदाय करने बाबत्।

विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि आपके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में अनेक प्रकरण विचाराधीन हैं। जिसकी विधिवत् जानकारी इस कार्यालय को आज दिनांक तक अप्राप्त है।

यदि यह सत्य है तो इस संबंध में पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अंदर यह जानकारी प्रेषित करें कि- आपके विरूद्ध किन-किन न्यायालयों में एवं किन-किन धाराओं के अंतर्गत कितने न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/1225/सा.प्रशा./2016 रायपुर, दिनांक 07/04/2016

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित के व्यक्तिगत नस्ती हेतु,
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव(प्रशा.)

(17)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) (19)

क्रमांक/1739/स्था./सा.प्रशा./2016 रायपुर, दिनांक 18 /05/2016

प्रति,

डॉ. अलेख साहू,
सहायक प्राध्यापक,
विधि अध्ययनशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विषय :- विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रदाय करने बाबत्।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 224/सा.प्रशा./2016 दिनांक 07.04.2016

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण की विधिवत् जानकारी चाही गई थी, जो आज पर्यन्त अप्राप्त है।

अतः आपके विरूद्ध किन-किन न्यायालयों में एवं किन-किन धाराओं के अंतर्गत कितने न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है, इसकी जानकारी तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/1740 /स्था./सा.प्रशा./2016 रायपुर, दिनांक 18 /05/2016

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

F:/Sahu Sir/Letter 2016/

मेरे द्वारा पत्र देने पर
लेने से इंकार किया
दो दिन बाद देने को कहा

8/6/16
(हेमराज कुमार साहू)

8/6/16

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) (20)

क्रमांक/2434/स्था./सा.प्रशा./2016 रायपुर, दिनांक 29 /06/2016

प्रति,

डॉ. अलेख कुमार साहू,
असिस्टेंट प्रोफेसर,
विधि अध्ययन शाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- आपके विरूद्ध प्राप्त विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं संबंधी शिकायतें।

सन्दर्भः- 1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1224/स्था./सा.प्रशा./2016 दिनांक 07.04.2016 एवं
2. पत्र क्रमांक 1739/स्था./सा.प्रशा./2016 दिनांक 18.05.2016

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र प्रेषित कर आपके विरूद्ध किन-किन धाराओं के अन्तर्गत कितने न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है, की जानकारी तत्काल चाही गई थी।

किन्तु खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक उपरोक्त संदर्भित पत्र 01 में चाही गई जानकारी नहीं दी गई है।

साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संदर्भित पत्र 2 आपको विश्वविद्यालय के भृत्य द्वारा दिए जाने पर आपने दिनांक 08.06.2016 को लेने से इन्कार किया एवं भृत्य से आपने यह कहा कि दो दिन बाद देना। आपका यह कृत्य विश्वविद्यालय परिनियम 31 के नियमों के विपरीत है एवं शिक्षकीय मर्यादाओं के विपरीत किया गया कृत्य है।

अतः तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत करे कि आपके विभिन्न न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की जानकारी 03 के अन्दर प्रस्तुत करें एवं यह भी बतलाये कि क्यों न आपके विरूद्ध आदेश के अवहेलना किए जाने के कारण परिनियम 31 के नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्धारित समयावधि में आपके द्वारा न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की जानकारी एवं आदेशों के अवहेलना किए जाने के कारण नियमानुसार एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (प्रशा.)

पृ. क्रमांक/2435/स्था./सा.प्रशा./2016 रायपुर, दिनांक 29 /06/2016

प्रतिलिपिः-

कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

F:/Sahu Sir/Letter 2016/228

प्रति,

कुलसचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
प. रवि. वि. वि, रायपुर

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक 2434/स्था/सा.प्रशा./2016 ता 29/6/16

विषय : जानकारी प्रदाय करने विषयक

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मेरे द्वारा विश्व विद्यालय के किन आदेशों का पालन, (यह स्पष्ट करते हुए कि जानकारी का मांगा जाना आदेश की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता) ~~पालन~~ नहीं किया गया है।

कृपया ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिनका पालन मेरे द्वारा नहीं किया गया है जिससे मैं उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के समस्त बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध करा सकूं।

दिनांक 30/06/16

भवदीय

30/06/16
(डॉ अलख कुमार साहू)
सहायक प्राध्यापक (विधि)
प. रवि. वि. वि, रायपुर

R. 1779
2-7-16

श्री साहू
2/7/16

(21)

प्रति,

श्रीमान् कुलसचिव महोदय,
पं॰ रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
जिला- रायपुर॰

विषय :- आपके विश्व विद्यालय के विधि विभाग में पदस्थ डॉ॰ आलेख साहू द्वारा लोन दिलवाने के नाम पर लिए गए 800000/- रू॰ वापस नहीं किये जाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत ।

महोदय,

विषयांकित व्यक्ति जो कि आपके संस्थान में कार्यरत है । मैं लोन कार्य से अक्सर ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स सुन्दर नगर अक्सर जाया करता था वहीं पर मेरी भेंट डॉ॰ आलेख साहू से हुई जो अपने आपको आपके विश्वविद्यालय के विधि विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत तथा सी॰ए॰ होना बताए साथ ही मुझे यह भी आश्वासन दिये कि वे कई लोगों का लोन करवा चुका है बैंक में अधिकतर लोग उसके परिचित हैं इसी परिचय के आधार पर वह जल्दी लोन करवा देता है । शुरू में तो मुझे विश्वास नहीं हुआ किन्तु वे मुझे इसी बैंक के ए॰जी॰एम॰ श्री पाणीग्रही तथा फिल्ड आफिसर रशीद खान से मिलवाये थे लोग भी डॉ॰ आलेख साहू जी के बातों का समर्थन किये । मुझे कृषि कार्य हेतु लोन चाहिए था श्री साहू जी मुझे सादे चार करोड़ रुपये दिलवाने की बात बोले और इसमें लगने वाली दस्तावेजी फार्मेल्टी के नाम पर समय-समय पर कोई न कोई फार्मेल्टी के नाम पर मुझसे 800000/- रुपये ले लिया, मुझे यह बोलकर 45000/-रू॰ श्री साहू जी लिए थे कि बैंक में खाता खोलवाना पड़ेगा मैं बोला कि खातो तो एक-दो हजार रुपये में भी खुल सकता है तो बोले कि लोन बड़ा है तो शुरू में रकम कम से कम 45000/-रू॰ खाता खोलने के लिए देना होगा । मुझसे लोन में लगने वाला समय पन्द्रह से बीस दिन बताया गया था किन्तु मुझे चार माह तक कोई न कोई कारण बताकर साहू जी मुझे घुमाते रहे । मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि लोन की प्रक्रिया शुरू करने के पन्द्रह दिन बाद श्री साहू जी मुझे ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स का सादे चार करोड़ रू॰ सेंसन होने का एडवल लेटर की छाया प्रति मुझे दिये थे इसी कारण मेरा विश्वास और पुख्ता हो गया था । मैं जब लोन में ज्यादा समय लगने की बजह के संबंध में श्री साहू जी से चर्चा किया तो मुझे कोई न कोई कारण बताकर टाल मटोल करने लगे मैं अपने पास बुक को मांग किया तो किसी तरह से वे मुझे पास बुक दे

..2..

माह बाद दिये जिसमें सिर्फ एक हजार रु. ही इन्ट्री है श्री साहू जी से इस बाबत पूछने पर कोई भी सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । लोन में लगने वाले समय के संबंध में संतोषप्रद जवाब न दे ा, बैंक में खाता खोलवाने के नाम पर ज्यादा रक लेकर पास बुक में कम इन्ट्री करवाना तथा समय-समय पर कइ लोगों को बुलवाकर उन्हे शराब तथा खाना खिलवाकर उस पार्टी का पूरा पेमेंट मेरे से करवाया जान तथा एक बैंक के अधिकारी जिसका नाम मैं बताना अभी उचित नहीं समझ रहा हूं व्यक्तिगत मिलने पर बता दूंगा उसे समय-समय पर नगदी रकम यह बोलकर दिलवा कि यहो लोन सेक्सन करेंगें ये भी फामेल्टी का एक हिस्सा है इससे मेरा विश्वास डगमगने लगा । श्री साहू जी मुझसे और रकम फार्मेल्टी के नाम पर मांग रहे थे किन्तु मेरे पास रकम की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं मना कर दिया और अपं रकम की मांग करने लगा साथ ही मुझे यह पूरा विश्वास हो गया कि श्री साहू जं मेरा लोन नहीं करवा सकते बल्की कई लोगों का चैनल बनाकर मेरे साथ षड्यंत्र रच धोखाधड़ी कर रकम 800000/- रु. लिये हैं तो मैं लोन करवाने से मना कर दिया और अपने रकम की मांग कर उन पर दबाव बनाने लगा तो वे अपना मोबाईल लगातार बन्द या रेंज से बाहर रखने लगे और मुझसे बात तक करना बंद कर दिये और मेरी रकम वापस नहीं किये ।

महोदय जी आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये आपके विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं इस कारण भी इन पर लोगों का तथा मेरा भी विश्वास हुआ था कि एक शासकीय कर्मचारी ऐसा जिसकी वेतन ही लाखों में है वह धोखाधड़ी नहीं कर सकता और षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी किया है ।

महोदय जो श्री आलेख साहू जी के द्वारा मेरे साथ ही धोखाधड़ी नहीं किया है बल्कि प्रोफेसर के पद एवं आपके संस्थान को भी कलंकित किया है । यदि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो और लोगों की भी गाढ़ी कमाई को छल पूर्वक हड़पकर उन लोगों के साथ धोखा धड़ी तथा आपके संस्थान को कलंकित करते रहेंगें ।

महोदय जी मैं कृषि कार्य हेतु लोन के वास्ते लोन चाहता था ताकि कुछ कर अपने परिवार के जीवन को सुधार सकूं किन्तु मेरे डॉ. आलेख आलेख साहू जी मेरी व्यवस्था जो परिवार के लिए थी उस रकम को हड़पकर मुझे इस परिस्थि में पहुंचा दिये हैं कि मैं पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन लायक भी नहीं बचा हूँ।

अत: महोदय जी से करबद्ध निवेदन है कि डॉ. आलेख साहू के वि विभागीय सख्त से सख्त कार्यवाही कर आपके संस्थान के छबी को कलंकित होने एवं मुझ जैसे अन्य लोगों को ऐसे षड्यंत्रकारी के षड्यंत्रों से बचाया जा सके । ऐ संदेश समाज में जाय तथा ऐसा धोखे बाज नकाबपोशों का नकाब उतारकर जनता के सामने आए इससे समाज में एक जागरूकता जाएगी और महोदय जी आप पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा ।

महोदय जी डॉ. आलेख साहू के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही क अनुग्रहित करें तथा मैं इस धोखाधड़ी के विरूद्ध आवेदन पत्र मान. पुलिस अधीक्षक रायपुर तथा मान. मुख्य मंत्री जी छ.ग. शासन को भी दे रहा हूँ ।

महोदय यह मैं भली भांति जानता हूँ कि समाज में बदलाव हेतु शिक्षा से समय निकालना आपके लिए काफी मुश्किल है फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है इसी लिए आपके पास आवेदन दे रहा हूँ आपका समय ब करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । आवश्यकता होने पर जाँच में सहयोग हेतु स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा ।

संलग्न :-
========

1/ बैंक का लोन एप्रूवल लेटर ।

2/ पास बुक की छायाप्रति ।

आपका एक विश्वासकर्ता

आवेदक
MPandey

मनीष पाण्डेय,
पिता- श्री बी.पी. पाण्डेय
उम्र-40 वर्ष, सा.भाटागाँव
जिला- रायपुर छ0ग0
मो.नं.-9301302926.

दिनांक : 2-2-2016

(5)

(25)

Ref - Bid Agreement Loan

Sub - Authority Branch

Sunder Nagar Raipur (C.G.)

Creditors : Shri Manish Kumar Pandey S/o Shri Bhagwat

Against Bid Loan to R.G. & Bid Co. Kohka Durg.

To,

Branch Manger

OBC Sunder Nagar Raipur (C.G.)

Res.

here be sector in Bid Loan to Shri Manish Kumar pandey S/o Shri Bhagwat has been 4.50 Crore against your Agriculture Land Kh. No. 841/1 Rakba 0.215 hac. at bhatagaon PH. No. 105 loan has been section to all document in verified & releasing to all documents in legal process to Banking rule regulation.

Date - 12/12/2015

Yours faithfully

12/12/2015

A.G.M. Marketing

CC - to G.M. OBC Devendra Nagar Raipur (C.G.)

(26) (6)

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
ORIENTAL BANK OF COMMERCE

ग्राहकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

1. पास बुक तथा चेक बुक सुरक्षित स्थान में रखें
2. नकदी को केवल नकदी प्राप्ति काउंटर पर ही जमा करें
3. पास बुक नियमित अंतरालों में अद्यतन कराएं
4. कोई विसंगति होने की स्थिति में, तत्काल सूचित करें

PRECAUTIONS TO CUSTOMER

1. Keep Pass Book & Cheque Book at safe place.
2. Deposit cash at cash receiving counter only.
3. Get your Pass-Book updated at frequent intervals.
4. In case of any discrepancy, inform immediately.

Contact & Visit at:	
General:	1800-180-1235 (Toll Free); 0124-2340940
ATM Matters:	1800-345-2424 (Toll Free)
Chief Grievance Redress Officer:	0124-4126110, 0124-4126498
Website:	www.obcindia.co.in
Net Banking:	www.obconline.co.in

Code of Bank's Commitment to customers: www.bcsbi.org.in
"In case of need, refer the matter to Chief Customer Service Officer, Oriental Bank of Commerce, 2nd Floor, Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001"

बैंकिंग लोकपाल का नाम व पता
Name & Address of Banking Ombudsman

SUNDER NAGAR - RAIPUR
MAHADEV GHAT ROAD ,SUN
RAIPUR-492013
RAIPUR ,CHHATTISGARH
Phone Nos: 0771-2241022.15.1?
E-mail Id: bm1640@obc.co.in
IFSCode : ORBC0101640
MICRcode : 492022006

Cust Id: 38942884
A/C No: 16402191018115
Name :MR MANISH KUMAR PANDEY

Address:BHATAGAON
BEHIND WATER WORLD
RAIPUR-
CHHATTISGARH INDIA
PIN: 49200[illegible]
Mode of Oprn:SELF

Nominee's Name : DEVENDRA PANDEY
Nominee's Reg. No.: 16401[illegible]28
Dt of A/c.Opening : 11-01-20[illegible]
Dt of Issue : 11-0[illegible]
1640 TT392465 (1)

प्राधिकृत हस्ताक्षर
Authorised Signature

27

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce

ओ.बी.सी.

शाखा Branch SUNDER NAGAR - 0300- 1

खाता क्र. A/C No. 16400191018115

दिनांक Date	चेक संख्या Cheque No.	विवरण Particulars	निकाली गई रकम Dr. Amount	जमा की गई रकम Cr. Amount	शेष जमा राशि Balance	आ.ह. Off. Intl.
		Balance B/F			0.00	
1-01-16		CASH DEPOSIT		1000.00	1000.00	
		आगे ले जाई गई रकम Carried Over				

28

II-209
C. J. (H)

सबब बताने के लिए नोटिस

(मामूली नमूना)

(आर. सी. एस. सामंत)

अदालत जनाब सत्र न्यायाधीश, रायपुर. (छ.ग.)

दीवानी मुकदमा
ज्यूडिशियल केस
मिसलेनियस अपील
नम्बर सन् 20

[illegible] बनाम सुभाष साहू

बनाम सुभाष साहू आत्मज [illegible] साहू नि० [illegible] रायपुर

क्योंकि

ऊपर लिखित मुकदमें के तह० व जिला – रायपुर (छ.ग.)

इस अदालत की दरख्वास्त की है कि

इसलिये तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि तुम खुद या मार्फ़त किसी वकील के जिसे मुकदमें के हाल अच्छी तरह समझा दिया गया हो तारीख .... माह .... सन् 20 को दिन के 11 बजे इस अदालत में हाजिर होकर दरख्वास्त के खिलाफ सबब बतलाओ नहीं तो उसकी तुम्हारी गैर-हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जावेगा.

इस अदालत की मोहर से आज तारीख ....18.... माह ......11.................. सन् 2015 को जारी किया गया.

मोहर

सत्र न्यायाधीश रायपुर (छत्तीसगढ़)

जज

शासकीय [illegible] राजनांदगांव—FS/104—1/2015—3,00,000.

620/15

(29) (१)

II-209
C. J. (H)

सबब बताने के लिए नोटिस

(मामूली नमूना)

अदालत जनाब .... न्यायाधीश, रायपुर. (छ.ग.)

दीवानी मुकदमा
ज्यूडिशियल केस
मिसलेनियस अपील
} नम्बर .... / सन् 20 ...

.... बनाम ....

बनाम ....

क्योंकि ....

ऊपर लिखित मुकदमें के ....

इस अदालत की दरख्वास्त की है कि ....

इसलिये तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि तुम खुद या मार्फत किसी वकील के जिसे मुकदमें के हाल अच्छी तरह समझा दिया गया हो तारीख .... माह .... सन् 20 ... को दिन के 11 बजे इस अदालत में हाजिर होकर दरख्वास्त के खिलाफ सबब बतलाओ नहीं तो उसकी तुम्हारी गैर-हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जावेगा.

इस अदालत की मोहर से आज तारीख ..18.... माह ......11............ सन् 2015 को जारी किया गया.

मुहर

जज

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—FS/104—1/2015—3,00,000.

620/15

(30)

समक्ष न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आलेख कुमार साहू आत्मज श्री कंगाली राम साहू
निवासी–लेक्चरर एस.ओ.एस.इन.लॉ, पंडित रविशंकर
शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

सुभाष साहू आत्मज स्व. बुधराम साहू
निवासी–खम्तराई रायपुर, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.)

उत्तरवादी

पेशी ता 5/11/2015

पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 397 सहपठित धारा 399 दंड प्रकिया संहिता।

न्यायालय श्रीमान विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायपुर (छ.ग.) के न्यायालय के लम्बित दाण्डिक परिवाद प्रकरण कमांक 1621/2014 सुभाष साहू विरूद्ध आलेख कुमार साहू , मे पारित आदेश दिनांक 25.09.2015 से रूष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

प्रकरण के तथ्य :–

पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध उत्तरवादी ने एक दाण्डिक परिवाद पत्र धारा 138 निगोशियेबल इंस्ट्रटमेंट एक्ट सहपठित धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उत्तरवादी ने पुनरीक्षणकर्ता को व्यवसायिक संव्यवहार के तहत 6,75,000/– (अक्षरी छः लाख पचहत्तर हजार रूपये) उधार दिये थे । उक्त राशि के एवज मे पुनरीक्षणकर्ता ने एक चेक उत्तरवीद को दिया है जिसका कमॉक–892069 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रविशंकर युनिवर्सिटी कॅपस शाखा रायपुर (छ.ग.) का दिनॉक 13.06.2014 को 6,75,000/– का प्रदान किया था । पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा दिये गये चेक को उत्तरवादी ने भुगतान प्राप्त करने अपने बैंक स्टेट बैक ऑफ इडिया फाफाडीह शाखा रायपुर छ.ग. मे दिनॉक 14.06.2014 को प्रस्तुत किया जो उसी दिनॉक को चेक राशि अपर्याप्त होने के कारण अनादरित हो गया और उत्तरवादी को चेक से रकम का भुगतान नही हो पाया । उत्तरवादी ने दिनॉक 11.07.2014 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता को जानकारी प्रेषित किया था । उसके बाद भी पुनरीक्षणकर्ता ने उत्तरवादी को चेक मे उल्लेखित रकम का भुगतान नही किया। तब उत्तरवादी ने पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध दाण्डिक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है । पुनरीक्षणकर्ता को माननीय अधीनस्थ न्यायालय से उपस्थिति बाबत् समंस प्राप्त होने पर उपस्थित होकर अपना जमानत पेश किया तथा विधिवत अपने प्रकरण मे उपस्थित होने पर संलग्न दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ज्ञात हुआ कि उनके विरूद्ध विधि विरूद्ध तरीके से परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है तब पुनरीक्षणकर्ता ने न्यायालय मे धारा 91 द.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत कर व्यवसायिक संव्यवहार के तहत उधार ली गई रकम के संबंध मे दस्तावेज का मॉग किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनॉक 25.09.2015 को निरस्त किया है ।

क्रमश: पेज नाबर 02 पर

(31) (11)

पुनरीक्षण के आधार :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय दिनॉक 25.09.2015 को पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन पत्र अंर्तगत धारा 91 दण्ड प्रकिया संहिता निरस्त कर विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा जो परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है उसके पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उत्तरवादी से व्यवसायिक संव्यवहार के तहत 6,75,000/– उधार लिया जाना अभिकथित किया गया है तथा उत्तरवादी ने अपने परिवाद पत्र के साथ एक इकरारनामा दिनॉक 03.02.2014 प्रस्तुत किया है जिसमे पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने घरेलू एवं दिगर खर्च हेतु रकम की आवश्यकता होने के कारण ऋण बतौर 6,75,000/–रूपये दो गवाहो के समक्ष उधार लिया जाना उल्लेखित है इस ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे उत्तरवादी ने अपने परिवाद पत्र मे पुनरीक्षणकर्ता से रकम व्यवसायिक संव्यवहार के तहत उधार लिया जाना व्यक्त किया है लेकिन इस संबंध मे कोई दस्तावेज न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया है । इस ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेज दिनॉक 03.02.2014 प्रस्तुत किया है जिसमे पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने घरेलू एवं दिगर खर्च हेतु रकम की आवश्यकता होने के कारण ऋण बतौर 6,75,000/–रूपये दो गवाहो के समक्ष उधार लिया जाना उल्लेखित है लेकिन व्यवसायिक संव्यवहार के तहत जैसा कि उत्तरवादी ने अपने अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस, परिवाद पत्र एवं शपथ पत्र धारा 200 दण्ड प्रकिया संहिता तथा शपथपत्र धारा 145 निगोशियबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट का प्रस्तुत किये है के अनुसार न्यायालय मे पेश करने हेतु आदेशित नही कर विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है ।

5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तरवादी को व्यवसायिक संव्यवहार के संबंध मे जैसा परिवाद पत्र मे उल्लेखित है को साबित करने के लिये लिखा–पढी, उधार दिये जाने वाले बहीखाता, आयकर विवरणी आदि दस्तावेज का प्रति प्रस्तुत करने हेतु आदेश धारा 91 द. प्र. सं. के तहत नही दिया है इस ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं तथ्य की गंभीर भूल की है ।

अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय विजेन्द्र सोनवानी , न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रायपुर (छ.ग.) के दा. परि. प्र. क.– 1621/2015 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2015 को निरस्त करने की कृपा की जावे ।

पुनरीक्षणकर्ता

रायपुर छ.ग.
दिनांक–02.11.2015

Anand Yadav Adv

अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
One Family One Bank

SHANKAR NAGAR BRANCH
Ph: 0771-4265620 / 4265621
Email: bom1441@mahabank.co.in

Ref.: AR58/RECOVERY/Alekh/2012-13

Date: - 20/05/2013

To
Sri Alekh Sahu
D/3,Teacher Colony
Pandit Ravi Shanker University
Raipur

(REMINDER 2)

Dear Sir,

Reg: Overdue in your Term Loan Account

We have already communicated through over the phone on daily basis on vigorous follow up the account is running Over Due by Rs. 32094.00 in Term Loan account. Your account is constantly monitoring by our higher authorities. Hence you are once again requested to make suitable arrangement so that the OD amount can be cleared at the earliest.

Therefore it is needless to say if you will not clear the overdue within stipulated time **we will bind to take harsh step against you.**

We are looking forward for your prompt response.

Please acknowledge.

Yours truly,

BRANCH MANAGER
SHANKAR NAGAR BRANCH

Copy to: Sri Ajay Ramnarayan Jaiswal
Piyush Pustak Bhandar, Santoshi Nagar Raipur.

The Sub-Registrar, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
One Family One Bank

SHANKAR NAGAR BRANCH
Ph: 0771-4265620 / 4265621
Email: bom59@mahabank.co.in

Ref.: AR58/RECOVERY/Alekh/2012-13

Date: - 06/05/2013

33

To
Sri Alekh Sahu
D/3,Teacher Colony
Pandit Ravi Shanker University
Raipur

Dear Sir,

Reg: Overdue in your Term Loan Account

We have already communicated through over the phone on daily basis on vigorous follow up the account is running Over Due by Rs. 32094.00 in Term Loan account. Your account is constantly monitoring by our higher authorities. Hence you are once again requested to make suitable arrangement so that the OD amount can be cleared at the earliest.

Therefore it is needless to say if you will not clear the overdue within stipulated time **we will bind to take harsh step against you.**

We are looking forward for your prompt response.

Please acknowledge.

Yours truly,

BRANCH MANAGER
SHANKAR NAGAR BRANCH

Copy to: Sri Ajay Ramnarayan Jaiswal
Piyush Pustak Bhandar, Santoshi Nagar Raipur

The Sub-Registrar, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur.

114

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
One Family One Bank

SHANKAR NAGAR BRANCH
Ph: 0771-4265620 / 4265621
Email: bom1441@mahabank.co.in

Ref.: AR58/LOAN /2012-13

Date: - 04/03/2013

34

The Principal/Registrar
Pt Ravishankar Shukla University
Raipur

Dear Sir,

Reg: Loan default of your employee Sri Alekh Sahu .

We would like to inform you that your employee Sri Alekh Sahu is availed housing loan of Rs 11.92 Lakh on 30/04/2010. He is not repaying EMI from last three month. The account now becomes NPA.

We request you to kindly make an arrangement to deduct the EMI of Rs 11320/- from his salary and remit to us directly. The details of remittance is as under

Name of Account	: Sri Alekh Kr Sahu
A/c no	: 60048398768
IFSC code	: MAHB0001441
Name of the Bank	: Bank of Maharashtra
Name of The Branch	: Shankernagar

Please cooperate and oblige.

Yours faithfully

Branch Manager

Copy to : Sri Alekh Sahu

13/3/2013

एफ F 27
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA
शंकर नगर शाखा / Branch
दिनांक/Date 18/03/2013
ति. ब्या. ज. यो. / मा/ब्या. ज. यो. / संचयी जमा /
मियादी जमा /
QIDS/MIDS/CUM. DEP/FIX. DEP/
खाता क्र./A/c No. 60048398768
खातेदार का नाम of Alekh Sahu
चेक / नकद रु. Cheque/Cash Rs.
रूपये (शब्दों में)
Rupees (in words) 25,000/-
जमाकर्ता By

35

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR - (C.G.)

PAY - SLIP

Employee: Shri A.K. Sahu
A/c No.: 10049636615
Own cpf No: 10049637347

Month Of: Jan-2010
PAN No.: AJGPS4518L

PAY	PAY :	9375.00	C. C. A :	75.00	I. R. :	2813.00	
	Dear. Pay:	4688.00	C. A. :		SPL.A.:	0.00	
	SPL.PAY :		M. A. :	350.00			
	D. A. :	6610.00	OTHER :				
	H. R. A. :				Gross Pay		23911.00

RTS.(i) :	1060.00 (16/ 60)	Own.Cpf :	2490			
(ii) :		R.T.S. :	400.00			
CPF.(i) :	1000.00 (21/ 30)	R.D.P. :				
(ii) :		P.P.F. :	500.00			
(iii):		I.TAX. :				
HBL. ADV.:		P.TAX. :		SBI1:		
GRAIN.ADV:		H.R.W. :	270.00	SBI2:		
VEHICAL :		G.S.L.I:	180.00	STAND:		
FESTIVAL :		OTHER i:				
COMP.LOAN:		ii:				
PERS.LOAN:		iii:		OTA		
M.A. LOAN:	1000.00 (7/ 50)	Uni.Fee:				
LIC.1+2+3:	1394.00+ 956.00+			Less Dedu.		9250.00

Net Pay Rs. 14661.00

D Auditor F. O.

प. र. शु. वि. वि. रायपुर (छ.ग.)

(36)

विषय :- सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के शैक्षणिक कार्यो के प्रति विमुखता पाये जाने संबंधी जानकारी।

सुश्री माण्डवी साहू इस विश्वविद्यालय की प्रबंध संस्थान में दिनांक 20.11.2012 से असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। जब से वे कार्य कर रही है तब से ये अपने शैक्षणिक कार्यो के प्रति गंभीर नही पाई गई है एवं इनके द्वारा कार्यरत अवधि में लिये गये अवकाश से यह प्रमाणित होता है 1. इनके द्वारा नियुक्ति से लेकर आज परियन्त तक निम्नानुसार अवकाश लिया गया है, जिसमें अनेकों बार अवैतनिक अवकाश भी इन्हे स्वीकृत किया गया है । जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1.	दिनांक 23.11.2012 से 26.12.2012	-	34 दिन अवैतनिक अवकाश
2.	दिनांक 29.11.2013 से 08.12.2013	-	10 दिन लघुकृत अवकाश
3.	दिनांक 09.12.2013 से 10.12.2013	-	02 दिन अवैतनिक अवकाश
4.	दिनांक 10.01.2014 से 16.01.2014	-	07 दिन अवैतनिक अवकाश
5.	दिनांक 09.12.2014 से 23.12.2014	-	15 दिन अर्जित अवकाश
6.	दिनांक 04.02.2015 से 18.02.2015	-	15 दिन लघुकृत अवकाश
7.	दिनांक 28.02.2015	-	01 दिन अर्जित अवकाश
8.	दिनांक 01.03.2015 से 08.03.2015	-	08 दिन लघुकृत अवकाश
9.	दिनांक 19.03.2015 से 25.03.2015	-	07 दिन अर्जित अवकाश
10.	दिनांक 26.03.2015 से 01.04.2015	-	07 दिन लघुकृत अवकाश
11.	दिनांक 02.04.2015 से 26.04.2015	-	25 दिन अवैतनिक अवकाश
12.	दिनांक 02.05.2015 से 11.05.2015	-	10 दिन अवैतनिक अवकाश
13.	दिनांक 16.06.2015 से 03.08.2015	-	49 दिन अवैतनिक अवकाश
14.	दिनांक 11.01.2016 से 08.07.2016	-	180 दिन प्रसूति अवकाश

2. पूर्व में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.02.2015 में इनकी परिवीक्षा अवधि 21.11.2014 से 01 वर्ष के लिए बढ़ाई गई थी, चूंकि इनका स्व मूल्याकन प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं पाया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि- सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेन्ट प्रोफेसर द्वारा अनावश्यक रूप से अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित न रह कर विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहने की आदी हो चुंकी है। जिसके कारण संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अध्यापन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

ये अपने शिक्षकीय कर्त्तव्य के प्रति गंभीर प्रतीत नही होती है।

इस संबंध में इनकी परिवीक्षा अवधि पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत।

(37)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in, Email- adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 2112/वि. वि. यंत्री/2016 रायपुर, दिनांक 28/07/2016

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 27.07.2016 को अपरान्ह 04:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. प्रो. शिव कुमार पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. श्री राजेश त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष सिविल इंजी0 एनआईटी) – सदस्य
3. श्री अबीर बन्दोपाध्याय (एच. ओ. डी. आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, एन. आई.टी.)– सदस्य
4. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान, डीन साईंस – सदस्य
5. श्री के. पी. तिवारी (वि0 वि0 यंत्री) – सदस्य
6. श्री बी. सी. बिश्वास (वित्त नियंत्रक) – सदस्य
7. श्री पवन कुमार अग्रवाल (कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.) – विशेष आमंत्रित
8. श्री उमापति रस्तोगी, उपयंत्री – प्रभारी यांत्रिकी
9. श्री के0 के0 चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री जयप्रकाश चौरसिया, उपअभियंता, श्री अरविंद डे उपअभियंता, श्री विशाल शर्मा, उपअभियंता, श्री प्रसाद जी, उपअभियंता, एवं श्री रामेश्वर देवांगन, उपअभियंता उपस्थित हुए।

विषय क्रमांकः–1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28/05/2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28/05/2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–2 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28/05/2016 के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28/05/2016 के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांकः–3 लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।

निर्णयः– लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–4 विश्वविद्यालय के कला भवन के लिये बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 19.82 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने हेतु प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि प्रदान करने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के कला भवन के लिये बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु जिस प्रकार प्रेक्षागृह में जिस उँचाई पर ग्रिल लगाकर बाउण्ड्रीवॉल बनाया गया है। उसी प्रकार निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 18.64 लाख का अनुमोदन किया गया तथा कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने हेतु प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–5 यूटिलिटी भवन के सामने मैदान का समतलीकरण एवं बैंक एवं इण्डियन कॉफी हाउस हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने हेतु स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः– यूटिलिटी भवन के सामने मैदान का समतलीकरण एवं बैंक एवं इण्डियन कॉफी हाउस हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अतः उक्त कार्य शीघ्र कराने हेतु लगभग 25.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विस्तृत जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

विषय क्रमांकः–6 विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभाग भवनों तक पहुंच मार्ग बनाने, चौड़ीकरण, पुराने मार्गों के डामरीकरण एवं आवश्यकतानुसार गेट बनाने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 298.5 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 98.5 लाख का भुगतान किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा शेष राशि रूपए 200.00 लाख की मांग की गई है। कार्य पूर्णता की ओर बताया गया है। शेष राशि भुगतान किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभाग भवनों तक पहुंच मार्ग बनाने, चौड़ीकरण, पुराने मार्गों के डामरीकरण एवं आवश्यकतानुसार गेट बनाने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 298.5 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 98.5 लाख का भुगतान किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा शेष राशि रूपए 200.00 लाख की मांग की गई है। समिति द्वारा राशि रूपए 100.00 लाख भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है।

विषय क्रमांकः–7 विश्वविद्यालय के बॉयोटेक्नालॉजी भवन से लेकर फार्मेसी संस्थान तक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण को क्षेत्रीय अध्ययनशाला भवन तक निर्माण किये जाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन राशि 21.43 लाख तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र दिया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत कार्य बायोटेक्नालॉजी भवन, एकेडमिक स्टॉफ

पेज –2

कॉलेज, कम्प्यूटर भवन, एन. सी. एन. आर. भवन, प्रशासनिक भवन एवं कला भवन के बीच खेल मैदान का आहाता निर्माण एवं गेस्ट हाउस के नवीनीकरण कार्य में निविदा प्रतिशत कम होने के कारण प्रशासकीय स्वीकृति बचत राशि से उक्त कार्य पूर्ण किया जा सकता है।

निर्णयः— उक्त कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः—8 विश्वविद्यालय के बैसिक साईंस भवन एवं प्रेस बिल्डिंग के चारो—ओर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रूपए 36.54 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने हेतु स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। उक्त कार्य प्रेस गोडाउन निर्माण कार्य में बचत राशि से किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः— विश्वविद्यालय के बैसिक साईंस भवन एवं प्रेस बिल्डिंग के चारो—ओर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु विशेषज्ञ सदस्य श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार 01 फीट उॅची दीवाल बनाकर उसके उपर गैलवेनाइज्ड (जी. आई.) वायरिंग 04 फीट उॅचाई की लगाकर बाउण्ड्रीवॉल तैयार करने लोक निर्माण विभाग को संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 35.05 लाख का अनुमोदन किया गया तथा उक्त कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने हेतु प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 213 /वि. वि. यंत्री/2016 रायपुर, दिनांक 28/07/2016

प्रतिलिपिः—

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित की कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रगतिरत कार्यों का प्रतिवेदन
(भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016)

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (सिविल) (लाख)	अनुबंधकर्ता का नाम	अनुबंध क्र.	निविदा राशि (लाख)	निविदा का प्रतिशत	अनुबंधित राशि (लाख)	कॉलम 8 एवं 10 का अंतर (लाख)	कार्य की प्रगति	कार्य संपादन के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त कार्य की मांग पत्र।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बी.एड. कॉलेज भवन निर्माण कार्य। भूतल + पोर्च + प्रथमतल Civil Cost - 32218370.13 Water Supply & Sanitary work Cost - 1629014.90 Internal Electrification -3890489.00 Above Tender Rate 15% - 6291741.56 Contigency Charge & Work Charge 3.5% - 1468073.03 Architech fee Add 2.5% - 1048623.50 <u>CSEB Charge - 400000.00</u> **<u>Total Amount - 46942931.00</u>**	G.F. - 1442.36 Sqm P. - 72.00 sqm F.F. - 1476.75 sqm	पूर्व में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति 469.42 वर्तमान में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति 544.70	340.28	M/s Suresh Agrawal	85 /DL 2015-17	371.84	6.12% Above	394.60	22.76	30%	पूर्व में प्राक्कलन जी+1 स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया गया था। वर्तमान में प्राक्कलन जी+3 के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया गया है।	कार्य प्रगति पर अनुपूरक दर सूची उच्च कार्यालय में लंबित है।
2	रिनोवेशन ऑफ गेस्ट हाऊस (भूतल + प्रथमतल) निर्माण	G.F. - 578.13 sqm F.F. - 555.01 Sqm	40.72	126.23	M/s Vas Nirman	68 /DL 2015-17	126.23	31.18% Below	86.87	39.36	80%	शेष बची हुई राशि से त्महपवदस ेजनकल न्मदजतम एवं फार्मेशी सेमीनार हॉल तक आहाता निर्माण करने का विश्वविद्यालय द्वारा बनाने के निर्देश दिये गये है।	कार्य प्रगतिरत (कार्य की निविदा राशि रू0 126.23 लाख है, निविदा दर 31.17 प्रतिशत कम होने के कारण अनुबंधित राशि रू0 86.87 लाख है।)
3	कला भवन एवं प्रशासनिक भवन के बीच खेल मैदान के चारों ओर आहाता का निर्माण।		37.78										
4	बायो टेक्नॉलोजी विभाग से फार्मेसी विभाग के सेमीनार हॉल तक आहाता का निर्माण।		23.49										
5	प्रबंध विभाग से कम्प्यूटर साईस अध्ययन शाला से होते हुए केंटीन तक आहाता निर्माण।		34.27										

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (सिविल) (लाख)	अनुबंधकर्ता का नाम	अनुबंध क्रं.	निविदा राशि (लाख)	निविदा का प्रतिशत	अनुबंधित राशि (लाख)	कॉलम 8 एवं 10 का अंतर (लाख)	कार्य की प्रगति	कार्य संपादन के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त कार्य की मांग पत्र।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	एन.सी.एन.आर. बिल्डिंग निर्माण कार्य। (भूतल) Civil Cost - 22052349.45 Supervision Charge 7% - 1543664.46 Escalation Charge 5% - 1102617.47 Electrification Charge 12% - 2646281.93 Contigency Charge 1% - 220523.49 Above Tender Rate 15% - 3307852.42 **Total Amount - 30873289.23**	G.F. - 1877.0 Sqm	308.73	220.52	Shri Atul Chauhan	84 /DL 2014-16	245.17	4.69% Above	256.67	11.50	90%	प्रायोगिक उपकरण एवं शोध के लिए आवश्यक प्लेटफार्म या अन्य व्यवस्था सुनिश्चित किया जाने हेतु लेख किया गया है।	कार्य प्रगति पर (प.र.श.वि.वि. के पत्र क्र. 642 / यांत्रिकी दिनांक 08.03.2016 द्वारा)
7	रिनोवेशन एवं निर्माण सेन्ट्रल वैल्युवेशन हॉल	नवीनीकरण एवं निर्माण कार्य	199.13	134.580	M/s MGM Associates	75 /DL 2014-15	134.580	@ 7.02% Above	144.028	9.448	80%	निरंक	कार्य प्रगति पर
8	अकादमी स्टॉफ कालेज निर्माण कार्य। (प्रथम तल)	प्रथमतल मे नवीन निर्माण	151.39	108.170	M/s A New Construction	74 /DL 2014-15	108.170	@ 3.69% Above	112.161	3.991	90%	निरंक	कार्य प्रगति पर
9	कला भवन रिनोवेशन का कार्य	भूतल प्रथमतल द्वितीय तल में नवीनीकरण कार्य	162.34	134.140	M/s Modern Builders	46 /DL 2014-15	134.140	@ 12.30% Below	117.641	16.499	10%	निरंक	कार्य प्रगति पर

उपअभियंता
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वद्यिालय रायपुर के निविदा स्तर पर कार्यों का प्रतिवेदन
(भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016)

सं. क्रं.	डिपोजिट कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं दिनांक (लाख)	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं दिनांक (सिविल) (लाख)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	जियोलॉजी विभाग का नवीनीकरण का कार्य।	Rs. 59.06 Dt. 13/10/2015	Rs. 53.56 Dt. 29/01/2016	रेखचंद अग्रवाल
2	कम्प्यूटर साईस विभाग का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 58.27 Dt. 13/10/2015	Rs. 55.51 Dt. 29/01/2016	गर्वित कंस्ट्रक्शन
3	विधि विभाग का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 47.28 Dt. 13/10/2015	Rs. 43.27 Dt. 30/12/2015	रेखचंद अग्रवाल
4	गणित / सांख्यिकी विभाग का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 43.66 Dt. 13/10/2015	Rs. 35.30 Dt. 30/12/2015	जेपी कंस्ट्रक्शन
5	साईस ब्लॉक का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 29.85 Dt. 13/10/2015	Rs. 28.90 Dt. 30/12/2015	रेखचंद अग्रवाल
6	50 बिस्तरीय खेल हॉस्टल का निर्माण।	Rs. 125.46 Dt. 17/12/2015	Rs. 105.87 Dt. 29/01/2016	साई कृपा निर्माण (दिनेश ठाकुर)
7	फार्मेसी भवन फेस –2 (प्रथमतल) का निर्माण कार्य।	Rs. 252.40 Dt. 12/05/2015	Rs. 238.58 Dt. 10/02/2016	निविदा प्रक्रियाधीन
8	मार्गो के बी.टी. रिनेवल का कार्य।	Rs. 109.20 Dt. 23/12/2015	Rs. 107.01 Dt. 31/12/2015	भवानी कंस्ट्रक्शन
9	विश्वविद्यालय नवीन पहूँच मार्ग का निर्माण कार्य ।	Rs. 185.58 Dt. 23/12/2015	Rs. 185.58 Dt. 31/12/2015	श्री गोर्वधन शर्मा

उपअभियंता
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रगतिरत कार्यों का प्रतिवेदन
(भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016)

सं. क्र.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (सिविल) (लाख)	अनुबंधकर्ता का नाम	अनुबंध क्र.	निविदा राशि (लाख)	निविदा का प्रतिशत	अनुबंधित राशि (लाख)	कॉलम 8 एवं 10 का अंतर (लाख)	कार्य की प्रगति	कार्य संपादन के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त कार्य की मांग पत्र।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बी.एड. कॉलेज भवन निर्माण कार्य। भूतल + पोर्च + प्रथमतल Civil Cost - 32218370.13 Water Supply & Sanitary work Cost - 1629014.90 Internal Electrification - 3890489.00 Above Tender Rate 15% - 6291741.56 Contigency Charge & Work Charge 3.5% - 1468073.03 Architech fee Add 2.5% - 1048623.50 <u>CSEB Charge - 400000.00</u> **<u>Total Amount - 46942931.00</u>**	G.F. - 1442.36 Sqm P. - 72.00 sqm F.F. - 1476.75 sqm	पूर्व में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति 469.42 वर्तमान में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति 544.70	340.28	M/s Suresh Agrawal.	85 /DL 2015-17	371.84	6.12% Above	394.60	22.76	30%	पूर्व में प्राक्कलन जी+1 स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया गया था। वर्तमान में प्राक्कलन जी+3 के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया गया है।	कार्य प्रगति पर अनुपूरक दर सूची उच्च कार्यालय में लंबित है।
2	रिनोवेशन ऑफ गेस्ट हाऊस (भूतल + प्रथमतल) निर्माण	G.F. - 578.13 sqm F.F. - 555.01 Sqm	40.72	126.23	M/s Vas Nirman	68 /DL 2015-17	126.23	31.18% Below	86.87	39.36	80%	शेष बची हुई राशि से त्महपवदस ैजनकल ब्मदजतम एवं फार्मेशी सेमीनार हॉल तक आहाता निर्माण करने का विश्वविद्यालय द्वारा बनाने के निर्देश दिये गये है।	कार्य प्रगतिरत (कार्य की निविदा राशि रू0 126.23 लाख है, निविदा दर 31.17 प्रतिशत कम होने के कारण अनुबंधित राशि रू0 86.87 लाख है।)
3	कला भवन एवं प्रशासनिक भवन के बीच खेल मैदान के चारों ओर आहाता का निर्माण।		37.78										
4	बायो टेक्नॉलोजी विभाग से फार्मेसी विभाग के सेमीनार हॉल तक आहाता का निर्माण।		23.49										
5	प्रबंध विभाग से कम्प्यूटर साईस अध्ययन शाला से होते हुए केंटीन तक आहाता निर्माण।		34.27										

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (सिविल) (लाख)	अनुबंधकर्ता का नाम	अनुबंध क्रं.	निविदा राशि (लाख)	निविदा का प्रतिशत	अनुबंधित राशि (लाख)	कॉलम 8 एवं 10 का अंतर (लाख)	कार्य की प्रगति	कार्य संपादन के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त कार्य की मांग पत्र।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	एन.सी.एन.आर. बिल्डिंग निर्माण कार्य। (भूतल) Civil Cost - 22052349.45 Supervision Charge 7% - 1543664.46 Escalation Charge 5% - 1102617.47 Electrification Charge 12% - 2646281.93 Contigency Charge 1% - 220523.49 Above Tender Rate 15% - 3307852.42 **Total Amount - 30873289.23**	G.F. - 1877.0 Sqm	308.73	220.52	Shri Atul Chauhan	84 /DL 2014-16	245.17	4.69% Above	256.67	11.50	90%	प्रायोगिक उपकरण एवं शोध के लिए आवश्यक प्लेटफार्म या अन्य व्यवस्था सुनिश्चित किया जाने हेतु लेख किया गया है।	कार्य प्रगति पर (प.र.श.वि.वि. के पत्र क्रं. 642 / यांत्रिकी दिनांक 08.03.2016 द्वारा)
7	रिनोवेशन एवं निर्माण सेन्ट्रल वैल्युवेशन हॉल	नवीनीकरण एवं निर्माण कार्य	199.13	134.580	M/s MGM Associates	75 /DL 2014-15	134.580	@ 7.02% Above	144.028	9.448	80%	निरंक	कार्य प्रगति पर
8	अकादमी स्टॉफ कालेज निर्माण कार्य। (प्रथम तल)	प्रथमतल में नवीन निर्माण	151.39	108.170	M/s A New Construction	74 /DL 2014-15	108.170	@ 3.69% Above	112.161	3.991	90%	निरंक	कार्य प्रगति पर
9	कला भवन रिनोवेशन का कार्य	भूतल प्रथमतल द्वितीय तल में नवीनीकरण कार्य	162.34	134.140	M/s Modern Builders	46 /DL 2014-15	134.140	@ 12.30% Below	117.641	16.499	10%	निरंक	कार्य प्रगति पर

उपअभियंता
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वद्यिालय रायपुर के निविदा स्तर पर कार्यों का प्रतिवेदन
(भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016)

सं. क्रं.	डिपोजिट कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं दिनांक (लाख)	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं दिनांक (सिविल) (लाख)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	जियोलॉजी विभाग का नवीनीकरण का कार्य।	Rs. 59.06 Dt. 13/10/2015	Rs. 53.56 Dt. 29/01/2016	रेखचंद अग्रवाल
2	कम्प्यूटर साईस विभाग का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 58.27 Dt. 13/10/2015	Rs. 55.51 Dt. 29/01/2016	गर्वित कंस्ट्रक्शन
3	विधि विभाग का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 47.28 Dt. 13/10/2015	Rs. 43.27 Dt. 30/12/2015	रेखचंद अग्रवाल
4	गणित/सांख्यिकी विभाग का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 43.66 Dt. 13/10/2015	Rs. 35.30 Dt. 30/12/2015	जेपी कंस्ट्रक्शन
5	साईस ब्लॉक का नवीनीकरण कार्य।	Rs. 29.85 Dt. 13/10/2015	Rs. 28.90 Dt. 30/12/2015	रेखचंद अग्रवाल
6	50 बिस्तरीय खेल हॉस्टल का निर्माण।	Rs. 125.46 Dt. 17/12/2015	Rs. 105.87 Dt. 29/01/2016	साई कृपा निर्माण (दिनेश ठाकुर)
7	फार्मेसी भवन फेस –2 (प्रथमतल) का निर्माण कार्य।	Rs. 252.40 Dt. 12/05/2015	Rs. 238.58 Dt. 10/02/2016	निविदा प्रक्रियाधीन
8	मार्गो के बी.टी. रिनेवल का कार्य।	Rs. 109.20 Dt. 23/12/2015	Rs. 107.01 Dt. 31/12/2015	भवानी कंस्ट्रक्शन
9	विश्वविद्यालय नवीन पहूँच मार्ग का निर्माण कार्य ।	Rs. 185.58 Dt. 23/12/2015	Rs. 185.58 Dt. 31/12/2015	श्री गोवर्धन शर्मा

उपअभियंता
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

3609

क्रमांक /अका./2002 रायपुर, दिनांक 7-11-02 10.2002

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक २५ अक्टूबर २००२ को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थें-

१.	प्रो.बी पी चन्द्रा, कुलपति	अध्यक्ष
२.	प्रोफेसर एच.आर.सिंह	सदस्य
३.	प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
४.	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	सदस्य
५.	डा श्रीमती गीता तिवारी	सदस्य
६.	डा श्रीमती सत्यभामा आडिल	सदस्य
७.	डा. रामलाल भारद्वाज	सदस्य
८	डा. युगल भारती	सदस्य
९.	श्री विजय कुमार थवाईत	सदस्य
१०.	डॉ आर.पी.सुखीजा	सदस्य
११	डा श्रीमती माया अरोरा	सदस्य
१२.	सुश्री ओमेग टोप्पो, उपसचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
१३.	श्री ए.मिन्ज, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

विषय क्रमांक: 1 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.09.2002, के कार्यवृत की समपुष्टि करना।

निर्णय सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई ।

विषय क्रमांक: 2 विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह के आयोजन पर विचार

निर्णय कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा राज्य में सूखाग्रस्त होने के कारण दीक्षांत समारोह में होने वाले खर्च में कटौती करते हुये पूर्व वर्ष के व्यय से कम में कराने हेतु अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक: 3 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.10.2002 एवं 24.10.2002 के कार्यवृत को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई (भवन निर्माण समिति का कार्यवृत्त संलग्न)

विषय क्रमांक: 4 निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालयों को दी जाने वाली संबद्धता दिए जाने पर विचार ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई (महाविद्यालयों की सूची संलग्न)

विषय क्रमांक: 5 कुलपति जी द्वारा धारा 15 (4) के अन्तर्गत श्री शमशुद्दीन सेवानिवृत वरि.अधीक्षक पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दिनांक 1.8.02 से 31.10.02 तक रू. 3000/– प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर गोपनीय विभाग में पदस्थ किया गया है । सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई ।

विषय क्रमांक: 6 परीक्षा शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर विचार करना ।

निर्णय सत्र 2002-2003 के समस्त परीक्षाओं के लिये 10 प्रतिशत वृद्धि किया जाना स्वीकृत किया गया । परन्तु डा.आर.पी.सुखीजा के सुझाव पर कि बी.ई. पाठ्यक्रम के परीक्षा शुल्क वर्ष 2001-2002 में कई गुना बढ़ाया गया था । ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष भी 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना न्यायसंगत नहीं होगा । इस बिंदु पर विचार करने के लिये कुलपतिजी को अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक: 7 संत राजाराम शदाणी नागरिक कल्याण महाविद्यालय डौंडीलोहारा के प्राचार्य के पद पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा प्राप्त रिर्पोट पर अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय चयन समिति द्वारा प्राप्त सीलबंद लिफाफा कार्यपरिषद के सदस्यों के समक्ष कुलसचिव द्वारा खोली गई जिसमें डॉ चन्द्र कुमार चन्द्राकर को महाविद्यालय का प्राचार्य चयन किया गया था, को कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक: 8 श्री सुनील कुमार नामदेव भृत्य पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पर गठित उप समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से श्री सुनील कुमार नामदेव को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का अनुमोदन किया गया किन्तु निम्न श्रेणी लिपिक की वरिष्ठता (Seniority) अनुकंपा नियुक्ति तिथि से दिये जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

विषय क्रमांक: 9

फार्मेसी अध्ययन शाला में प्रोफेसर एवं व्याख्याता के पद पर चयन समिति द्वारा चयन किये गये अभ्यार्थियों के नाम का अनुमोदन करना ।

निर्णय

चयन समिति द्वारा चयनित डॉ शैलेन्द्र सराफ को फार्मेसी अध्ययन शाला में आचार्य के पद पर नियुक्ति एवं श्री संजय जे.डहरवाल को फार्मेसी अध्ययन शाला में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई ।

विषय क्रमांक 10

बी.आई.आई.टी. दुर्ग में हुये सार्वजनिक नकल प्रकरण पर विचार ।

निर्णय

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी.आई.आई.टी महाविद्यालय दुर्ग की बी.सी.ए. प्रथम वर्ष की संबद्धता समाप्त किया जाय । साथ ही वहाँ के प्राचार्य अथवा किसी भी प्राध्यापकों को दो वर्ष के लिये केन्द्राध्यक्ष न बनाया जाय ।

विषय क्रमांक 11

कार्यपरिषद के सदस्यों को अनुसूचित जाति/जनजाति परिषद द्वारा पदोन्नति प्रकरण पर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पार्टी बनाये जाने के संबंध में सूचना देना ।

निर्णय　　कार्य परिषद के सदस्यों को याचिका के संबंध में सूचित किया गया ।

कुलपति 31/10

कुलसचिव 31/10

पृष्ठा कमांक ~~3497~~ 3610 /अका./2002　　रायपुर, दिनांक ~~21.10.2002~~ 1-11-02

प्रतिलिपिः–

01. राज्यपाल के सचिव,राजभवन ,रायपुर ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
03. सचिव,वित्त विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
04. डॉ.(श्रीमती)सत्यभामा आडिल,विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शास. दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर ।
05. डॉ0 ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं0र0शु0वि0वि. रायपुर ।
06. डॉ.एच.आर.सिंह, आचार्य,साख्यिकी अध्ययन शाला, पं0र0शु0वि0वि. रायपुर
07. डॉ.एम.एल.नायक, आचार्य,बायो–साईन्स अध्ययन शाला पं0 र0शु0वि0वि0 रायपुर
08. डॉ0 आर.पी.सुखीजा, आचार्य, शायकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय रायपुर ।
09. प्रो.व्ही.के.थवाईत,विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय कांकेर ।
10. डॉ0 (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर
11. डॉ0 युगल भारती , प्राचार्य शास. दिग्विजय महा. राजनांदगांव ।
12. डॉ0 डी.पी.शर्मा, प्राचार्य शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर ।
13. डॉ.(श्रीमती)माया अरोरा प्राचार्य, शास. कला/विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग ।
14. श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी–4,अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।
15. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर ।
16. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
17. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण पं.र.शु.वि.वि. रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव 31/10

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2002 में
यांत्रिकी विभाग की कार्यवृत्त

विषय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 7.10.2002 एवं 24.10.2002 का अनुमोदन ।

निर्णय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 7.10.2002 एवं 24.10.2002 की कार्यवृत्त पर चर्चा हुई ।

1. कम्प्यूटर भवन प्रथमतल निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 22,86,000/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू. 22,82,571/-(बाइस लाख बयासी हजार पांच सौ- इकहत्तर) मात्र की कार्य अनुबंध करने निर्माण समिति की अनुशंषा अनुसार न्यूनतम निविदाकार श्री प्रकाश तिवारी रायपुर की निविदा दर रू.0.15% एस.ओ. आर. से कम सर्वसम्मति से मान्य किया गया ।

2. फारमेसी भवन को दो प्रयोगशाला में प्लेटफार्म निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 3,27,000/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू. 3,27,000/- (तीन लाख सत्ताइस- -हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निर्माण समिति की अनुशंषा अनुसार न्यूनतम निविदाकार मे/ रायपुर कंस्ट्रक्सन्स प्रा.लिमि. रायपुर की निविदा दर एस.ओ.आर. दर पर मान्य कर प्लेटफार्म में सिरेमिक टाइल्स के स्थान पर मोजेक या अन्य फ्लोर करने भी निर्णय सर्वसम्मति से किया गया ।

3. संचालक शारीरिक शिक्षा कार्यालय के लिए प्राक्कलन राशि रू. 10,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू. 9,59,904/-(नौ लाख उनसठ हजार नौ सौ चार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए न्यूनतम निविदाकार श्री प्रकाश तिवारी , रायपुर की निविदा दर रू. 0.01%एस.ओ.आर.से कम मान्य किया गया ।

4. निर्माण समिति में प्रस्तावित विभिन्न स्पोर्टस ग्राउंड के लिए राशि रू.3,85,770/- (तीन लाख पचासीसौ हजार सात सौ सत्तर) तथा क्रिकेट ग्राउंड के लिए राशि रू. 4,87,760/- (चार लाख सतासीसौ हजार सात सौ साठ) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए , कार्य के लिए निविदा आमंत्रण करने निर्णय लिया गया ।

5. कला विस्तार भवन प्राक्कलन राशि रू.22,82,078/-(बाइस लाख बयासी हजार अठहत्तर) मात्र को अमान्य किया गया , इसके स्थान पर बायोसाइंस भवन को विस्तार का निर्णय लिया गया ।

6. केन्टीन भवन निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 3,60,915/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू.3,21,967/- (तीन लाख इक्कीस हजार नौ सौ सडसठ) मात्र की कार्य अनुबंध करने निर्माण समिति की अनुशंषा अनुसार मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्सन्स प्रा.लि. रायपुर की न्यूनतम निविदा दर रू.0.01% एस. ओ. आर. से कम मान्य किया गया ।

7. प्रेक्षागृह के सामने इन्टरलाक कांक्रीट ब्लाक के स्थान पर सीमेन्ट कांक्रीट फ्लोर के लिए प्राक्कलन राशि रू. 5,02,000/- को कम करते हुए राशि रू. 3,50,000/-(तीन लाख पचास हजार) मात्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया, न्यूनतम निविदाकार मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्सन्स प्रा.लि. रायपुर से तदनुसार निगोशिएसन की स्वीकृति भी प्रदान की गई उक्त कार्य यांत्रिकी के प्रत्याशित बजट से करने भी निर्णय लिया गया।

8. 24 एफ टाइप एवं 42 आइ टाइप (सर्वेंट क्वार्टर सहित) आवासों में आइ.पी.एस. फ्लोरिंग के लिए प्राक्कलन राशि रू. 5,58,612/-(पांच लाख अट्ठावन हजार छै सौ बारह) मात्र की वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान कर न्यूनतम निविदाकार मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्सन्स प्रा.लि. रायपुर से तदनुसार निगोशिएसन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

9.. कर्मचारी आवासों में सीमेंट कांक्रीट रोड के लिए प्राक्कलन राशि रूपये 3,88,000/- अनुसार (तीन लाख अट्ठासी हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए न्यूनतम निविदाकार मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्सन्स प्रा.लि. रायपुर से निगोशिएसन कर ही कार्य अनुबंध करने निर्णय लिया गया।

10.. अतिथि आवास के विद्युतीयकरण के लिए राशि रू. 2,58,700/- मात्र तथा केन्द्रीय मूल्यांकन भवन के विद्युतीयकरण के लिए राशि रू. ९,८६,०००/- (नौ लाख छियासी हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

11. कुलपति एवं कुलसचिव कक्ष में स्प्लीट ए.सी. लगाने के लिए भवन निर्माण समिति की अनुशंसा मान्य किया गया।

12. केन्द्रीय मूल्यांकन भवन में लिफ्ट लगाने के प्रस्ताव को प्रथमतल निर्माण तक स्थगित रखने निर्णय लिया गया।

13. ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए राशि रू. 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

14. एम.बी.ए. भवन का अधिग्रहण लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करने किये गये कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

15. कन्या छात्रावास परिसर में सेप्टिक टैंक निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 3,07,678/- (तीन लाख सात हजार छै सौ अठहत्तर) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रण करने का निर्णय लिया गया।

16. विश्वविद्यालय परिसर से लगे सेंट विन्सेंट दे पल्लोटि स्कूल को विश्वविद्यालय के मार्ग का उपयोग करने के लिए अनुपातिक सड़क संधारण व्यय विश्वविद्यालय को भुगतान करने नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

3609

क्रमांक /अका./2002 रायपुर, दिनांक 7-11-02 10.2002

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक २५ अक्टूबर २००२ को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थें-

१.	प्रो.बी पी चन्द्रा, कुलपति	अध्यक्ष
२.	प्रोफेसर एच.आर.सिंह	सदस्य
३.	प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
४.	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	सदस्य
५.	डा श्रीमती गीता तिवारी	सदस्य
६.	डा श्रीमती सत्यभामा आडिल	सदस्य
७.	डा. रामलाल भारद्वाज	सदस्य
८	डा. युगल भारती	सदस्य
९.	श्री विजय कुमार थवाईत	सदस्य
१०.	डॉ आर.पी.सुखीजा	सदस्य
११	डा श्रीमती माया अरोरा	सदस्य
१२.	सुश्री ओमेग टोप्पो, उपसचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
१३.	श्री ए.मिन्ज, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

विषय क्रमांक: 1 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.09.2002, के कार्यवृत की समपुष्टि करना।

निर्णय सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई ।

विषय क्रमांक: 2 विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह के आयोजन पर विचार

निर्णय कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा राज्य में सूखाग्रस्त होने के कारण दीक्षांत समारोह में होने वाले खर्च में कटौती करते हुये पूर्व वर्ष के व्यय से कम में कराने हेतु अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक: 3 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.10.2002 एवं 24.10.2002 के कार्यवृत को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई (भवन निर्माण समिति का कार्यवृत्त संलग्न)

विषय क्रमांक: 4 निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालयों को दी जाने वाली संबद्धता दिए जाने पर विचार ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई (महाविद्यालयों की सूची संलग्न)

विषय क्रमांक: 5 कुलपति जी द्वारा धारा 15 (4) के अन्तर्गत श्री शमशुद्दीन सेवानिवृत वरि.अधीक्षक पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दिनांक 1.8.02 से 31.10.02 तक रू. 3000/– प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर गोपनीय विभाग में पदस्थ किया गया है । सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई ।

विषय क्रमांक: 6 परीक्षा शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर विचार करना ।

निर्णय सत्र 2002-2003 के समस्त परीक्षाओं के लिये 10 प्रतिशत वृद्धि किया जाना स्वीकृत किया गया । परन्तु डा.आर.पी.सुखीजा के सुझाव पर कि बी.ई. पाठ्यक्रम के परीक्षा शुल्क वर्ष 2001-2002 में कई गुना बढ़ाया गया था । ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष भी 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना न्यायसंगत नहीं होगा । इस बिंदु पर विचार करने के लिये कुलपतिजी को अधिकृत किया गया ।

विषय क्रमांक: 7 संत राजाराम शदाणी नागरिक कल्याण महाविद्यालय डौंडीलोहारा के प्राचार्य के पद पर चयन हेतु चयन समिति द्वारा प्राप्त रिर्पोट पर अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय चयन समिति द्वारा प्राप्त सीलबंद लिफाफा कार्यपरिषद के सदस्यों के समक्ष कुलसचिव द्वारा खोली गई जिसमें डॉ चन्द्र कुमार चन्द्राकर को महाविद्यालय का प्राचार्य चयन किया गया था, को कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक: 8 श्री सुनील कुमार नामदेव भृत्य पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण पर गठित उप समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय

कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से श्री सुनील कुमार नामदेव को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का अनुमोदन किया गया किन्तु निम्न श्रेणी लिपिक की वरिष्ठता (Seniority) अनुकंपा नियुक्ति तिथि से दिये जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

विषय क्रमांक: 9

फार्मेसी अध्ययन शाला में प्रोफेसर एवं व्याख्याता के पद पर चयन समिति द्वारा चयन किये गये अभ्यार्थियों के नाम का अनुमोदन करना ।

निर्णय

चयन समिति द्वारा चयनित डॉ शैलेन्द्र सराफ को फार्मेसी अध्ययन शाला में आचार्य के पद पर नियुक्ति एवं श्री संजय जे.डहरवाल को फार्मेसी अध्ययन शाला में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई ।

विषय क्रमांक 10

बी.आई.आई.टी. दुर्ग में हुये सार्वजनिक नकल प्रकरण पर विचार ।

निर्णय

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी.आई.आई.टी महाविद्यालय दुर्ग की बी.सी.ए. प्रथम वर्ष की संबद्धता समाप्त किया जाय । साथ ही वहाँ के प्राचार्य अथवा किसी भी प्राध्यापकों को दो वर्ष के लिये केन्द्राध्यक्ष न बनाया जाय ।

विषय क्रमांक 11

कार्यपरिषद के सदस्यों को अनुसूचित जाति/जनजाति परिषद द्वारा पदोन्नति प्रकरण पर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पार्टी बनाये जाने के संबंध में सूचना देना ।

निर्णय — कार्य परिषद के सदस्यों को याचिका के संबंध में सूचित किया गया ।

कुलपति 31/10

31/10
कुलसचिव

पृष्ठा कमांक ~~3497~~ 3610 /अका./2002

रायपुर, दिनांक ~~21.10.2002~~ 1-11-02

प्रतिलिपिः–

01. राज्यपाल के सचिव,राजभवन ,रायपुर ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
03. सचिव,वित्त विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
04. डॉ.(श्रीमती)सत्यभामा आडिल,विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शास. दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर ।
05. डॉ0 ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं0र0शु0वि0वि. रायपुर ।
06. डॉ.एच.आर.सिंह, आचार्य,साख्यिकी अध्ययन शाला, पं0र0शु0वि0वि. रायपुर
07. डॉ.एम.एल.नायक, आचार्य,बायो–साईन्स अध्ययन शाला पं0 र0शु0वि0वि0 रायपुर
08. डॉ0 आर.पी.सुखीजा, आचार्य, शायकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय रायपुर ।
09. प्रो.व्ही.के.थवाईत,विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय कांकेर ।
10. डॉ0 (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर
11. डॉ0 युगल भारती , प्राचार्य शास. दिग्विजय महा. राजनांदगांव ।
12. डॉ0 डी.पी.शर्मा, प्राचार्य शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर ।
13. डॉ.(श्रीमती)माया अरोरा प्राचार्य, शास. कला/विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग ।
14. श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी–4,अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।
15. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर ।
16. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
17. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण पं.र.शु.वि.वि. रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव 31/10

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2002 में
यांत्रिकी विभाग की कार्यवृत्त

विषय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 7.10.2002 एवं 24.10.2002 का अनुमोदन ।

निर्णय:- भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 7.10.2002 एवं 24.10.2002 की कार्यवृत्त पर चर्चा हुई ।

1. कम्प्यूटर भवन प्रथमतल निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 22,86,000/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू. 22,82,571/-(बाइस लाख बयासी हजार पांच सौ- इकहत्तर) मात्र की कार्य अनुबंध करने निर्माण समिति की अनुशंषा अनुसार न्यूनतम निविदाकार श्री प्रकाश तिवारी रायपुर की निविदा दर रू.0.15% एस.ओ. आर. से कम सर्वसम्मति से मान्य किया गया ।

2. फार्मेसी भवन को दो प्रयोगशाला में प्लेटफार्म निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 3,27,000/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू. 3,27,000/- (तीन लाख सत्ताइस- -हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निर्माण समिति की अनुशंषा अनुसार न्यूनतम निविदाकार मे/ रायपुर कंस्ट्रक्शन्स प्रा.लिमि. रायपुर की निविदा दर एस.ओ.आर. दर पर मान्य कर प्लेटफार्म में सिरेमिक टाइल्स के स्थान पर मोजेक या अन्य फ्लोर करने भी निर्णय सर्वसम्मति से किया गया ।

3. संचालक शारीरिक शिक्षा कार्यालय के लिए प्राक्कलन राशि रू. 10,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू. 9,59,904/-(नौ लाख उनसठ हजार नौ सौ चार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए न्यूनतम निविदाकार श्री प्रकाश तिवारी , रायपुर की निविदा दर रू. 0.01%एस.ओ.आर.से कम मान्य किया गया ।

4. निर्माण समिति में प्रस्तावित विभिन्न स्पोर्टस ग्राउंड के लिए राशि रू.3,85,770/- (तीन लाख पचासी हजार सात सौ सत्तर) तथा क्रिकेट ग्राउंड के लिए राशि रू. 4,87,760/- (चार लाख सत्तासी हजार सात सौ साठ) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए , कार्य के लिए निविदा आमंत्रण करने निर्णय लिया गया ।

5. कला विस्तार भवन प्राक्कलन राशि रू.22,82,078/-(बाइस लाख बयासी हजार अठहत्तर) मात्र को अमान्य किया गया , इसके स्थान पर बायोसाइंस भवन को विस्तार का निर्णय लिया गया ।

6. केन्टीन भवन निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 3,60,915/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा राशि रू.3,21,967/- (तीन लाख इक्कीस हजार नौ सौ सडसठ) मात्र की कार्य अनुबंध करने निर्माण समिति की अनुशंषा अनुसार मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन्स प्रा.लि. रायपुर की न्यूनतम निविदा दर रू.0.01% एस. ओ. आर. से कम मान्य किया गया ।

7. प्रेक्षागृह के सामने इन्टरलाक कांक्रीट ब्लाक के स्थान पर सीमेन्ट कांक्रीट फ्लोर के लिए प्राक्कलन राशि रू. 5,02,000/- को कम करते हुए राशि रू. 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) मात्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया, न्यूनतम निविदाकार मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्सन्स प्रा.लि. रायपुर से तदनुसार निगोशियसन की स्वीकृति भी प्रदान की गई, उक्त कार्य यांत्रिकी के प्रावधानित बजट से करने भी निर्णय लिया गया।

8. 24 एच टाइप एवं 42 आई टाइप (सर्वेंट क्वार्टर सहित) आवासों में आई.पी.एस. फ्लोरिंग के लिए प्राक्कलन राशि रू. 5,58,612/-(पांच लाख अठावन हजार छै सौ बारह) मात्र की वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान कर न्यूनतम निविदाकार मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्सन्स प्रा.लि. रायपुर से तदनुसार निगोशियसन की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

9.. कर्मचारी आवासों में सीमेंट कांक्रीट रोड के लिए प्राक्कलन राशि रूपये 3,88,000/- अनुसार (तीन लाख अट्ठासी हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए न्यूनतम निविदाकार मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्सन्स प्रा.लि. रायपुर से निगोशियसन कर ही कार्य अनुबंध करने निर्णय लिया गया।

10.. अतिथि आवास के विद्युतीयकरण के लिए राशि रू. 2,58,700/- मात्र तथा केन्द्रीय मूल्यांकन भवन के विद्युतीयकरण के लिए राशि रू. ९,८३,०००/- (नौ लाख तिरासी हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

11. कुलपति एवं कुलसचिव कक्ष में स्प्लीट ए.सी. लगाने के लिए भवन निर्माण समिति की अनुशंसा मान्य किया गया।

12. केन्द्रीय मूल्यांकन भवन में लिफ्ट लगाने के प्रस्ताव को प्रथमतल निर्माण तक स्थगित रखने निर्णय लिया गया।

13. ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए राशि रू. 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

14. एस.बी.ए. भवन का अधिग्रहण लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करने किये गये कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

15. कन्या छात्रावास परिसर में [illegible] कन्टीन निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि रू. 3,07,678/- (तीन लाख सात हजार छै सौ अठहत्तर) मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निविदा आमंत्रण करने का निर्णय लिया गया।

16. विश्वविद्यालय परिसर से लगी [illegible] पब्लिक स्कूल को विश्वविद्यालय के मार्ग का उपयोग करने के लिए आनुपातिक सड़क संधारण व्यय विश्वविद्यालय को भुगतान करने नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/376/यांत्रिकी/2003 रायपुर, दिनांक 25.01.200

प्रति,
प्रबंधक,
रेडियेन्ट वे पब्लिक स्कूल
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
परिसर रायपुर (छ.ग.)

विषय:- विश्वविद्यालय मार्ग की संधारण हेतु अंश राशि जमा करने बाबत ।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के मार्ग का उपयोग आपके व्दारा किय रहा है, सड़क संधारण विद्युत व्यवस्था में विश्वविद्यालय व्दारा किये जाने वाले व्यय राशि अनुपातिक अंश दान आपसे प्राप्त करने का निर्णय विश्वविद्यालय कार्य परिषद में लिए गया है

अत: रू. 10,000/- वार्षिक दर से वर्ष 2002 एवं 2003 की संधारण अंश र विश्वविद्यालय को भुगतान करने का कष्ट करें ।

(राजीव मिश्रा)
विश्वविद्यालय यंत्री

③

General Fund

Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY
RAIPUR (C.G.)

R. No. 37

Book No. 1061

Received From Shri / Smt./ Ku. [illegible]
[illegible]

(In Figure) 10.000/-

By B.D. [illegible] Dt 10/2/03

ON ACCOUNT OF

[illegible]

		Rs.	P.
1	Registration Fee / Enrolment Fee		
2.	Late Fee / Surcharge		
3.	Fee for Registration of Graduates/ Ph.D.		
4.	Fee for Duplicate Mark Sheet		
5.	Fee for Degree Certificate		
6.	Fee for Convocation		
7.	Chhatra Sabha Sangh Fee		
8.	Refund of ....Advance		
9.	Xerox Copy Charge		
10.	Immigration / Migration / Provisional Certificate Fee		
11.	[illegible]	10000	—
12.	वर्ष 2003		
13.			
14.			
15.			
16.			
	Total Rs.	10000	—

(In words) Rs. दस हजार मात्र

Counter Clerk / Cashier

19/2/03

General Fund

Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY
RAIPUR (C.G.)

Book No. 1393 R. No. 05

Received From ~~Shri / Smt. / Ku.~~ Shree Manju Dubey Memorial Education Soc.

(In Figure) 20000

By Cheque No. 012351 dt 16-2-05

ON ACCOUNT OF	Rs.	P.
1 Registration Fee / Enrolment Fee		
2. Late Fee / Surcharge		
3. Fee for Registration of Graduates/ Ph.D.		
4. Fee for Duplicate Mark Sheet		
5. Fee for Degree Certificate		
6. Fee for Convocation		
7. Chhatra Sabha Sangh Fee		
8. Refund of ....Advance		
9. Xerox Copy Charge		
10. Immigration / Migration / Provisional Certificate Fee		
11.		
12. Deposit of maintenance		
13. Money For use of		
14. University Road	20000	
15.		
16.		
Total Rs.	20000	

(In words) Rs. Twenty ~~Five~~ Thousand only

18-2-05

Counter Clerk / Cashier

प्राप्त 9-5-10

Ex CAMO- 11465/16, निर्णय/डिक्री की सत्य प्रतिलिपि

(शांतनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक
रायपुर (छ.ग.)

न्यायालयः– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायपुर (छ0ग0)

(पीठासीन अधिकारी– शांतनु कुमार देशलहरे)

व्यव0 वाद क्रं0–24 ए/2011

संस्थित दिनांक–22/06/2007

श्री मंगल दुबे ममोरियल एजुकेशन सोसायटी
सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1972
के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी
द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
कोषाध्यक्ष श्री समीर दुबे
आत्मज स्व. श्री संतोष कुमार दुबे, आयु 35 वर्ष
पंजीकृत कार्यालय 6, डुंगाजी कालोनी
डंगनिया रायपुर (छ0ग0) ....वादी

// विरूद्ध //

1 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
द्वारा–रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं शैक्षणिक संस्था,
द्वारा कुलपति श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ0ग0)

2 श्री के.के.चंद्राकर, कुल सचिव,
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
पता–विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर (छ0ग0)

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

15.7.16

(शांतनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

3 यांत्रिकी विभाग, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

द्वारा–श्री पूरन बैस, प्रभारी अभियंता

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, यात्रिकी विभाग

पता–पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर

रायपुर छ0ग0 .....प्रतिवादी

// निर्णय / /

(आज दिनांक 15.07.2016 को उद्घोषित किया गया)

01– वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा वास्ते उत्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है।

02– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस प्रकार है कि वादी सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है तथा डुमर तालाब रायपुर छ0ग0 में रेडियंट वेय नाम से सन् 1998 से संचालित कर रही है तथा वर्तमान में स्कूल में लगभग 750 छात्र, छात्राएं अध्ययनरत हैं। वादी के स्कूल के प्रवेश के लिए जो रास्ता जाता है वह प्रतिवादी क0–1 के स्वामित्व की खुली भुमी है जो विश्वविद्यालय के निर्माण के समय से खुली भुमी है तथा जिसे वादी के अलावा अन्य व्यक्ति एवं संस्था भी आवागमन के साधान के रूप में बिना व्यवधान उपयोग करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त रास्ता एवं वादी के स्कूल का नक्शा इस वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है जो कि वादपत्र का भाग है। वादी इस रास्ते का उपयोग स्कूल निर्माण अर्थात् सन् 1998 से

15.7.16

(शातनु कुमार देशमुख)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

ही करते आ रही है। वादी ने उस रास्ते का उपयोग वर्ष 1998 से 2002 तक बिना व्यवधान एवं बिना कोई शुल्क भुगतान के किया था। दिसंबर 2002 में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि वादी द्वारा उक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए उपयेाग किये जा रहे रास्त का उपयोग एवं उपभोग के लिए 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से शुल्क प्रतिवादी क0–1 को प्रदान करेगा। जिसकी पुष्टि प्रतिवादी क0–3 ने वादी को प्रेषित पत्र क0–376/यात्रिकी/2003 रायपुर दिनांक 25.01.2003 द्वारा की थी। वादी क0–3 द्वारा वादी को प्रेषित पत्र वादी के कार्यालय से गुम हो गई परंतु मुल प्रति एवं उससे संबंधित संपूर्ण दस्तावेज प्रतिवादीगण के कार्यालय में उपलब्ध है।

03– प्रतिवादीगण एंव वादी के मध्य तय किये गये शर्तो एवं अनुमति के आधार पर वादी दिनांक 25.01.2003 के पश्चात् उक्त वादग्रस्त रास्ते का शैक्षणिक संस्थान हेतु उपयोग करते आ रही है। वादी ने वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 कर बतौर शुक्ल 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवादीगणों को चेक क0–0229949 दिनांक 10.02.2003 राशि 10 हजार रूपये सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया आश्रम शाखा रायपुर एवं चेक क0–012371 दिनांक 16.03.2005 राशि 20,000/–रू0 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया आश्रम शाखा रायपुर के द्वारा किया है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त रास्त का उपयोग वर्ष 2003 से प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रदान की गई विधिवत अनुमति एवं सहमति के शुल्क का भुगतान करते आ रहे हैं तथा यह तत्य भी उल्लेखनीय है कि

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

CANCELLED CANCELLED

वादी की तरह अन्य व्यक्ति एवं संस्था भी वादग्रस्त रास्ते का उपयोग बिना व्यवधान आज दिनांक तक करते आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी इस पर आपत्ति नहीं की गई है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य तय किये गये शुल्क की दर से वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 की शुल्क भुगतान करने के लिए जब वादी ने पत्र दिनांक 23.01.2006 के साथ 20 हजार रूपये का चेक प्रतिवादी क0–2 को भेजा तब प्रतिवादी क0–2 ने बिना किसी कारण बताये उक्त चेक को वादी को वापस लौटा दिया, जिसके पश्चात वादी के द्वारा दिनांक 09.10.2006 को पुनः वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 का शुल्क के भुगतान के लिए प्रतिवादीगणों को 20 हजार रूपये का चेक प्रतिवादी क0–2 को संबोधित पत्र के साथ प्रेषित किया तब प्रतिवादी क0–2 ने इसे यात्रिकी विभाग अर्थात् प्रतिवादी क0–3 के समक्ष प्रस्तुत करने की टीप के साथ दिनांक 27.10.06 को वादी को वापस कर दिया तत्पश्चात् वादी द्वारा धनादेश को पत्र के साथ पुनः यात्रिकी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया तब यात्रिकी विभाग के अधिकारी द्वारा उसे पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा उसके पश्चात् वादी द्वारा उक्त चेक एवं पत्र को वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया तब वित्त विभाग ने उक्त चेक को बिना कोई कारण बताये दुर्भावना पूर्वक लेने से इंकार कर दिया।

04– वादी द्वारा वादग्रस्त रास्त का उपयोग बिना किसी व्यवधान एवं बिना किसी रूकावट के शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता रहा है तथा प्रतिवादीगणों द्वारा कभी भी उक्त रास्ते का उपयोग नही करने

(शांतनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

के लिए कभी भी लिखित अथवा मौखिक सूचना नहीं दी गई है। दिनांक 19.06.2007 को अचानक प्रतिवादीण द्वारा वादी द्वारा उपयोग किये जा रहे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से वादी के स्कूल के सामने गड्ढ़ा खोदना शुरू कर दिया है तथा गड्ढा खोदने वाले कर्मचारियों से पूछने पर बताया गया कि प्रतिवादी क0–1 द्वारा उक्त स्थान पर दिवाल निर्माण किया जायेगा। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा केवल वादी द्वारा उपयोग किये जाने रहे रास्ते पर अवरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिवाल निर्माण किया जा रहा है तथा इसी परिसर में अन्य व्यक्ति एवं संस्था अभी भी उन्हें प्रतिवादी द्वारा प्रदान रास्ते का बिना व्यवधान उपयोग कर रहे हैं तथा उन पर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रतिवादीगणों द्वारा नही की गई है। वादी द्वारा वादग्रस्त रास्ते का उपयोग अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिवादीणों की अनुमति से बतौर शुल्क भुगतान करके किया जा रहा है। प्रतिवादीण द्वारा अवैधानिक रूप से वादी के स्कूल के सामने गड्ढा खोदकर वाद ग्रस्त रास्ते के उपयेाग में अवरोध उत्पन्न कर किया जा रहा है एवं लगभग 4 फिट की दिवाल का निर्माण कर चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा यह जानते हुए कि वादी शैक्षणिक संस्थान के रास्ते का उपयोग कर रहा है, प्रतिवादीगण द्वारा विधि के सिद्धांतों के विपरीत दुर्भावनापूर्ण आशय से व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिससे शैक्षिण संस्थान के आवागमन का रास्ता बंद हो जाने से छात्र, छात्राओं का संस्थान में प्रवेश निषेध हो गया है तथा उनका भविष्य अंधकारमय हो

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

CANCELLED CANCELLED
कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

गया है। जिसके कारण वादी को यह दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

05– प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओं का कंडिकावार जवाब प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों से इंकार करते हुए बताया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी से 20 हजार एवं 10 हजार कुल 30 हजार रूपये की राशि प्राप्त की गई थी, जो कि वादी के वाहनों द्वारा प्रतिवादीगण के सड़क वार्वेट वायर एवं विद्युत खंभों को क्षति पहूंचाये जाने के फलस्वरूप मरम्मत हेतु उक्त राशियां प्राप्त की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को स्कूल आने जाने के लिए कभी भी अपने हक एवं स्वामित्व की भूमि के उपयोग, उपभोग करने संबंधी अधिकार एवं अनुमति प्रदान नही की गई है। वादी को अन्य स्कूल कांगेर वैली की तरह अन्य वैकल्पिक एवं वास्तविक मार्ग स्कूल आने जाने हेतु सहज एवं सुलभ ढंग से उपलब्ध है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अमान्य किये जाने योग्य है।

06– उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की विरचना की गई, जिनके समक्ष विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं।

क0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त रास्ता वादी द्वारा प्रतिवादीगणों की अनुमति से उपयोग शुक्ल अदा कर उपयोग की जा रही है ?	प्रमाणित नहीं

2	क्या वादग्रस्त रास्ता आम रास्ता है उक्त रास्ता का शाला के अध्यापक, कर्मचारी, छात्र, छात्राओं उनके अभिभावक इत्यादी को पूर्ववत् उपयोग करने का अधिकार है ?	नहीं।
3	क्या वादी वादग्रस्त स्थान के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	नहीं
4	क्या वादी प्रतिवादीगण से वाद व्यय भी प्राप्त करने का अधिकारी है ?	नहीं
5	सहायता एंव व्यय ?	डिक्री 19 अनुसार

वाद प्रश्न क0–1

07– इस संबंध में वादी द्वारा साक्षी समीर दुबे का परीक्षण वादी साक्षी क0–1 के रूप में कराया गया है जिसने बताया है कि वादी सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है तथा डुमर तालाब रायपुर छ0ग0 में रेडियंट वेय नाम से सन् 1998 से संचालित कर रही है तथा वर्तमान में स्कूल में लगभग 750 छात्र, छात्राएं अध्ययनरत हैं। वादी के स्कूल के प्रवेश के लिए जो रास्ता जाता है वह प्रतिवादी क0–1 के स्वामित्व की खुली भुमी है जो विश्वविद्यालय के निर्माण के समय से खुली भुमी है तथा जिसे वादी के अलावा अन्य व्यक्ति एवं संस्था भी आवागमन के साधान के रूप में बिना व्यवधान उपयोग करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त रास्ता एवं वादी के

15-7-16

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

CANCELLED CANCELLED
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

प्रतिलिपि-विभाग
रायपुर (छ.ग.)

स्कूल का नक्शा इस वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है जो कि वादपत्र का भाग है। वादी इस रास्ते का उपयोग स्कूल निर्माण अर्थात् सन् 1998 से ही करते आ रही है। वादी ने उस रास्ते का उपयोग वर्ष 1998 से 2002 तक बिना व्यवधान एवं बिना कोई शुल्क भुगतान के किया था। दिसंबर 2002 में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि वादी द्वारा उक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए उपयोग किये जा रहे रास्त का उपयोग एवं उपभोग के लिए 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से शुल्क प्रतिवादी क0–1 को प्रदान करेगा। जिसकी पुष्टि प्रतिवादी क0–3 ने वादी को प्रेषित पत्र क0–376/यात्रिकी/2003 रायपुर दिनांक 25.01.2003 द्वारा की थी। वादी क0–3 द्वारा वादी को प्रेषित पत्र वादी के कार्यालय से गुम हो गई परंतु मुल प्रति एवं उससे संबंधित संपूर्ण दस्तावेज प्रतिवादीगण के कार्यालय में उपलब्ध है।

08– प्रतिवादीगण एंव वादी के मध्य तय किये गये शर्तो एवं अनुमति के आधार पर वादी दिनांक 25.01.2003 के पश्चात् उक्त वादग्रस्त रास्ते का शैक्षणिक संस्थान हेतु उपयोग करते आ रही है। वादी ने वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 कर बतौर शुक्ल 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवादीगणों को चेक क0–0229949 दिनांक 10.02.2003 राशि 10 हजार रूपये सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया आश्रम शाखा रायपुर एवं चेक क0–012371 दिनांक 16.03.2005 राशि 20,000/–रू0 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया आश्रम शाखा रायपुर के द्वारा किया है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त ~~रास्त~~, का उपयोग वर्ष 2003 से

प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रदान की गई विधिवत अनुमति एवं सहमति के शुल्क का भुगतान करते आ रहे हैं तथा यह तत्य भी उल्लेखनीय है कि वादी की तरह अन्य व्यक्ति एवं संस्था भी वादग्रस्त रास्ते का उपयोग बिना व्यवधान आज दिनांक तक करते आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण के द्वारा कभी भी इस पर आपत्ति नहीं की गई है। वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य तय किये गये शुल्क की दर से वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 की शुल्क भुगतान करने के लिए जब वादी ने पत्र दिनांक 23.01.2006 के साथ 20 हजार रूपये का चेक प्रतिवादी क0–2 को भेजा तब प्रतिवादी क0–2 ने बिना किसी कारण बताये उक्त चेक को वादी को वापस लौटा दिया, जिसके पश्चात वादी के द्वारा दिनांक 09.10.2006 को पुनः वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 का शुल्क के भुगतान के लिए प्रतिवादीगणों को 20 हजार रूपये का चेक प्रतिवादी क0–2 को संबोधित पत्र के साथ प्रेषित किया तब प्रतिवादी क0–2 ने इसे यात्रिकी विभाग अर्थात् प्रतिवादी क0–3 के समक्ष प्रस्तुत करने की टीप के साथ दिनांक 27.10.06 को वादी को वापस कर दिया तत्पश्चात् वादी द्वारा धनादेश को पत्र के साथ पुनः यात्रिकी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया तब यात्रिकी विभाग के अधिकारी द्वारा उसे पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा उसके पश्चात् वादी द्वारा उक्त चेक एवं पत्र को वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया तब वित्त विभाग ने उक्त चेक को बिना कोई कारण बताये दुर्भावना पूर्वक लेने से इंकार कर दिया।

(शान्तनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

कोर्ट फी COURT FEE 2 रु. Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED
कोर्ट फी COURT FEE 2 रु. Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

प्रतिलिपि-विभाग

09– वादी द्वारा वादग्रस्त रास्त का उपयोग बिना किसी व्यवधान एवं बिना किसी रूकावट के शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता रहा है तथा प्रतिवादीगणों द्वारा कभी भी उक्त रास्ते का उपयोग नही करने के लिए कभी भी लिखित अथवा मौखिक सूचना नहीं दी गई है। दिनांक 19'.06.2007 को अचानक प्रतिवादीण द्वारा वादी द्वारा उपयोग किये जा रहे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से वादी के स्कूल के सामने गड्ढ़ा खोदना शुरू कर दिया है तथा गड्ढा खोदने वाले कर्मचारियों से पूछने पर बताया गया कि प्रतिवादी क0–1 द्वारा उक्त स्थान पर दिवाल निर्माण किया जायेगा। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा केवल वादी द्वारा उपयोग किये जाने रहे रास्ते पर अवरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिवाल निर्माण किया जा रहा है तथा इसी परिसर में अन्य व्यक्ति एवं संस्था अभी भी उन्हें प्रतिवादी द्वारा प्रदान रास्ते का बिना व्यवधान उपयोग कर रहे हैं तथा उन पर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रतिवादीगणों द्वारा नही की गई है। वादी द्वारा वादग्रस्त रास्ते का उपयोग अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिवादीणों की अनुमति से बतौर शुल्क भुगतान करके किया जा रहा है। प्रतिवादीण द्वारा अवैधानिक रूप से वादी के स्कूल के सामने गड्ढा खोदकर वाद ग्रस्त रास्ते के उपयोग में अवरोध उत्पन्न कर किया जा रहा है एवं लगभग 4 फिट की दिवाल का निर्माण कर चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा यह जानते हुए कि वादी शैक्षणिक संस्थान के रास्ते का उपयोग कर रहा है, प्रतिवादीगण द्वारा विधि के सिद्धांतों के विपरीत दुर्भावनापूर्ण आशय से व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, जिससे शैक्षिण

संस्थान के आवागमन का रास्ता बंद हो जाने से छात्र, छात्राओं का संस्थान में प्रवेश निषेध हो गया है तथा उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। जिसके कारण वादी को यह दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

10– इस साक्षी ने अपने कथनों के समर्थन में रजिस्टार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इंजीनियर राजिव मिश्रा को दिनांक 10.02.2003 को सड़क संधारण हेतु शुल्क की राशि 10 हजार रूपये की जमा हेतु प्रेषित पत्र प्रपी–1, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा विवेकानंद आश्रम रायपुर का वादी संस्थान के खाते का स्टेटमेंट प्रपी–2, रजिस्ट्रार पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को दिनांक 16.03.2005 को प्रेषित सड़क संधारण शुक्ल राशि जमा हेतु प्रेषित पत्र प्रपी–3, रजिस्ट्रार पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सड़क संधारण हेतु 20 हजार रूपये जमा बाबत् प्रेषित पत्र प्रपी–4, एवं धनादेश दिनांक 23.01.2006 प्रपी–5 जिसे प्रतिवादी द्वारा 27.01.2006 को प्राप्त किया गया हैं। रजिस्ट्रार पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सड़क संधारण हेतु राशि जमा बाबत प्रेषित पत्र प्रपी–6 तथा 7 में 20 हजार रूपये का पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के नाम से प्रेषित धनादेश दिनांक 09.10.2006 प्रपी–7, वादी प्रबंधक रेडियंट वेय स्कूल को प्रतिवादी पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 25.01.03 को मार्ग के संधारण हेतु अंशराशि जमा बाबत् प्रेषित पत्र की छायाप्रति जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.15 के अनुसार प्रपी–8 के के रूप में अंकित किया गया। प्रतिवादी पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

17-7-16

(शांतनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

CANCELLED CANCELLED

रायपुर द्वारा सड़क संधारण अंश राशि प्राप्त कर वादी को प्रेषित रसीद दिनांक 19.02.03 एवं 18.02.15 प्रपी–9 एवं 10, माननीय द्वादश अति. जिला न्यायाधीश रायपुर के आदेश दिनांक 11.10.07 के परिपालन में वादी द्वारा क्रमशः दिनांक 21.03.14 को सड़क संधारण हेतु अंश राशि 50 हजार रूपये, नायब नाजिर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के समक्ष जमा की गई रसीद प्रपी–11, दिनांक 16.06.11 राशि 30 हजार रूपये प्रपी–12, दिनांक 19.06.08 को राशि 30 हजार रूपये प्रपी–13, दिनांक 15.10.07 को राशि 20 हजार रूपये प्रपी–14 प्रस्तुत किया गया है।

11– इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह सही होना स्वीकार किया गया है कि वादी संस्थान के समिति होने के संबंध में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी सही होना स्वीकार किया गया है कि वादी संस्थान के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य व पदाधिकारी कौन कौन हैं इस संबंध में भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये हैं तथा यह भी स्वीकार किया है कि इसके पक्ष में समिति की ओर से प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए दिया गया अधिकार पत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। इस साक्षी ने यह भी सही होना स्वीकार किया है कि इसके द्वारा प्रस्तुत रसीदें सड़क के उपयोग के मेन्टेनन्स कें लिए ली गई है तथा **यह सही होना कहा है कि वादी संस्थान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मध्य वादग्रस्त मार्ग के उपयोग, उपभोग के संबंध में कोई लिखित में इकरार नही किया गया है** तथा इस साक्षी ने स्वतः कथन करते हुए कहा है कि प्रतिवादी

संस्थान द्वारा उक्त मार्ग के उपयोग के लिए राशि देने के लिए लिखा था और इन्होने राशि दी है, जिस कारण उसे करार माना जायेगा।

12– इस साक्षी ने यह सही होना कहा है कि माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई व्यादेश में एक वर्ष के भीतर अन्य मार्ग का निर्माण करने के लिए आदेशित किया था जो कि आज दिनांक तक निर्माण कार्य नहीं किया गया है तथा स्वतः कथन करते हुए कहा है कि अपील में वह आदेश संशोधित करते हुए प्रकरण का निराकरण कर मार्ग का उपयोग किया जायेगा व उसके मेन्टेनेंस हेतु प्रति वर्ष 10 हजार रूपये जमा किया गया जावेगा यह आदेश किया गया है। यह सही होना कहा है कि प्रपी–1 का पत्र इसके द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रपी–3 भी प्रतिवादी संस्थान को दिये जाने के संबंध में कोई पावती प्रकरण में संलग्न नहीं है। कंडिका 29 में यह सही होना स्वीकार किया गया है कि प्रपी–1, 3, 4, 6 में हस्ताक्षर में भिन्नता है। कंडिका 30 में यह सही होना कहा है कि प्रपी–2 कम्प्यूटर द्वारा निर्मित प्रति है तथा कोई भी व्यक्ति प्रपी–2 के समरूप स्टेटमेंट निकाल सकता हैं। आगे कंडिका में इस साक्षी ने यह सही होना स्वीकार किया है कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अपनी संस्था रेडियंट वेय स्कूल की एक ओर को छोड़कर बाकी तीन दिशाओं में क्या–क्या स्थित है इस संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया है तथा यह भी सही होना स्वीकार किया है कि इसकी स्कूल से लगी हुई एक अन्य स्कूल कांगेर वैली पश्चिम दिशा में स्थित है तथा मोहबा बाजार चौक से डुमर तालाब आमानामा थाना होते हुए कांगेर वैली स्कूल तक पहूंच मार्ग स्थित हैं।

15-7-16

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

CANCELLED CANCELLED
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

इस साक्षी ने आगे की कंडिका में यह सही होना स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संस्थान में अपनी संपूर्ण भूमि का सिमांकन करा लिया है तथा यह भी सही होना स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संस्थान अपनी भूमि पर दिवाल का निर्माण कर रही थी।

13– इस साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 33 में स्वीकार किया है कि वर्ष 1998 से 2002 तक स्कूल के संचालन के संबंध में इसने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा संचालन के संबंध में शिक्षा विभाग से प्राप्त होने वाले अनुज्ञप्ति भी प्रकरण में संलग्न नहीं है तथा इस बात की जानकारी नहीं होना कहा है कि प्रतिवादी संस्थान द्वारा दिवाल निर्माण के पूर्व किसी भी विवाद की स्थिति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केवियेट प्रस्तुत किया गया था तथा इस बात की भी जानकारी नहीं होना कहा है कि उक्त भूखंड के संबंध में समाचार में भी प्रकाशन किया गया था। आगे इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रपी–6 का पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया था जिसके संबंध में पोस्टल रसीद प्रकरण में संलग्न नही है और न ही उसकी प्रति भी प्रकरण में संलग्न है और न ही उसकी अभिस्वीकृति प्रकरण मे पेश है।

14– वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्षी नितिन तिवारी वादी साक्षी क0–2 का परीक्षण कराया गया है, जिसने बताया है कि वादी संस्था एवं उसके संचालक को जानता है। उक्त संस्थान में इसकी पुत्री एवं भतीजा अध्ययनरत होने से उसका आना जाना लगा रहता है। वादी संस्था द्वारा संचालित स्कूल रेडियेंट वेय जो कि प्रतिवादी पं.

रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिसर से लगा हुआ स्कूल डुमरतालाब रायपुर में स्थित है। जहां से इसका भतीजा शिवांक तिवारी कक्षा 1 से 10 तक शिक्षा ग्रहण किया है तथा दूसरा भतीजा सुभांग तिवारी सन् 2007–08 से अध्ययनरत है तथा इसकी पुत्री आर्ची तिवारी सन् 2012–13 से वादी द्वारा संचालित स्कूल में अध्ययनरत् है तथा वादी द्वारा संचालित स्कूल में आने जाने का रास्ता प्रतिवादी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिसर से होते हुए एक रास्ता है उसी रास्ते से शुरू से बच्चें एवं पालक तथा शिक्षक आना जाना करते है तथा अन्य कोई रास्ता आने जाने के लिए नही है।

15– इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह सही होना कहा है कि वादी संस्थान का यह संचालक नहीं है। यह भी सही होना कहा है कि वादी संस्थान में इसके भतीजे एवं पुत्री के शिक्षण प्राप्त करने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

16– इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आये स्वीकाराक्तियों से यह भली भांति स्पष्ट है कि वादी संस्था एवं प्रतिवादी संस्था के मध्य वादी संस्था रेडियंट वेय स्कूल पहूंचने हेतु पहूंच मार्ग के संबंध में वादी संस्था का पतिवादी संस्था के साथ रास्ते के उपयोग, उपभोग के संबंध में कोई संविदा नहीं हुआ है हालांकि वादी संस्था द्वारा प्रतिवादी संस्था को कुछ अंशराशि अदा की गई है जो कि वादी द्वारा स्वयं यह स्वीकार की गई है कि उक्त राशि रास्ते के उपभोग, उपयोग किये जाने के फलस्वरूप जो मार्ग में छति कारित हुआ था उसके मरम्मत हेतु दिया गया था। वादी द्वारा यह दावा किया गया है कि

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

CANCELLED

प्रतिवादी संस्था के साथ उसका विवादित मार्ग के उपयोग, उपभोग हेतु संविदा हुआ था, किन्तु ऐसी कोई संविदा वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रकरण में प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि प्रतिवादी संस्थान से मार्ग के उपयोग हेतु उनका संविदा हुआ है। वादी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि विवादित मार्ग के अतिरिक्त उनके स्कूल के तीन अनय दिशाओं में क्या अवस्थित है वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में नही दर्शाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी जानबूझकर तथ्यों को छुपाया है। वादी संस्थान मे पहूंचने हेतु अन्य कोई मार्ग नहीं है ऐसा वाद पत्र एवं संलग्न नक्शे से दर्शित नही होता है। वादी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके संस्थान के करीब ही कांगेर वैली नामक शिक्षण संस्थान संचालित है जहां पर मोहबा बजार चौक से डुमरतालाब आमानाका थाना होते हुए पहूंच मार्ग है। ऐसी स्थिति में वादी संस्थान के द्वारा भी उक्त पहूंच मार्ग से आवागमन किया जा सकता है। प्रतिवादी शासकीय शिक्षण संस्था है तथा उनके द्वारा अपनी परिसीम के भीतर सुरक्षा हेतु दिवाल का निर्माण किया गया है। चुंकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित मार्ग के उपयोग के संबंध मे किसी भी प्रकार की संविदा को वादी द्वारा प्रमाणित नही किया जा सका है ऐसी स्थिति में इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष नकारात्मक ''नहीं'' में दिया जाता है।

<u>वादप्रश्न क्र0–2</u>

17– चूंकि पूर्व वादप्रश्न की विवेचना में यह भली भांति स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त रास्तो प्रतिवादी संस्थान

विश्वविद्यालय की संपत्ति है तथा उसमें अवस्थित रास्ते का उपयोग वादी संस्थान द्वारा किया जा रहा है किन्तु वादग्रस्त संस्था आम रास्त है इस संबंध में वादी द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहां जा सकता कि वादग्रस्त आम रास्ता है तथा किसी भी संविदा के अभाव में व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी अन्य का कोई अधिकार सृजित नही हो जाता। फलस्वरूप इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष नकारात्मक ''नहीं'' में दिया जाता है।

वादप्रश्न क0–3 एवं 4

18– वादग्रस्त संस्थान के संबंध में वादी संस्थान का कोई हक अथवां स्वामित्व प्रमाणित नहीं हुआ है। वादी संस्थान द्वारा वादग्रस्त मार्ग का प्रयोग किया जा रहा था किन्तु इस संबंध कोई संविदा की चिरकाल तक वादी संस्थान मार्ग का प्रयोग करेगा नही हुआ है। प्रतिवादी संस्थान द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर दिवाल का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर दिवाल निर्माण कराया जा रहा है। फलस्वरूप वादी संस्थान प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार से व्यय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

सहायता एवं व्यय

19– वादी अपना वाद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी इस न्यायालय से किसी भी प्रकार

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

CANCELLED
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

से कोई सहायता प्राप्त करने को अधिकारी नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता हैं।

वादी स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा अनुसूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

20– उपरोक्तानुसार डिक्री बनाई जाये।

निर्णय दिनॉकित व हस्ता0 कर घोषित किया गया।

15-7-16

(शांतनु कुमार देशलहरे)

द्वतीय व्यवहार न्याया0 वर्ग–1

रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

15-7-16

(शांतनु कुमार देशलहरे)

द्वतीय व्यवहार न्याया0 वर्ग–1

रायपुर (छ0ग0)

स्थान– रायपुर

दिनॉक–15.07.2016

.....0000000000.....

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 रायपुर. (छ.ग.)

Ex CA No. 11465/16, डिक्री की प्रमाणित प्रति

II-302
C J.(E)

DECREE IN ORIGINAL SUIT

(Code of Civil Procedure 1908, Order xx Rules 6 and 7)

(व्यवहार वाद) Civil Suit No --- of ----24 A/2011

THE COURT OF द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक
रायपुर (छ.ग.)

श्री मंगल दूबे मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि ... उम्र 35 वर्ष पंजीकृत कार्यालय-6 ... कालोनी ... रायपुर (छ.ग.)

//विरुद्ध//

① पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं शैक्षणिक संस्था द्वारा कुलपति ... चतुर्वेदी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)
② कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पता विश्वविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)
③ ... विभाग पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ... पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ... विभाग पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)

Claim for - दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा कीमती - 30,500/-

The suit coming on this day for final disposal before me in the presence (for the plaintiff), श्री - ओ.पी. ... अधिवक्ता

.(for the defendent) श्री शशिकांत तिवारी अधिवक्ता।

<u>In is ordered and decreed that :-</u>

1- वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

② वादी स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।

③ अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित प्रमाणित होने पर अथवा अनुसूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

प्रतिलिपित that the sum of Rs xx / defedent be paid by the ----- -- plaintiff

to the ----------- defedent / plaintiff

on acc0unt of costs of this suit with interest thereon at the rate percent par annum from this date of realization

Given under my hand the seal of the Court this 18-7-2016 day of 2016

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक
रायपुर (छ.ग.)

COSTS OF SUIT

S No	Plaitiff	Rs	P.	Defendant	Rs	P.
01	Stamp for plaint	3600	00	Counter Claim	—	--
02	Stamp for appication & affidavit	45	00	Stamp for appication & affidavit	05	00
03	Stamp for Powar	05	00	Stamp for Powar	25	00
04	Stamp for exhibit	—	--	Stamp for exhibit	—	--
05	Pleader's fees (पेश नहीं)	—	--	Pleader's fees (पेश नही)	—	--
06	Subsistence or witnesses	—	--	Subsistence for witnesses	—	--
07	Commissioner's fee	—	--	Commissioner's fee	—	
08	process Service of process	10	00	Service of process		
	Total	3660	00	Total	30	00

(अक्षरी– तीन हजार छः सौ साठ) (अक्षरी– तीस रुपये)

सत्य-प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

(शातनु कुमार देशलहरे)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक

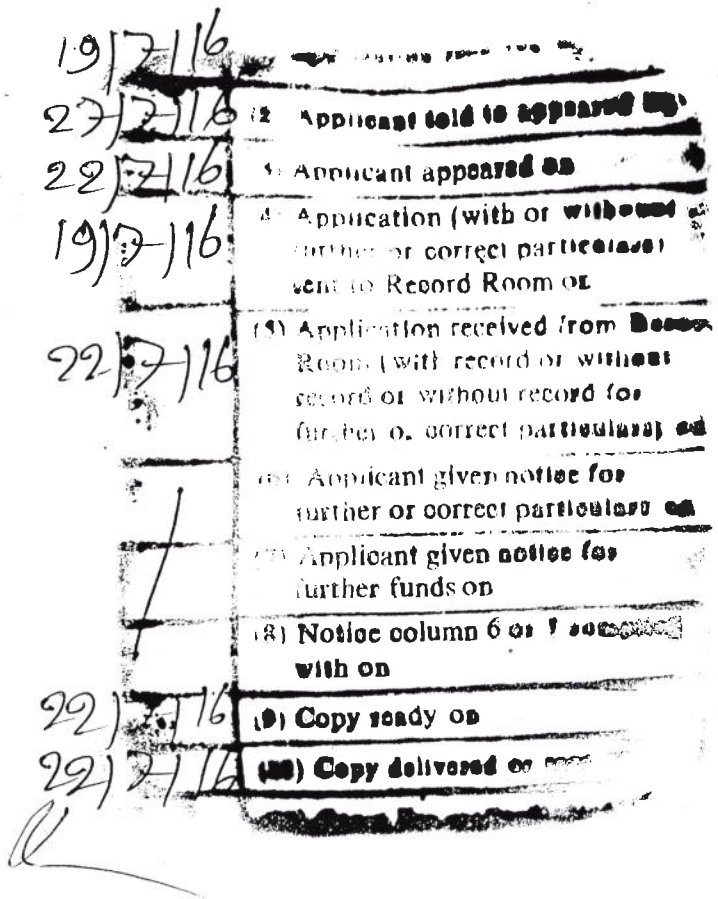
19/7/16
27/7/16
(2) Applicant told to appear on
22/7/16
(3) Applicant appeared on
19/7/16
(4) Application (with or without
further or correct particulars)
sent to Record Room on
22/7/16
(5) Application received from
Room (with record or without
record or without record for
further or correct particulars) on
(6) Applicant given notice for
further or correct particulars on
(7) Applicant given notice for
further funds on
(8) Notice column 6 or 7
with on
22/7/16
(9) Copy ready on
22/7/16
(10) Copy delivered on

Ex CA NO. ~~11464/15~~, CA NO. 11384/16 सत्यप्रतिलिपि प्र०क्र०. 05A/16 पेशी ति०. 25/07/16
न्याया० :- श्रीमान उत्तरा कुमार कश्यप षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश रायपुर (छ०ग०)
पक्षकार :- श्री समीर दुबे पिता स्व० संतोष कुमार दुबे संचालक मंगल दुबे मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी आमानाका के पीछे, डूमरतालाब, रायपुर निवासी डूंगा जी कालोनी, रायपुर तह० व जिला रायपुर छ०ग० विरूद्ध - ① पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा कुल सचिव रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर जी०ई० रोड, रायपुर तह० व जिला रायपुर छ०ग० ② छ० ग० शासन द्वारा जिलाधीश रायपुर छ० ग०

न्यायालय षष्ठम अति. जिला न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(पीठासीन अधिकारी – उत्तरा कुमार कश्यप)

व्यवहार वाद क0–05ए/2016
संस्थापन दिनॉक 12.01.2016

श्री समीर दुबे उम्र 43 साल, पिता स्व.
श्री संतोष कुमार दुबे,संचालक,मंगल दुबे
मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी,आमानांका
के पीछे डूमरतालाब,रायपुर,निवासी डूंगा जी
कॉलोनी,रायपुर,तहसील वो जिला रायपुर ।

----- वादी

// विरूद्ध //

(1) पं0 रविशकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर
द्वारा कुल सचिव,रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
जी.ई रोड रायपुर तहसील वो जिला रायपुर,छ.ग.
(2) छ.ग.शासन द्वारा कलेक्टर,रायपुर,छत्तीसगढ

----- प्रतिवादीगण

वादी द्वारा श्री ओ.पी.निर्मलकर, अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण कमाक एक की ओर से श्री राजेश पांडे अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक दो, अनुपस्थित । एकपक्षीय।

// आ दे श //

(आज दिनांक 18जुलाई,2016 को पारित किया गया)

FOR COPYING FEES ONLY
FOR COPYING FEES ONLY

(1) इस आदेश के जरिये वादी की ओर से दिनॉक 22/06/16 को प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया सॅहिता पर आदेश किया जा रहा है।

(2) संक्षेप में वादी का वाद इस प्रकार है कि वादी पक्ष की ओर से एक व्यवहार वाद वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 499 का भाग रकबा 0.348 हे. मौजा डूमरतालाब रायपुर,पटवारी हल्का नम्बर 104 तहसील वो जिला रायपुर

का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होने तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी कमांक 01 अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा वादी की ओर से किये जा रहे निर्माण कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षेप करने ,वादग्रस्त भूमि पर भविष्य में कभी भी वादी के उपयोग व उपभोग में हस्ताक्षेप एवं व्यवधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करने से निषेधित किये जाने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का व्यादेश जारी करने के अनुतोष बाबत प्रस्तुत किया है।

(3) वादपत्र के साथ एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 एवं 02 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया सॅहिता दिनॉक 22/06/16 को प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किया गया है कि वादी कंडिका एक में वर्णित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है । उक्त भूमि को वादी के द्वारा पंजीकृत बैनामा के माध्यम से दिनॉक 13/9/2000 को मूल भूमि स्वामी फूलबाई बेवा मेगी निवासी डूमर तालाब,रायपुर तहसील वो जिला रायपुर से क्रय कर उस दाखिल काबिज रहा है। वादी द्वारा अपने स्वामित्व व आधीपत्य की उक्त भूमि पर अतिरिक्त कमरा की आवश्यकता होने पर स्कुल संचालन के लिये भवन निर्माण किया जा रहा है जिस पर प्रतिवादी कमांक 01 के द्वारा उक्त निर्माण कार्य में हस्ताक्षेप कर बाधीत करने का प्रयास किया जा रहा है तथा कार्य रोके जाने के संबंध में उसके द्वारा दिनॉक 26/12/2015 को पत्र प्रेषित किया गया है । वादी अपने भी भूमि पर शांतीपूर्ण तरीक से बिना किसी अतिक्रमण के निर्माण कार्य कर रहा है जिसमें प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा रूकावट पैदा किया जा रहा है। वादी द्वारा उक्त भूमि क्रय कर दाखिल व काबिज है अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है । उक्त भूमि पर उसके द्वारा शैक्षणीक कार्य किया जाता है जिसके लिये बच्चों की भर्ती प्रक्रिया भी प्रारभ की जा चुकी है,शैक्षणीक कार्य एवं भवन निर्माण कार्य प्रभावित होने से उसे अपूर्णीय क्षति होगी जिसके लिये सुविधा का सन्तुलन भी उसके ही पक्ष में है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया सहिता स्वीकार कर प्रतिवादी पक्ष कमांक 01 को स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हस्ताक्षप करने से निषेधित किये जाने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का व्यादेश जारी किया जावे ।

(4) इस प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 02 की अनुपस्थिति पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रतिवादी कमांक02 की ओर से वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(5) प्रतिवादी कमांक 01 की ओर से वादी के उक्त आवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों से इन्कार करते हुये जवाब में अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 499 का भाग रकबा 0.348 हे0 जिस भूमि को अपने स्वामित्व व आधिपत्य का होना दर्शित किया गया है कि उक्त भूमि को छत्तीसगढ शासन द्वारा नियुक्त सक्षम भू अर्जन अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष में विधिवत अर्जित किया गया है । उक्त भूमि के एवज में भू अर्जन अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड पत्रक में निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान भी प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा अदा किया जा चूका है। वादी, प्रतिवादी विश्वविद्यालय को शासन द्वारा विधिवत अधिग्रहित कर प्रदान की गई भूमि को कय दस्तावेज के आधार पर अपने स्वामित्व व आधिपत्य का होना विधि विरूद्ध ढंग से व्यक्त कर रहा है,जो विधि की दृष्टिकोण से न्यायोचित नही है। वादी द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त अधिग्रहित भूमि पर अवैध एवं अनैतिक ढंग से निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसे तत्काल रोकने की जरूरत है। प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा उक्त स्थगन आवेदन के संदर्भ में तहसीलदार रायपुर द्वारा हल्का पटवारी का प्रतिवेदन आहूत किया गया था जिसमें वादी द्वारा विश्वविद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। वादी के पक्ष में न तो प्रथमदृष्टया प्रकरण है और न ही सुविधा का संतुलन अथवा अपूर्णीय क्षति का प्रश्न उसके पक्ष में अभिदर्शित है। अतः वादी की ओर से उपरोक्त प्रस्तुत आवेदन तथ्य तथा विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाये।

(6) उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत आवेदन एवं जवाब के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिलेख में संकलित सामाग्रियों का परिशीलन किया गया तथा उभय पक्षों का तर्क सुना गया ।

(7) वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से खंडन स्वरूप प्रस्तुत जवाब पर उदभुत विनिश्चयार्थ प्रश्नों के निराकरण के लिये आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं पर सारभूत रूपों में निकर्षित किया जाना न्यायोचित होगा इसके अलावा साम्या के सिद्धांत को भी विचार में लिया जाना आवेदन के निराकरण के लिये एक सार्गर्भित तथ्यात्मक एवं उपयोगी विषयवस्तु होगा ।वादी की ओर से जिसं विनिश्चयार्थ तत्व जिसके आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है,वह वाद के गुणदोष पर उभय पक्षों के अभिसाक्ष्य एवं सुसंगत सारभूत दस्तावेजों के अभिप्रमाणान हेतु पर अंतिम निर्वतन पर अवधारित है। क्योंकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय विलेख दिनॉक 4/12/2000 निष्पादित करते हुये मूल भूमि स्वामिनी फूलबाई पति मेगी निवासी, डूमर तालाब रायपुर से क्रय कर उप पंजीयक कार्यालय रायपुर में विधिवत ग्रंथ क्रमांक 24886 दस्तावेज क्रमॉक 3682 के पेज नम्बर 15 से 21 में दर्ज कराना बताया है। उक्त दस्तावेज की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता ,परन्तु वादी पक्ष की ओर से उक्त वादग्रस्त भूमि को क्रय करने के बाद विक्रेता फूलबाई का नाम राजस्व अभिलेख में विलोपित कर भूमि स्वामी के रूप में अपना नाम दर्ज कराते हुये नामांतरण कार्यवाही की गयी हो,के संबध में कोई सारभूत दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज छत्तीसगढ शासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी पत्र दिनॉक 30/11/2007 जिसमें कि भूअर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ/82 वर्ष 2005 –06 ग्राम डूमरतलाब पटवारी हल्का नम्बर 104 राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर तहसील वो जिला रायपुर का अवार्ड प्रकरण के निराकरण के संबंध में दिये गये आदेश की प्रति तथा न्यायालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायपुर द्वारा भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 07–अ–82 वर्ष 2005 –2006 ग्राम डूमरतलाब पटवारी हल्का नम्बर 104 राजस्व निरीक्षक मंडल रायपुर में वादग्रस्त भूमि को राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित करते हुये अधिग्रहित सरल क्रमांक (47)–फूलबाई बेवा भंगी, अर्जित खसरा नम्बर 499 रकबा 0.348 कुल मुआवजा राशि रूपये 10,38,972–00 भुगतान किया जाना उल्लेखित है। अधिग्रहण एवं मुआवजा राशि भुगतान किये जाने के बाद किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार) फार्म नम्बर–01–वर्ष 201–12 में उक्त भूमि को

शासकीय भूमि होना अंकित किया गया है। उक्त हल्का के पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार रायपुर को प्रेषित सीमाकंन प्रतिवेदन में खसरा नम्बर 499 रकबा 0.348 हे0 को रविशंकर विश्वविद्यालय के नाम पर दर्ज होना अभिकथित किया गया है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि को छत्तीसगढ शासन द्वारा भू अर्जन के तहत मुआवजा राशि पूर्व स्वामिनी फूलाबाई को प्रदान कर पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर को वैष्ठीत किया था जिसके आधार पर उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वामित्व एवं आधित्पय की हुई । वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि विक्रेता फूलबाई से दिनॉक 4/12/2000 को मूल्य अदा करते हुये क्रय किया गया है और क्रय किये जाने के बाद उक्त भूमि पर वह दाखिल काबिज होना अभिकथित किया है ,परन्तु राजस्व अभिलेखों में इस बाबत कोई सारवान तथ्य दर्शित होना अभिप्रमाणित नही होता अतः फूलबाई एवं वादी के मध्य वादग्रस्त भूमि के क्रय–विक्रय किये जाने एवं पश्चात में वादी द्वारा उक्त भूमि पर भू स्वामी के रूप में निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई है,जिसके आधार पर वादी द्वारा कंडिका एक में चाहे गये अनुतोष के लिये वाद पेश किया है और उसके द्वारा चाहे जा रहे अनुतोष के संबंध में उसे प्रारंभिक तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिये । अतः वाद के संस्थापना के लिये प्रथमदृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में होना अभि–प्रमाणित होता है,परन्तु जहॉ तक सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है, छ0ग0शासन द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण पर मुआवजा राशि का भुगतान किये जाने के बाद उक्त भूमि को अधिग्रहित कर पं0रविशकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर को सौपा गया है,जिस पर यदि वादी द्वारा निर्माण कार्य कर दिया जाता है तो शासन द्वारा जिस बहुयामी उददेश्य से विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के हित संवर्धन के लिये अधिग्रहित किया गया है,उसमें अनावश्यक रूकावट होगी एवं वाद बाहुल्यता में वृद्धि होगी । अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न वादी के पक्ष में अधिरोपित नहीं किया जा सकता । जहॉ तक साम्या के सिद्धांत का प्रश्न है, विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्याय मांगने वाले को स्वच्छय हांथो से आना चाहिये ,जिसका कि सर्वथा अभाव वादी पक्ष में दिखाई देता है। वादी को सर्वप्रथम उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि को राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित किये जाने पर उसे अधिग्रहण से मुक्त किये जाने के संबंध में विधि

CANCELLED
FOR COPYING FEES ONLY
CANCELLED
FOR COPYING FEES ONLY

अनुरूप प्रक्रियाधीन होना चाहिये था,ऐसा नहीं है कि वह इन सब बातों से अनभिज्ञ रहा होगा,क्योंकि राज्य शासन द्वारा किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर समाचार पत्रों में इश्तहार प्रकाशन किया जाता है तथा दावा आपत्तियॉ ली जाती है। वादी ,तहसीलदार रायपुर के न्यायालय में सीमाकंन एवं अन्य प्रक्रियाओं पर उपस्थित रहा है,जिससे उसकी इस बाबत अनुभिज्ञता रही हो,स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचित परिस्थितियों में वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

18.7.16

(उत्तरा कुमार कश्यप)
षष्ठम अति.जिला न्यायाधीश,रायपुर.
छ.ग.

रायपुर,दिनाक
18 जुलाई,2016

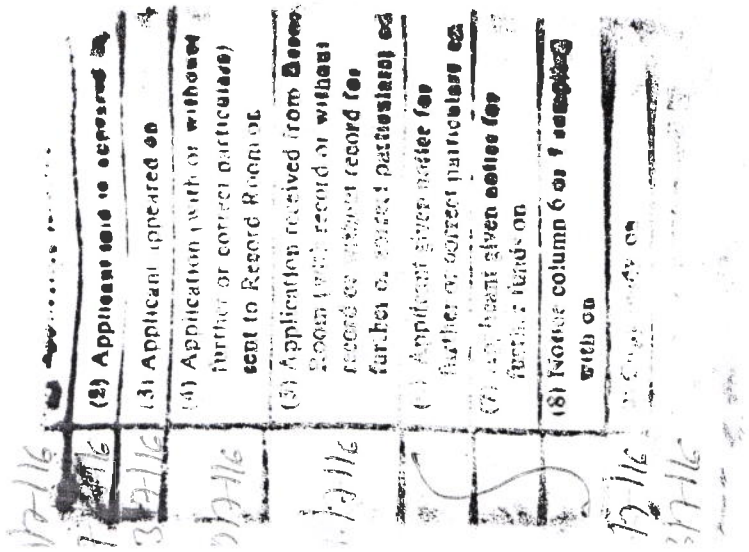

Jayant Vishnu Narlikar

Jayant Narlikar was born on July 19, 1938 in Kolhapur, Maharashtra and received his early education in the campus of Banaras Hindu University (BHU), where his father Vishnu Vasudeva Narlikar was Professor and Head of the Mathematics Department. His mother Sumati Narlikar was a Sanskrit scholar. After a brilliant career in school and college, Narlikar got his B.Sc. degree in 1957. He went to Cambridge for higher studies, becoming a Wrangler and Tyson Medallist in the Mathematical Tripos. He got his Cambridge degrees in mathematics: B.A.(1960), Ph.D. (1963), M.A. (1964) and Sc.D. (1976), but specialized in astronomy and astrophysics. He distinguished himself at Cambridge with the Smith's Prize in 1962 and the Adams Prize in 1967. He later stayed on at Cambridge till 1972, as Fellow of King's College (1963-72) and Founder Staff Member of the Institute of Theoretical Astronomy (1966-72). During this period he laid the foundations of his research work in cosmology and astrophysics in collaboration with his mentor Fred Hoyle.

Narlikar returned to India to join the Tata Institute of Fundamental Research (1972-1989) where under his charge the Theoretical Astrophysics Group acquired international standing. In 1988 he was invited by the University Grants Commission as Founder Director to set up the proposed Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA). Under his direction IUCAA has acquired a world-wide reputation as a centre for excellence in teaching and research in astronomy and astrophysics. He retired from this position in 2003. He is now Emeritus Professor at IUCAA. In 2012 the Third World Academy of Sciences awarded him their prize for setting up a centre for excellence in science.

In 1966, Narlikar married Mangala Rajwade, a Ph.D. in mathematics. They have three daughters, Geeta, Girija and Leelavati, all of whom have opted for careers in science.

Narlikar is internationally known for his work in cosmology, in championing models alternative to the popularly believed big bang model. He was President of the Cosmology Commission of the International Astronomical Union from 1994 to 1997. His work has been on the frontiers of gravity and Mach's Principle, quantum cosmology and action at a distance physics. He has received several national and international awards and honorary doctorates. He is a Bhatnagar awardee, as well as recipient of the M.P. Birla award, the Prix Janssen of the French Astronomical Society and an Associate of the Royal Astronomical Society of London. He is Fellow of the three national science academies as well as of the Third World Academy of Sciences. Apart from his scientific research, Narlikar has been well known as a science communicator through his books, articles, and radio/TV programmes. For these efforts, he was honoured by the UNESCO in 1996 with the Kalinga Award.

Narlikar recently broke new grounds in space research. Since 1999 he has been heading an international team in pioneering experiments designed to sample air for microorganisms in the atmosphere at heights of up to 41 km. Biological studies of the samples collected in 2001 and 2005 led to the findings of live cells and bacteria, thus opening out the intriguing possibility that the Earth is being bombarded by microorganisms some of which might have seeded life itself here.

Narlikar was decorated Padmabhushan in 1965, at the young age of 26. In 2004 he was awarded Padmavibhushan. In 2011, the Government of the State of Maharashtra gave him the State's highest civilian honour of Maharashtra Bhushan.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप//

विषयः- डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान को धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में।

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन, भुवनेश्वर के अधिसूचना क्रमांक UIII-17/2016/635/SG(HE) दिनांक 29.07.2016 के द्वारा डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को बरहमपुर विश्वविद्यालय, बरहमपुर (उड़िसा) का कुलपति नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप इनके द्वारा प्रेषित आवेदन में दिनांक 02.08.2016 से धारणाधिकार की मांग की गई है।

आवेदनानुसार कुलपति के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 02.08.2016 से कार्यमुक्त किये जाने एवं दिनांक 02.08.2016 से प्रोफेसर पद पर 03 वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्यपरिषद की बीसवीं बैठक दिनांक 06.06.2016 का पालन प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विषय</th><th>निर्णय</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">कार्यपरिषद् की ओर से नवनियुक्त सदस्य डॉ. शैलेन्द्र सराफ एवं डॉ. अमरकांत पाण्डेय का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया।
बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के 22वाँ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण डॉ. जयन्त विष्णु नार्लीकर ने दिनांक 10.08.2016 को आने की सहमति प्रदान की है। सदस्यों ने सहमति एवं अनुमोदन प्रदान किया। इस दीक्षांत समारोह के लिए शेष कार्यवाही कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2016 में हुए निर्णय अनुसार होंगे।

कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अंतर्गत देशभर के विश्वविद्यालय के रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय को 61.09 अंकों के साथ 46वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान को 22वाँ रैंकिंग प्राप्त हुआ है। यह बड़े हर्ष की बात है कि विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से यह उपलब्धि प्राप्त की है, जो सभी कार्यपरिषद् सदस्यों तथा विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के सहयोग से संभव हो सका।

कुलपतिजी ने सभा को सूचित किया कि विश्वविद्यालय को Indian National Trust for Arts & Cultural Heritage (INTACH) की संस्थागत सदस्य (Institutional Membership) एवं Governing Council में स्थान प्राप्त हुआ। इससे विश्वविद्यालय को Extension activity आयोजित करने में सहायता मिलेगी।</td><td>22वाँ दीक्षांत समारोह संशोधित अधिसूचना क्र. 1596/अका./दीक्षांत/2016 दिनांक 28.06.2016 जारी किया गया।</td></tr>
<tr><td>01</td><td>विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।</td><td colspan="2">विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निर्णय क्रमांक 14 एवं 15 में निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई –
<table>
<tr><th>विषय क्र.</th><th>कार्यपरिषद् का निर्णय</th><th>संशोधन प्रस्ताव</th></tr>
<tr><td>14</td><td>पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए बुक क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का</td><td>पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए बुक क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार
1. Indian Publication : Print Books अधिकतम छूट दर 34% पर Rishabh Books,</td></tr>
</table></td><td>निर्णयानुसार क्रय आदेश जारी की गई।</td></tr>
</table>

क्र.	विषय	निर्णय			पालन प्रतिवेदन
			अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	New Delhi 2. Foreign Publication; Print Books अधिकतम छूट दर 34.06% पर Arvind Prakashan , Udaipur से 3. CD/DVD Books: No discount दर पर 34.06% पर Arvind Prakashan, Udaipur से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	
		15	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए ई–बुक्स क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन बुक्स से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिये ई बुक्स क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार Allied Publishers Subsciption Agency, Mumbai से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रमशः 65% पर Oxford University Press online books एवं 10% पर Wiley online books क्रय करने का अनुमोदन करते हुए, भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	**Allied Publishers Subsciption Agency, Mumbai को 198 Oxford University Press online books को क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर राशि रु. 7,65,232.00 का भुगतान किया गया।**
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 26.03.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।			--
03	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।			**निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	करना।		
04	दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को भुगतान किये गए राशि रु. 1,95,92,180.00 (एक करोड़ पन्चानबे लाख ब्यानबे हजार एक सौ अस्सी रुपए) की कर सूचना ग्रहण करना।	दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को भुगतान किये गए राशि रु. 1,95,92,180.00 (एक करोड़ पन्चानबे लाख ब्यानबे हजार एक सौ अस्सी रुपए) की कर सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदन किया गया।	**कार्यवाही की जा चुकी है।**
05	यूटीलिटी सेंटर भवन के पास ट्रांसफार्मर संस्थापन राशि रु. 11,31,214.00 (ग्यारह लाख इकत्तीस हजार दो सौ चौदह रुपए) के भुगतान का अनुमोदन करते हुए सूचना ग्रहण करना।	यूटीलिटी सेंटर भवन के पास ट्रांसफार्मर हेतु पृथक से राशि प्रदाय की, सूचना ग्रहण की। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में भूमि प्रदान की गई है, अतः उक्त हेतु छूट प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे।	**छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी में जमा राशि के परिपालन में 200 कि.व. क्षमता का ट्रांसफार्मर यूटीलिटी सेंटर के आवश्यकतानुसार स्थापन कर दिया गया है। छूट के संबंध में छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा नियमानुसार ट्रांसफार्मर की आवश्यकता का जिक्र किया है।**
06	विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता माह मई से भुगतान करने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना एवं एरियर्स की राशि रूपए 27,57,710/– (रूपए सत्ताईस लाख संतावन हजार सात सौ दस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।	विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से (माह जनवरी, 2016 का वेतन जो माह फरवरी 2016 में देय है) महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की कार्योत्तर स्वीकृति की गई एवं एरियर्स की राशि रूपए 27,57,710/– (रूपए सत्ताईस लाख संतावन हजार सात सौ दस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।	**विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 125 प्रतिशत एवं एरियर्स की राशि का भुगतान किया जा चुका है।**
07	विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।	विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। माननीय कुलपति जी ने शासन के पत्र के संदर्भ में सूचना दी एवं सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये पदों पर वचनबद्धता (Concurrence)/ सहमति	**निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
		देने में शासन ने असमर्थता व्यक्त की है। सदस्यों के द्वारा शासन को पुनः पत्र लिखकर सहमति प्राप्त करने हेतु सुझाव दिये।	
08	विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर), बी.एड्., एम.एड्., बी.पी.एड्. सेमेस्टर परीक्षा 2016 हेतु जारी अग्रिम राशि रूपए 12,55,000/– (रूपए बारह लाख पचपन हजार मात्र) के 58 परीक्षा केन्द्रों को भुगतान के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर), बी.एड्., एम.एड्., बी.पी.एड्. सेमेस्टर परीक्षा 2016 हेतु जारी अग्रिम राशि रूपए 12,55,000/– (रूपए बारह लाख पचपन हजार मात्र) के 58 परीक्षा केन्द्रों को भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की जा चुकी है।
09	NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्राध्यापक बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं, कन्सल्टेंट के रूप में सेवावृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।	एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक, भूतपूर्व प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं कंसल्टेंट के रूप में दिनांक 01.05.2016 से 30.04.2017 तक पूर्व निर्धारित शर्तों एवं मानदेय के अनुसार वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	आदेश क्र. 598/NCNR/PRSU/ 2016 Date 21-06-2016 जारी किया गया है।
10	सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. के. शर्मा गणित अध्ययनशाला के भविष्य निधि की राशि रूपए 16,67,785/– (रूपए सोलह लाख सढ़सठ हजार सात सौ पच्यासी मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।	सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. के. शर्मा गणित अध्ययनशाला के भविष्य निधि की राशि रूपए 16,67,785/– (रूपए सोलह लाख सढ़सठ हजार सात सौ पच्यासी मात्र) के भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की जा चुकी है।
11	डॉ. अम्बर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	डॉ. अम्बर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रमन फेलोशीप हेतु चयन होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के अनुसार दिनांक 16.06.2016 से 10.02.2017 तक अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दी गई।	आदेश क्र. 2767/स्था./सा.प्रशा. /2016 दिनांक 23.07.2016 जारी किया गया।
12	श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी, की संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना ।	श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी, की संविदा नियुक्ति की अवधि में दिनांक 25.04.2016 से आगामी 6 माह के लिए वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई।	नियुक्ति आदेश क्र. 2341/सा.प्रशा. /2016 दिनांक 22.06.2016 जारी किया गया।
13	सम्बद्ध महाविद्यालयों के 0.5 से कम परफार्मेंस इण्डेक्स प्राप्त 32 महाविद्यालयों के संबंध में विचार करना।	0.4 से कम Peformance Index वाले महाविद्यालय की प्राचार्यों की बैठक कर समीक्षा किया जाए। समीक्षा के पश्चात् सम्बद्धता की निरंतरता हेतु निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।	पालन प्रतिवेदन संलग्न है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
14	प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।	निम्नलिखित महाविद्यालय में प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :	
		स.क. / महाविद्यालय का नाम / चयनित व्यक्ति का नाम	
		प्राचार्य	
		1. सांदिपनी एकेडमी ग्राम अछोटी, पो. –मुरमुंदा, व्हाया–धमधा, जिला–दुर्ग — डॉ. नाजिया अबिब खान	पत्र क्र. 1760/अका./अनुमोदन/2016 दिनांक 18.07.2016 जारी कर सूचित किया गया।
		2. भिलाई कालेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, जामुल, भिलाई, जिला–दुर्ग — डॉ. घनश्याम तिवारी	पत्र क्र. 1762/अका./अनुमोदन/2016 दिनांक 18.07.2016 जारी कर सूचित किया गया।
		विभागाध्यक्ष (शिक्षा) –	
		1. दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमैंट स्टडिज़, रायपुर छ.ग. — डॉ. पूनम निकुंभ	पत्र क्र. 1758/अका./अनुमोदन/2016 दिनांक 18.07.2016 जारी कर सूचित किया गया।
		2. स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, जिला–दुर्ग — डॉ. नाजिया अबिब खान	पत्र क्र. 1764/अका./अनुमोदन/2016 दिनांक 18.07.2016 जारी कर सूचित किया गया।
		उपरोक्त अनुमोदन के फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों के न्यूनतम योग्यता पूरा करने के संदर्भ में बायोडाटा का परीक्षण करने के पश्चात् पत्र जारी किया जावे।	
		पूरक विषय सूची	
1	विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन कार्यपरिषद् के द्वारा किया जाना है विचारार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन के संबंध में प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 में विचारार्थ प्रस्तुत है।
2	मध्यजोन एवं राष्ट्रीय स्तर पर	मध्यजोन एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव के प्रतिभागियों को	कार्यवाही की जा चुकी है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव के प्रतिभागियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता वृद्धि किये जाने पर विचार करना।	यात्रा एवं दैनिक भत्ता रु. 200/– प्रतिदिन एवं कोच मैनेजर को रु. 250/– प्रतिदिन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।	
3	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन किया गया।	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 में हुए निर्णयों पर यांत्रिकी शाखा द्वारा कार्यवाही कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित कर दी गई है। डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने प्राक्कलन राशि की 33 प्रतिशत राशि के भुगतान हेतु वित्त विभाग में प्रेषित कर दी गई है। 33 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
4	विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में विनियम क्र. 156 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।	कुलपति सहायता निधि से संबंधित विनियम क्र. 156 की कंडिका 10 के बाद निम्नांकित प्रस्तावित प्रावधान का अनुमोदन किया गया – 11. The Personal Loan facility will be provided from "Kulpati Sahayata Nidhi" to University Employees (Teachers/Officers/Employees) as per previous rules/conditions.	अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
5	क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
6	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
7	विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।	विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निविदा के आधार पर DPC/CPC की अनुशंसा पर न्यूभारत सिक्यूरिटी डिटेक्टीव सर्विसेस, शॉप नं. 140, बस स्टैण्ड के पास, गणेश पेट नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष के लिए किये गये अनुबंध की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	पत्र क्र. 173/विकास/सफाई कार्य/ 2016 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया।
8	विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा	(i) मेसर्स इंडियन सिक्यूरिटी फोर्स, शॉप नं. k-/264 सुभाष मार्केट भिलाई,	पत्र क्र. 201/विकास/सु.व्यव./

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	जिला–दुर्ग (छ.ग.) से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिनांक 01.05.2016 से 30.06.2016 तक (दो माह) विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों का कार्य लिया जा रहा है के संबंध में स्वीकृति के साथ दिनांक 01.07.2016 से समाप्त किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। (ii) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार न्यूभारत सिक्यूरिटी डिटेक्टीव सर्विसेस, नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए अनुबंध करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	2016 दिनांक 29.06.2016 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया।
9	अपोलो कॉलेज, शासकीय वेटरीनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।	अपोलो कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. (श्रीमती) अनघा अगासे के नाम का अनुमोदन किया गया।	पत्र क्र. 1569/अका./अनुमोदन/2016 दिनांक 25.06.2016 जारी कर सूचित किया गया।
10	श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त), निम्न वर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 पर कार्यपरिषद् के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा सुनवाई के उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार करना।	संबंधित अवधि में परिक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन प्रपत्रों के विक्रय संख्या के Reconciliation के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णयानुसार कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 प्रकरण प्रस्तुत है।
		अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :	
1		1. कुलपति जी द्वारा संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् (DCDC) के पद पर नियमित नियुक्ति होने में अपरिहार्य कारणों से विलंब होने की जानकारी देते हुए अवगत् कराया गया कि सभी महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं सतत् संपर्क बनाने हेतु कार्यालयीन अवधि में पूरे समय पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् (DCDC) की उपलब्धता आवश्यक है। वर्तमान में प्रभारी के रुप में कार्यरत् डॉ. आर. पी. दास द्वारा अध्ययन–अध्यापन एवं रिसर्च कार्य के साथ DCDC के कार्य भी देख रहे हैं। विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देने हेतु डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल सेवानिवृत्त प्राचार्य का आवेदन प्राप्त हुआ है। चूँकि नियमित नियुक्ति होने में विलंब हो सकता है तथा कालेजों से/UGC से सतत् संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। अतः कार्यपरिषद् के समक्ष उनके द्वारा दिये गये आवेदन प्रस्तुत है।	आदेश क्र. 2440/स्था./सा.प्रशा./2016 दिनांक 29.06.2016 जारी किया गया।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
		सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल सेवानिवृत्त प्राचार्य को उनकी उच्च शिक्षा में दीर्घ सेवाकाल को ध्यान में रखकर उनके पूर्व में धारित पद के अनुरूप DCDC के पद पर संविदा में शासन के नियमानुसार 1 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
		2. विश्वविद्यालय परिसर के यूटीलिटी सेन्टर में इंडियन कॉफी हाऊस खोले जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	**संबंधित फर्म से एग्रीमेंट हो चुका है। काफी हाऊस प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है।**
		3. विश्वविद्यालय परिसर में अमूल पार्लर प्रारंभ किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	**संबंधित फर्म से एग्रीमेंट हो चुका है। अमूल पार्लर प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है।**
		4. कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता द्वारा बी.कॉम.एलएल.बी. प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इसका विस्तृत प्रस्ताव बनाकर उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को स्वीकृति हेतु भेजी जावे।	**प्रस्ताव भेजना शेष है।**
		5. Super Market के संदर्भ में सूचना एवं कार्यप्रगति की जानकारी दी गई।	**प्रक्रियाधीन है।**

कुलसचिव

1768/DCDC/16
22/07/2016

विषयः— पालन प्रतिवेदन।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में विभाग के सम्मुख दर्शाये बिन्दु पर कार्यपरषिद् द्वारा लिए गए निर्णय कार्यवृत कमांक 1495/अका./का.प./2016 दिनांक 14.06.2016 के परिपालन में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध 11 महाविद्यालयों (21 महाविद्यालय विभाजन उपरांत दुर्ग विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गए है।) को कुलपति कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 09.06.2016 में कुलपति जी द्वारा निर्देशित किया गया कि— 15 जुलाई 2016 के पूर्व महाविद्यालय में पायी गयी कमियों को पूरा करें अन्यथा सत्र 2016—17 में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा।

तत्सम्बध में महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं स्वआंकलित परफार्मेंस इण्डेक्स प्रोफार्मा को महाविद्यालय प्रतिनिधि की उपस्थिति में कुलसचिव जी द्वारा पूर्व में वि.वि. अधिसूचना कमांक 3110/DCDC/15 रायपुर, दिनांक 04.012.2015 द्वारा गठित समिति से पुनर्मूल्यांकन कराए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ।

डॉ. रीता वेणुगोपाल, समन्वयक एवं समिति के सदस्यों के द्वारा निम्नलिखित महाविद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें अंक प्रदान किया गया :—

Pt. Ravishankar Shukla University Raipur

Performance Index of 11 Colleges After RE-Inspection

As on 22-07-2016

S.No.	Name of College	Course Offered	Prev. PI	Final Performance Index after Re-Inspection
1	**Shiksha Snatak Mahavidyalaya, Mandhar, Dist-Raipur (CG) 2003-04**	**B.A.** - F.C., Political Sc. Economics, Sociology, History, Hindi Litt.(100) **B.Com.**- (60 Seat) Compulsory Sub.& Com.Apl. **D.C.A.** (25Seat) **B.A.**-(40 Seat) Add.Sub. Geography, **P.G.D.C.A.** - 30 (20+10)	0.36	0.53
2	**Comp-Tech College , Dhamtari (CG) 2002-03**	**B.Sc. I, II** - F.C., Physics, Maths, **B.Sc.**- Inform. Tech.(40) **B.Com** - All Sub. (60) Comp. Appli. (40) **BCA-** (30) **PGDCA** (30)	0.34	0.50
3	**Om Shri Sainath Mahavidyalaya Parastarai Dharsiwa, Raipur (CG) 1998-99**	**B.A.** - F.C., Hindi Litt. Economics, History, Political Sc., Geography, Sociology.**B.Com. B.A. - I - A.I.H.**	0.25	0.45
4	**Pairi Ganga College, Mainpur Dist-Raipur (CG) 2003-04**	**B.A.** - F.C., Sociology, Political Science, Geog. (100) **B.Com.** - with Comp.Appl.(50) **D.C.A. (40) B.A.-I,II** - Hindi Litt.(100) **P.G.D.C.A.** (30)	ab	0.45
5	**Abhyudaya College, Chandkhuri, Raipur (CG) (2012-13)**	**D.C.A.** -30 Seats (2013) **B.C.A.** -I -30 Seats(2013) **B.Com.** -I- 60 Seats (2013) **P.G.D.C.A.** -30 Seats (2013)	0.24	0.44
6	**Chhattisgarh Mahtari College Bhakhara, Dhamtari (CG) 1998-99**	**B.A.** - F.C., Hindi, Economics, Political Sc., Geography, History. Sociology **B.Com. B.Sc. -** Bio. Group (50) & Maths Group. (50)	0.37	0.43
7	**Udanti College Devbhog, Dist-Gariyaband (CG) (2003-04)**	**B.A.**- F.C., Political Sc. Sociology, History Geography. - **(100) B.Com** - All Comp. Sub. .- **(100) B.A.**- Hindi Litt-(60)	ab	0.42

8	**Gurukul Mahavidyalaya, Magarlod, Dist-Dhamtari (CG) 2002-03**	**B.Com. - (Seat-60) B.A. - (Seat-60)** (F.C.-Hindi & English, Geography, Sociology, History) **B.Sc. - (Seat-60)** (F.C.-Hindi & English, Chemistry, Botany, Zoology,)	**0.25**	**0.41**
9	**Arts College, G jamgaon Dist-Dhamtari (CG) 2003-04**	**B.A.**- F.C., Hindi Litt., Political Sc., Economics.(50)	**0.31**	**0.33**
10	**Pragya Arts & Commerce College, Dhamtari (CG) 2002-03**	**B.A. -** F.C., Geog., Political Sc., Economics, Hindi Litt., Sociology. **B.Com.**	**ab**	**0.23**
11	**Nanakchand Ramesh Agrawal Arts & Commerce College Kharora (CG) 1998-99**	**B.A.** - F.C., Economics, Sociology, History, Political Sc., **B.Com.**	**0.32**	दस्तावेज निरीक्षण हेतु आज दिनांक तक अप्राप्त

उपरोक्त प्राप्त अंको के आधार पर 08 ऐसे महाविद्यालय जिनका अंक 0.40 न्यूनतम निर्धारित अंक से अधिक है उनको मान. कुलपति जी के निर्देशानुसार अंकों में उन्नयन एवं महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु अनुमति प्रदान करने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया है। इसी अनुक्रम में 02 महाविद्यालय जिनका अंक न्यूनतम निर्धारित अंक से कम है उन्हें भी पत्र के माध्यम से अंकों की जानकारी प्रेषित किया जा चुका है। (महाविद्यालयो को प्रेषित पत्रों की प्रति संलग्न)

नानकचंद रमेश अग्रवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खरोरा को स्मरण पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक भी दस्तावेज निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मान. कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत।

22/7/14

DIRECTOR,
College Development Council,
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR. (C.G.)